Par. S. 17. II. 23. 53
285

अंक २

संख्या २३

शुक्रवार

१ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३८१५—३८५८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३८५९—३८८६]

(मुल्य ४ आने)

239 P.S.D.

लोक सभा

शुक्रवार, १ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लखनऊ के समीप दुर्घटना

*१७५९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लखनऊ के निकट २० फरवरी १९५० को ए० वी० आर० ओ० आन्सन के टकराने की जो घटना हुई थी उसके सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ की गई थी;

(ख) यदि जांच की गई थी तो क्या उसका विवरण प्राप्त हो गया है ।

(ग) क्या सरकार उक्त विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार कर रही है; और

(घ) क्या चालक को उड्डयन की उपयुक्तता सम्बन्धी पत्र देने के पूर्व समस्त पूर्वोपाय कर लिये गये थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) जी, हां । श्रीमान्, मैं दुर्घटना के वृतान्त की प्रति सदन पटल पर रख रहा हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई—देखो सं० एस० ४८।५३**]

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

सरदार हुक्म सिंह : सरकार द्वारा भारत में उपयोग के लिये खरीदे गये आन्सन वायुयानों की कितनी संख्या थी ?

श्री राज बहादुर : स्मृति के आधार पर यह उत्तर देना कठिन है किन्तु वे काफी संख्या में खरीदे गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि इन आन्सन वायुयानों पर ६० लाख रु० खर्च किया गया था और तत्काल ही यह कहा गया था कि ये निरर्थक हैं और वस्तुतः उक्त वायुयान आजकल काम नहीं दे रहे हैं ?

श्री राज बहादुर: यह प्रश्न एक विशेष दुर्घटना से सम्बन्धित है । यदि आन्सन वायुयानों की सम्पूर्ण खरीदी पर बहस करनी है तो मुझे सम्बन्धित विषय के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिये स्पष्ट सूचना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं उक्त जांच का परिणाम जान सकता हूं । क्या इस दुर्घटना का कारण मशीन की खराबी थी अथवा हवाई यातायात नियन्त्रण की अकुशलता से यह घटना हुई थी ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य को वृत्तान्त की ओर निर्देशित करता हूं और विशेष रूप से उसके अन्तिम भाग की ओर जहां पर कहा गया है कि खराब मौसम में उड्डयन के अनुभव की कमी और अनुपयुक्त प्रकाश में जमीन के अत्यधिक निकट उड़ान करने का अभ्यास दुर्घटना के कारण हैं ।

श्री जोकीम अल्वा : वायुयान प्रातःकाल रवाना हुआ था अथवा चन्द्रमा के पूर्ण प्रकाश में रात्रि के समय ?

श्री राज बहादुर : यह लगभग सवा सात बजे सवेरे रवाना हुआ था ।

श्री जोकीम अल्वा : क्या चालक मंडल के पास उपयुक्त लायसेंस थे ?

श्री राज बहादुर : उसमें केवल एक ही प्रशिक्षणार्थी श्री भटनागर थे, जिनके पास लायसेंस था ।

श्री जोकीम अल्वा : क्या वायुयान में वजन सही मात्रा में था ?

श्री राज बहादुर : जी, हां; वजन उचित मात्रा में था । यह उड़ान की एक प्रकार की परीक्षा अथवा अभ्यास था । प्रशिक्षणार्थी को लायसेंस दिया गया था ।

श्री सर्मा : वायु निगम कब तक बनेंगे; सरकार इतनी बड़ी संख्या में कर्टिस कमांडोस इतने सस्ते क्यों दे रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न से यह उद्भव नहीं होता है ।

छपरा तार कार्यालय के लिये हिन्दी तार

*१७६०. **श्री एम० एन० सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या समस्त डाक घरों को उन तार-कार्यालयों की सूची संचारित कर दी गई है जहां से हिन्दी में तार भेजे तथा प्राप्त किये जाते हैं ?

(ख) छपरा तार कार्यालय के लिये बम्बई में तार क्यों नहीं लिये जाते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार परिधि, पटना के डाक महाधिकारिक ने छपरा में हिन्दी तार सेवा प्रारम्भ करने की सूचना नहीं भेजी थी और इसीलिये बम्बई तार कार्यालय इससे अनभिज्ञ थे । अब बम्बई परिधि के समस्त कार्यालयों को समुचित अनुदेश भेज दिये गये हैं । भारत के उन समस्त तार कार्यालयों की सूची छापी जा रही है जहां पर हिन्दी में तार प्राप्त किये जाते हैं अथवा भेजे जाते हैं और यह समूचे देश के कार्यालयों में वितरित कर दी जायगी ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या यह सच है कि जिन स्थानों में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है वहां जनता इसका बिल्कुल उपयोग नहीं कर रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं यह नहीं कह सकता कि इसका बिल्कुल उपयोग नहीं हो रहा है, किन्तु उस सीमा अथवा श्रेणी तक इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है जहां तक हम चाहते थे ।

श्री बंसल : क्या हिन्दी के लिये तार कर्मचारी अलग हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां हम इस कार्य के लिये नगर बाहर के फोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमें इसके लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित तार-कर्मचारी रखने पड़ते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि हिन्दी तारों को दूर प्रेषित करने में अनुचित विलम्ब होता है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं, श्रीमान् । इसके विपरीत हिन्दी तार तो शीघ्र दूर प्रेषित किये जाते हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या हिन्दी में तार भेजने की कीमत अंग्रेजी में तार भेजने से अधिक है ?

श्री राज बहादुर : ऐसा ही है और विकास के संक्रान्तिकाल में यह अनिवार्य है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्रालय ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि कुछ वर्षों में तारघरों से हिन्दी के तार दिये जा सकें ?

श्री राज बहादुर : योजना बनाई तो नहीं है, लेकिन बनाने का विचार तीव्रता के साथ विचाराधीन है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं हिन्दी तार स्वीकार करने वाले तारघरों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री राज बहादुर : लगभग एक सौ ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कांग्रेस अधिवेशन के समय नानल नगर में प्रतिष्ठापित किये गये हिन्दी टली प्रिंटर भारत के किसी अन्य डाकखाने में भी प्रतिष्ठापित किये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : हम व्यापारिक स्तर पर हिन्दी टेलीप्रिंटर निर्मित करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर आ रहे हैं। हमने कुछ पूरे भी किये हैं कुछ समय में हमारा विचार है कि हम विस्तृत पैमाने पर हिन्दी टेलीप्रिंटर प्रयुक्त करेंगे ।

श्री बंसल : अंग्रेजी तारों पर काम करने वाले प्रत्येक तार कर्मचारी की अपेक्षा प्रत्येक हिन्दी तारकर्मचारी के अनुसार हिन्दी तारों का औसत क्या है ?

श्री राज बहादुर : यह आधारित है । यह प्रत्येक स्थान के अनुसार परिवर्तनीय है । श्रीमान्, मैं प्रश्न नहीं सुन सका ।

मद्रास में उत्तर प्रदेश के चावल का मूल्य

*१७६४. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने उत्तर प्रदेश के चावलों के प्रति सिद्धान्तमक मूल्य के विषय में केन्द्र के सम्मुख प्रतिनिधित्व किया है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी हां ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं उत्तर प्रदेश के चावलों के अधिक मूल्य का कारण जान सकता हूं और क्या सरकार संतुष्ट है कि इन चावलों को ऊंचे दर्जे का बताने के अधिकार के सममात्रिक ही उक्त मूल्य है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उत्तर प्रदेश से आने वाले चावल चार किस्म के हैं। देश के किसी भी भाग से प्राप्त होने वाले चावल से केवल पहली किस्म की कीमत ही कुछ अधिक है। इसकी उच्च श्रेणी के कारण ही ऐसा है उत्तर प्रदेश का उच्च श्रेणीय चावल वस्तुतः उच्च है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष देश के अन्य भागों में कितना चावल मिलेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गत वर्ष उन्होंने लगभग ५०,००० टन चावल दिया था । इस वर्ष देश के कमी वाले अन्य राज्यों को उन्होंने अभी तक ३०,००० टन चावल भेजा है ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार ने उत्पादित मूल्य अथवा इन चावलों की कृषि के मूल्य के विषय में जांच की थी जब कि वे अन्य स्थानों में मिलने वाले चावलों से अधिक कीमत वसूल करते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : साधारणतया यह अनुमान दिया जाता है कि भारत में अन्य स्थानों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में चावल पैदा करने में अधिक खर्च आता है ।

श्री एम० एन० लिंगम : क्या यह सच है कि जब दक्षिण तीव्र खाद्या भाव से ग्रसित था उत्तर प्रदेश उससे अपने मांस का हिस्सा मांग रहा था ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । परस्पर आक्षेप नहीं होना चाहिये । मैं नहीं जानता कि यह मांस है अथवा नहीं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चावल का मूल्य आयात किये गये चावल से भी अधिक है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पहली किस्म है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं उत्तर प्रदेश और मद्रास के चावलों के मूल्य का अन्तर जान सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उत्तर प्रदेश के पहले किस्म के चावल लगभग ३२ रु० मन है । मद्रास में यह मूल्य १८ रु० और २० रु० के बीच है ।

श्री के० के० बसु : जहां तक चावल के उत्पादन का सम्बन्ध है, क्या माननीय मंत्री ने यह निर्धारित कर लिया है कि क्या उत्तर-प्रदेश के कृषक वर्ग को भारत के अन्य भागों के किसानों के समान ही लाभ की दर प्राप्त होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न से विपथ हो रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा के चावल का मूल्य उत्तर प्रदेश के चावल से बहुत कम है और उड़ीसा के चावलों के इतने कम भाव पर बिकने का क्या कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जब समाहार मूल्य निश्चित किये गये थे तब समस्त महत्व-पूर्ण तत्व जिनमें उस समय की प्रचलित कीमत भी सम्मिलित है, विचार कर लिया गया था । सामान्य परिस्थितियों में जबकि कीमतों पर नियन्त्रण नहीं था उड़ीसा में चावल के भाव सदैव कम रहते हैं क्योंकि वहां चावल का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक होता है । चार या पांच वर्ष पूर्व जबकि समाहार मूल्य निर्धारित किया गया था उस समय के प्रचलित भाव पर विचार कर लिया गया था । यही स्थिति की व्याख्या है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं की अपेक्षा चावल के लिये अधिक दाम दे रहे हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसीलिये हमने उत्तर प्रदेश में समाहार कार्य समाप्त कर दिया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि परिवर्तित परि-स्थितियों को दृष्टिगत रख कर पांच वर्ष पूर्व निश्चित की गई कीमत को पुनः बदल दिया जाय ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी, हां । हम किन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तन करते हैं । गत वर्ष हमने मद्रास, कुर्ग तथा अन्य स्थानों की समाहार कीमत में परिवर्तन किया था । उड़ीसा में यह स्थिति है कि वे उपकर लगा सकते हैं और इससे होने वाली आय को चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की समुन्नति के लिये उपयोग कर सकते हैं । उन्हें अकेले उपकर से लगभग ४० लाख रुपया मिल जाते हैं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं चावल पर लगाये गये उपकर की मात्रा जान सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: उड़ीसा के बाहर भेजे गये चावल पर आठ आना प्रति मन ।

कुमारी एनी मस्करीन: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या उत्तर प्रदेश को यह विशेषाधिकार है कि वह चावल, शक्कर और वहां पैदा होने वाली प्रत्येक वस्तु के लिये अच्छी कीमत प्राप्त करे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब आरोप क्यों लगाये जा रहे हैं ? माननीय सदस्य के कथनानुसार स्वयं उत्तर प्रदेश के निवासी उत्तर प्रदेश में पैदा होंने वाले प्रथम श्रेणी के चावलों के लिये वही कीमत देते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच है कि राज्य अभिकरण द्वारा यू० पी० में चावल समाहार बन्द कर दिया गया है किन्तु अन्य कोई राज्य यू० पी० के चावल नहीं चाहता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उनमें से यह भी एक कारण है ।

खड़गपुर और अद्रा के रेलवे हस्पताल

*१७६५. **श्री के० के० बसु** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खड़गपुर और अद्रा के रेलवे हस्पतालों में किन्हीं उत्पातों के समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि उक्त संवाद सही है तो इसके लिय कौन उत्तरदाई है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) रेलवे के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कौन हैं तथा उनकी नियुक्ति कब की गई थी; और

(घ) अद्रा और खड़गपुर के हस्पतालों के जिला चिकित्सा पदाधिकारी कौन हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां । खड़गपुर के रेलवे हस्पताल में दो उत्पात हुए थे; इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये वक्तव्य में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध सं० १]**

अद्रा के रेलवे हस्पताल में कोई विवाद नहीं हुआ ।

(ग) रेलवे के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डा० पी० एन० गोखले, एम० बी० बी० एस०, डी० ओ०, डी० ओ० एम० एस०, एफ० आर० सी० एस०, डी० पी० एच० हैं । दिनांक ८ नवम्बर १९४७ को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्थान पर उनकी पदवृद्धि की गई थी; उक्त सामर्थ्य में वह १५ अप्रैल, १९४८ को पुष्ट किये गये थे ।

(घ) अद्रा के जिला चिकित्सा अधिकारी डा०जी०एच०वजे, एम० बी०बी० एस०, एम० एस० हैं और खड़गपुर के जिला चिकित्सा अधिकारी डा० ए० एस० अरोरा, एल० आर० सी० पी०, एल०आर०सी० एस० ई०, एल० आर० एफ० पी० एस०, एल० एम०, डी० टी० एम० और एच०, डी० पी० एच० हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या हम जान सकते हैं कि क्या अद्रा के रेलवे हस्पताल के विशेष रूप से उक्त डाक्टर के सम्बन्ध में यह आरोप था कि उसने हस्पताल के एक मरीज को ठोकर मार दी थी ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास अभी तक यह सूचना नहीं आई है, श्रीमान् ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा० गोखले के दुर्व्यवहार तथा एक व्यक्ति विशेष की ओर किये गये पक्षपातपूर्ण व्यवहार से अनेक चिकित्सा पदाधिकारियों—लगभग दस—ने जो कि उक्त हस्पताल में काम करते हैं गत एक वर्ष में या तो त्याग पत्र दे दिये हैं अथवा नौकरी छोड़ने के लिये विवश कर दिये गये हैं ।

श्री शाहनवाज खां : हमें यह आरोप मान्य नहीं है । इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई स्पष्ट आरोप नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि दस व्यक्तियों ने त्यागपत्र दे दिये हैं अथवा उन्हें त्यागपत्र देने के लिये विवश कर दिया गया है ? सरकार को इसकी सूचना अवश्य होनी चाहिये ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह सही नहीं है । कदाचित्, केवल एक डाक्टर ने त्याग पत्र दिया है किन्तु

वह भी किन्हीं अन्य कारणों से। यद्यपि शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उक्त मामले में जांच की गई थी उक्त महिला डाक्टर ने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कारण त्याग पत्र नहीं दिया किन्तु उसके आधार दूसरे थे।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि निदान शास्त्र के एक विशेषज्ञ डा० सेनगुप्त ने डा० गोखले के व्यवहार से विवश होकर त्यागपत्र दे दिया और उस स्थान पर वस्तुतः एक निम्न श्रेणी के डाक्टर को निदान शास्त्र विभाग सुपुर्द किया गया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस विशेष मामले की हमें कोई सूचना नहीं है। यदि सदस्य की इच्छा है तो मैं इस मामले की जांच करने के लिये प्रस्तुत हूं।

श्री के० के० बसु : यदि इस सम्बन्ध में कतिपय स्पष्ट वृतान्त भेजे जायं तो क्या सरकार जांच कराने के लिये तैयार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले सरकार को लिखें और फिर देखें कि क्या होता है।

डाक सेवाओं का मशीनीकरण

*१७६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को डाक सेवाओं के मशीनीकरण के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये कुछ अंग्रेजी डाक पदाधिकारी भारत आये हैं;

(ख) उक्त पदाधिकारी भारत में कितनी अवधि तक ठहरेंगे; और

(ग) क्या भारत सरकार ने डाक सेवाओं के मशीनीकरण के सम्बन्ध में पहले से ही कोई योजना बनाई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। कोलम्बो योजना की टेकनीकल सहायता के अंतर्गत दो अंग्रेज विशेषज्ञ भारत आये हैं।

(ख) लगभग ९ महीने।

(ग) नहीं, उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही यह किया जायेगा।

श्री बंसल : क्या मशीनीकरण भारत सरकार की नीति के अनुरूप है कि अधिक व्यक्तियों को कार्य नियोजित किया जाय और इसके लिये.....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न अथवा अनुपूरक प्रश्न के रूप में नीति सम्बन्धी विशद प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें।

श्री बंसल : श्रीमान्, यह प्रश्न नीति से सम्बन्धित नहीं है। इसी सदन में हम खादी के विकास के लिये प्रस्ताव पास कर रहे हैं और सरकार डाक सेवाओं का मशीनीकरण करने जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये नीतियां परस्पर अनुरूप हैं।

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि प्रस्तुत नीति डाक सेवाओं को प्रवीण, साधन पूर्ण और द्रुतगामी बनाने के समर्थन में हैं क्योंकि डाक सेवाओं की प्रवीणता का मापदण्ड उनकी गति और कार्य साधन है। इस प्रकार हम दूसरे देशों की डाक सेवाओं की तत्परता और गति के स्तर पर आ जायेंगे। यह असंदिग्ध है कि मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत कम व्यक्ति बेकार होंगे किन्तु इसका परिणाम कर्मचारीवृन्द की बड़े पैमाने पर छटनी नहीं होगी।

डा० राम सुभग सिंह: (ग) भाग के उत्तर से उद्भूत क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा पल्लवित योजना का स्वरूप क्या है। क्या मैं जान सकता हूं कि ये पदाधिकारी मंत्रालय से सम्बन्धित हैं अथवा अलग काम कर रहे हैं ?

श्री राज बहादर : कार्य प्रणाली तो स्वयं विशेषज्ञ तैयार करेंगे। हमारे विभाग से भी एक अध्ययनार्थी संलग्न कर दिया है जो इन पदाधिकारियों के चले जाने के पश्चात् भी हमारी सहायता करेगा।

श्री बंसल : क्या कार्य कुशलता का उक्त मापदण्ड सरकारी विभागों के लिये भी सुरक्षित किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं; प्रत्येक से यह आशा की जाती है।

श्री के० के० बसु : क्या हम यह जान सकते हैं कि क्या डाक सेवाओं के मशीनीकरण के फलस्वरूप विपरीत दिशा में प्रभावित देहाती क्षेत्रों में विस्तार योजना की सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : नहीं, श्रीमान्। योजना के एक भाग को अन्य भाग से पूर्वद्वेषी नहीं होने दिया जायगा।

श्री बंसल : कम किये गये व्यक्तियों को किस प्रकार सन्निहित किया जायगा ?

श्री राज बहादुर : अभी यह कहना समय से बहुत पूर्व है कि यदि कर्मचारी कम किये गये तो उनकी संख्या कितनी होगी।

दिल्ली डाक मोटर व्यवस्था कर्मचारियों की ओर से स्मृति-पत्र

*१७६८. **श्री भीखा भाई** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को दिल्ली डाक मोटर व्यवस्था कर्मचारी संघ की ओर से कोई स्मृति-पत्र मिला है ?

(ख) यदि यह सत्य है तो उक्त स्मृति-पत्र में कौनसी मुख्य कठिनाइयों का उल्लेख है ?

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख)। एक स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है किन्तु वह दिल्ली डाक मोटर व्यवस्था के प्रबन्ध से सम्बन्धित है।

(ग) यह प्रश्न उद्भव नहीं होता है।

श्री भीखा भाई : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कर्मचारी जिन रियायतों का उपभोग कर रहे थे वे इस विभाग द्वारा कब बन्द कर दी गईं ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान् : जैसा मैंने कहा था डाक सेवाओं के संचालक संघ के प्रतिनिधियों से मिले थे और उन्होंने बहुत से विषयों पर चर्चा की थी किन्तु उन्होंने विभाग का अधिक मितव्ययितापूर्ण संचालन करने और उसकी कुशलता पर ही अधिकांश वार्ता की थी।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, एक कठिनाई यह है कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : वह एक गहन प्रश्न है; मैं नहीं सोचता कि उस पर विचार-विमर्श किया गया था।

डाक कर्मचारियों द्वारा रुपया हड़पना

*१७६९. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८ से डाक कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक द्रव्य के दुरुपयोग अथवा हड़पने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के केवल दस या पन्द्रह प्रतिशत मामले ही आवर्षण के रूप में विसर्जित होते हैं; और

(ग) १९५१ और १९५२ में अलग अलग मुकद्दमे बाजी में कुल कितना खर्च किया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

मामलों की वास्तविक संख्या नीचे दी गई है :—

१९४८–४९	२२६
१९४९–५०	३०४
१९५०–५१	४६३
१९५१–५२	५४८

आधर्षण का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

१९४८–४९	२५ प्रतिशत
१९४९–५०	१६८० प्रतिशत
१९५०–५१	१६३० प्रतिशत
१९५१–५२	१३·६ प्रतिशत

(ग) १९५०–५१ और १९५१–५२ में क्रमशः ७,०१३ और ७,५७३ रु० खर्च किये गये हैं।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितनी रकम हड़प की गई है ?

श्री राज बहादुर : १९५१–५२ में यह रकम कुल ४,३१,००० रु० थी।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस रुपये को प्राप्त करने के लिये क्या और भी कोई कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : हम प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रहे हैं। सन् १९४८ में डाकघरों की संख्या २६००० से ४२००० तक बढ़ गई है किन्तु निरीक्षणिक पदों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है : १९४८–४९ में निरीक्षण कर्त्ताओं की संख्या ७१७ थी और १९५१–५२ में यह संख्या केवल ७८६ थी। अतः एक ओर डाक घरों की संख्या में ६० प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि निरीक्षण-कर्मचारी वर्ग में यह वृद्धि केवल ६ प्रतिशत ही हुई।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने प्रतिवर्ष गबन की घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारणों का पता लगाया है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने अभी कहा है कि इसका एक कारण निरीक्षकों की संख्या में उचित वृद्धि का अभाव है। डाकघरों की वृद्धि के परिणामस्वरूप निरीक्षण कर्मचारीवर्ग में वृद्धि आर्थिक संकट के कारण नहीं की जा सकी किन्तु हम इस लिये डाक सेवाओं के विस्तार को नहीं रोक सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान निरीक्षकों का समय नवीन डाकखाने खोलने की योजना आदि पर विचार करने में भी लग गया। तदुपरान्त निवास के प्रश्न ने निरीक्षण और उचित नियन्त्रण के कार्य को और भी कठिन बना दिया है।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन रकमों की प्राप्ति के लिये कानूनी कार्यवाही के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : गत वर्ष हमने इस प्रश्न के विश्लेषण के लिये एक विशेष पदाधिकारी को नियुक्त किया था। उसने कुछ सिफारिशें की हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री के० के० बसु : क्या हम जान सकते हैं कि गबन के मामलों का अनुपात नगरीय क्षेत्रों में अधिक है और क्या वह कर्मचारियों की किसी एक विशेष श्रेणी में भी है ?

श्री राज बहादुर : दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। वस्तुतः देहाती डाकिये इसके लिये अधिक उत्तरदायी हैं क्योंकि मनीआर्डर तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों का दुरूपयोग उनके लिये आसान काम है; अविभागीय पोस्ट मास्टर भी इसके लिये समान रूप से उत्तरदायी हैं इसका कारण निरीक्षण का अभाव है जो कि हमारे लिये कठिन समस्या है।

श्री केलप्पन : श्रीमान्, क्या मैं १९५१–५२ में हड़प की जाने वाली और उसमें से वसूल की गई रकम जान सकता हूं ?

श्री राज बहादुर : मैंने वह रकम अभी बताई है वह ४,३१,००० रु० है।

श्री केलप्पन : वसूल की गई रकम ?

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है मैं रकम नहीं बतला सकता।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन मामलों में गैर सरकारी व्यक्ति भी सम्मिलित हैं अथवा केवल सरकारी कर्मचारी ही सम्बन्धित हैं ?

श्री राज बहादुर : अधिकांश सरकारी कर्मचारी ही हैं; मुझे पता नहीं कि कोई गैर सरकारी व्यक्ति भी इससे सम्बद्ध है या नहीं।

कालका शिमला विभाग पर रेल किराया

*१७७०. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर रेल के कालका-शिमला विभाग का तीसरी श्रेणी का किराया बस के लोअर और ड्योढ़े दर्जे के किराये से अधिक है और रेल के ड्योढ़े दर्जे का किराया बस की अपर क्लास और कार के किराये से अधिक है ?

(ख) क्या उत्तर रेल के कालका-शिमला विभाग में रेल का किराया कम करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : अनुमान है कि माननीय सदस्य का निर्देश कालका और शिमला के बीच के किराये से है और यही बात है तो इसका उत्तर इस तथ्य के अतिरिक्त स्वीकारात्मक है कि रेल के ड्योढ़े दर्जे का किराया कार की प्रथम सीट के किराये से कम है।

(ख) नहीं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि शिमला कालका रेल के प्रति मील के किराये और मैदानी क्षेत्र में चलने वाली रेलों के किराये में क्या तुलना है ?

श्री शाहनवाज खां : इसका अनुपात एक और चार है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकता हूं कि कालका-शिमला रेल का यातायात ऊंचे धरातल की ओर है अथवा निम्न दिशा की ओर ?

श्री बंसल : यह दोनों ओर है—यह अधोमुखी भी है और नीचे की ओर भी।

श्री शाहनवाज खां : यह कहना कठिन है कि किस ओर है। किन्तु तथ्य यह है कि कालका से शिमला जाने में रेल को लगभग छः घंटे लग जाते हैं जबकि बस केवल साढ़े तीन घंटे में पहुंचती है। बसों की लोकप्रियता का यही कारण है।

चलते फिरते डाक घर

*१७७१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब के कुछ नगरों में चलते फिरते डाक घर कार्य कर रहे हैं ?

(ख) यदि नहीं तो क्या उस राज्य के कुछ नगरों में चलते फिरते डाक घर आरम्भ करने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, अब तक सरकार की नीति ५ लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में चलते फिरते डाक घर आरम्भ करने की थी। पंजाब में ऐसा कोई नगर नहीं है। यह प्रश्न कि क्या चलती फिरती डाक व्यवस्था को विस्तृत किया जाए अथवा जहां है वहां जारी रखा जाए, विचाराधीन है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान् जी, क्या यह तथ्य नहीं है कि अमृतसर की जनसंख्या लगभग ५ लाख है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जनसंख्या एक तथ्य है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या यह आवश्यक नहीं कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चलते फिरते डाक घरों का अधिक प्रयोग किया जाए ?

श्री राज बहादुर : मैंने अभी बताया है कि यह पूरा प्रश्न कि क्या चलते फिरते डाक घर ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शहरी क्षेत्रों में फैलाए जाएं अथवा जहां यह विद्यमान हैं वहां भी उन्हें जारी रखा जाए जांचाधीन है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि पांच लाख जनसंख्या वाले कितने नगरों में पहले ही चलते फिरते डाक घर हैं ?

श्री राज बहादुर : बम्बई, अहमदाबाद, पूना, कलकत्ता और हैदराबाद ।

महाबलीपुरम में यात्रिक गृह

*१७७२. **श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार महाबलीपुरम में कोई यात्रिक गृह बनाने अथवा दक्षिण में यात्रिक केन्द्र खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो यात्रिक गृह कब बन जाएगा और यात्रिक केन्द्र कहां खोला जाएगा ?

(ग) यात्रिक केन्द्र का स्वरूप तथा प्रयोजन क्या है ?

(घ) क्या यात्रिक-गृह की रचना का खर्च और उक्त केन्द्र के व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी अथवा राज्य सरकारें ?

(ङ) क्या ट्रावनकोर कोचीन तथा मालाबार सहित केरला में किसी स्थान पर यात्रिक केन्द्र स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ।

(च) दक्षिण भारत में कौन से स्थान हैं जिन्हें भारतीय और विदेशी यात्रियों के लाभ के लिये यात्रिक केन्द्र बनाया जा सकता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) तक । दक्षिण में महाबलीपुरम एक प्रसिद्ध यात्रिक केन्द्र है । तो भी वहां निवास स्थान सम्बन्धी प्राप्य सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं और अब राज्य सरकार ने १·३८ लाख के खर्च से एक विश्राम गृह बनाने की योजनायें तैयार की है । राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि इस विश्राम गृह के व्यय में केन्द्रीय सरकार को अंशदान करना चाहिये । प्रश्न विचाराधीन है ।

(ङ) तथा (च)। भारत जैसे बड़े और पुरातत्व स्मारकों से समृद्ध देश में यात्रियों की रुची के लिये पर्याप्त स्थान नहीं हैं । किसी विशेष स्थान को यात्रिक केन्द्र में परिणत करना स्थान की प्राप्यता और उसे पा सकने पर निर्भर है । किसी विशेष यात्रिक केन्द्र को विकसित करना प्रथमतया राज्य सरकार के लिये विचारणीय है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या रास कुमारी और पेरियार झील को ट्रावनकोर कोचीन में यात्रिक केन्द्र बनाने का विचार है ?

श्री अलगेशन : जैसा मैंने बताया यह प्रथमतया राज्य सरकार से सम्बन्धित है । हमें किसी ऐसी योजना का पता नहीं । सम्भवतः यह राज्य सरकार के विचाराधीन हो ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मैं जान सकता कि क्या ऐडापलियम जैसे स्थान को जहां प्रधान मंत्री हाल में गए थे, पर्याप्त निवास-स्थान उपलब्ध करके यात्रिक केन्द्र बनाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अलगेशन : मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि यह राज्य सरकार को विचार करना है। यदि राज्य सरकार यह समझती है कि इसे यान्त्रिक केन्द्र बनाया जा सकता है तो यह बन सकता है।

फिस्का विकास योजना

***१७७३. श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि मद्रास में फिस्का विकास योजना के अंतर्गत बनाई गई बहुत सी सड़कें काम में नहीं आ सकतीं क्योंकि ये सड़कें जहां रेलवे की पटरी को पार करती हैं वहां लेवेल-क्रासिंग नहीं है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि जनता, पंचायत मंडलियों और अशासकीय सड़क निर्माण समितियों से जिन्होंने ऐसी सड़कें बनाईं थीं, कहा जा रहा है कि वे रेलवे प्रशासन के पास भारी धनराशियां जमा करें यदि रेलवे द्वारा ये क्रासिंग बनवाये जाने हैं और उनका प्रबन्ध चलाया जाना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) फिस्का विकास योजना के अधीन निर्मित सड़कों के कोई विशेष मामले अभी तक लेबल क्रासिंग बनाने के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे प्रशासन को नहीं भेजे गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या यह तथ्य नहीं है कि मलाबार के कलक्टर ने रेलवे प्रशासन को अभिवेदन भेजा था कि [illegible] बस्ती साहे के पास पेरिंगढ़ी नामक स्थान पर, जहां लोगों ने फिस्का विकास योजना के अधीन सड़क बनाई है, एक लेबल-क्रासिंग बनवा दिया जाये ?

श्री अलगेशन : हो सकता है उन्होंने अभिवेदन दिया हो। यदि माननीय सदस्य उसके प्रति विशेष निर्देश करें तो मैं जांच करूंगा।

श्री एन० पी० दामोदरन : गत सत्र में श्री नम्बियार के प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि एक पंचायत मंडली से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पेरिंगढी नामक स्थान पर एक लेवल-क्रासिंग बनवा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ऐसे प्रत्येक अभिवेदन को याद रखें ?

श्री दामोदर मेनन : परन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

श्री अलगेशन : प्रश्न तो फिस्का विकास योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों के विषय में था। मुझे पता नहीं है कि यह लेवल-क्रासिंग उसी के अंतर्गत आता है।

श्री एन० पी० दामोदरन : यह उसी के अंतर्गत आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सभी बातों को स्मरण नहीं रख सकते।

श्री एन० पी० दामोदरन : यह देश लोक कल्याणकारी राज्य है, अतः क्या सरकार इस बात की वांछनीयता पर विचार करेगी कि जनता को सरकार की लागत पर सुविधायें प्रदान की जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री अलगेशन : उन के लिये निश्चित नियमावली है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा जानकारी प्राप्त करने के लिये होता है और माननीय सदस्यों को तक में नहीं पड़ना चाहिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या लेवल-क्रासिंग बनवाने के विषय में कोई नियमावली है ?

श्री अलगेशन उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे सारी किताब पढ़ कर सुनायेंगे ?

सेठ अचल सिंह : क्या गवर्नमेंट यह मुनासिब नहीं समझती है कि जितने रेलवे क्रासिंग्स हैं उनको अंडर-ग्राउण्ड कर दिया जाये जिससे टाइम और मनी (धन) दोनों की सेविंग हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : कहां पर ?

सेठ अचल सिंह : सब जगह ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अंडर-ग्राउण्ड काम जितना कम हो उतना अच्छा है ।

मूंगफली के परिवहन के लिये रेलवे दरों में कमी

*१७७५. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मूंगफली के परिवहन के लिये रेलवे दरों को कम करने का आवेदन-पत्र किस समवाय या समवायों ने दिया था;

(ख) क्या उनके आवेदन-पत्र पर मूंगफली के विषय में दरें दोहराई गईं ;

(ग) यदि हां तो नई दर क्या है;

(घ) क्या उस कारण सरकारी राजस्व में कमी हुई;

(ङ) यदि हुई तो कितनी; और

(च) क्या अन्य तेल-बीजों को भी ऐसी रियायती दरें प्राप्त हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सर्व श्री मोदी खाद्य उत्पाद समवाय सीमित, मोदी नगर, मेरठ जिला ।

(ख) हां, उनके आवेदन पत्र पर रेलवे दर न्यायाधिकरण के उप विनिश्चय के फलस्वरूप ।

(ग) बिना छिलके की मूंगफली पर रेलवे की जोखम पर अब चतुर्थ कोटि की दरें ली जाती हैं और जब वे माल-डिब्बे के हिसाब से भेजी जातीं हैं तब उन पर रेलवे की जोखम पर डबल्यू० एल० एच० के हिसाब से ये दरें होती हैं—चार पहियों का बड़ी लाईन के डिब्बे के लिये ४५० मन की न्यूनतम दर, ४ पहियों के छोटी लाइन के डिब्बे के लिये ३०० मन की न्यूनतम दर और ४ पहियों के संकरी लाइन के डिब्बे के लिये १८० मन की न्यूनतम दर ।

(घ) हां ।

(ङ) लगभग १० लाख रुपये प्रति वर्ष ।

(च) अन्य प्रकार के तैल-बीजों की दरें कम नहीं की गई हैं । मूंगफली की दरें घटा कर अन्य तेल-बीजों की दरों के बराबर कर दी गई हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कमी कब से लागू है ?

श्री शाहनवाज खां : यह कमी १ अक्तूबर १९५१ से प्रभावी है ।

श्री मुनिस्वामी : जब एक रेलवे के विषय में कोई विनिश्चय किया जाता है तब क्या वह सभी रेलवेज़ पर लागू होता है ?

श्री शाहनवाज खां : हां ।

श्री दाभी : क्या यह तथ्य नहीं है कि मूंगफली की रेल-दरों में कमी से घानी के तेल उद्योग की तुलना में मील के तेल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम नीति सम्बन्धी बातों में जा रहे हैं ।

विमान परिवहन

*१७७८. **श्री एस सी० सामन्त** संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हवाई परिवहन की सुरक्षा को

अधिक सुयोग्य बनाने के लिये कौन सी सुधारी हुई अन्तरिक्ष शास्त्रीय प्रक्रिया को अपनाया गया है ?

(ख) इस मामले में अन्तर्देशीय संघटनाओं ने कहां तक सहायता की है ?

(ग) क्या इस मामले में और अधिक उन्नति की आशा की जाती है ?

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) । सदन पटल पर विवरण रखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) जी, हां ।

(घ) ४०,००० और ५०,००० फुट के बीच वायुमंडल सम्बन्धी अन्तरिक्ष शास्त्रीय जानकारी का बताना जहां पर साधारणतया हवाई जहाज उड़ते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं पूछना चाहता हूं कि इस आन्तरिक शास्त्रीय प्रक्रिया के चालू करने से किसी मात्रा में दुर्घटनायें कम हो गई हैं ?

श्री राज बहादुर : इसके चालू होने से किस मात्रा में दुर्घटनायें कम अथवा अधिक हो गई हैं, इसका अनुमान इतने शीघ्र लगाना कठिन है । परन्तु ऐसा विश्वास है कि इस नई प्रक्रिया के प्रारम्भ करने से निश्चित ही उन्नति हुई है और जैसा कि विवरण में दिया है, इसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों ने भी स्वीकार किया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : आई० सी० ए० ओ० द्वारा रखी प्रक्रिया के अनुसार एक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष शास्त्रीय रेडियो-भाषण स्टेशन बम्बई में अगस्त १९५२ में खोला गया था । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई स्टेशन भारत में खोला गया है ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास चार स्थानों पर अन्तरिक्ष शास्त्रीय घड़ियों के कार्यालय हैं अर्थात् बम्बई, देहली, कलकत्ता और मद्रास ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य स्टेशनों में अतिरिक्त तटीय सारांश चार्ट की तय्यारी की जा रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं शिल्पियों की गहराइयों में नहीं जा सकता, परन्तु मैं कह सकता हूं कि जहां तक विमान-चालकों को नियोजित करने का प्रश्न है, इसका पूर्ण रूप से अनुसरण किया जा रहा है । जहां तक उनको लिखित पूर्व निरूपन देने का सम्बन्ध है, इसका भी अनुसरण किया जाता है । विरोधी ऋतु अवस्थाओं की सूचना भेजने का कार्य भी किया जाता है । उड़ते हुए विमानों के चालकों को सूचित करने के लिये ऋतु में परिवर्तन का भी अविरल ध्यान रखा जाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पूना का अन्तरिक्ष शास्त्रीय स्टेशन यह सारी सूचना देने का कार्य नहीं करता ?

श्री राज बहादुर : यह उड़ान से सम्बन्ध रखता है, और इस हेतु से हमारे पास ये चार क्षेत्र हैं ।

हवाई यात्रा में अनुसंधान

*१७८१. **श्री एल० जे० सिंह :** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि **क्या** यह सच है कि कुछ भारतीय मार्गों के साथ अधिक सुखदायी हवाई यात्रा और धक्कों की कमी, अब असैनिक विमान विभाग द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान के कुछ उद्देश्यों में से है ?

(ख) क्या विभाग ने देश के कुछ हवाई मार्गों के ऊपर चलने वाली आंधियों के

उदग्न झोंकों की कोई सामग्री एकत्रित की है ?

(ग) यदि हां, वे क्या हैं और वे ऊपर चाहे कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कहां तक सहायता करेंगे ?

(घ) इस दशा में क्या प्रगति अब तक की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, अनुसंधान का उद्देश्य हवाई नौ परिवहन की अधिक सुरक्षिति है ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) । मैं सूचना देने वाला विवरण सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ३]**

श्री एल० जे० सिंह : मैं उन हवाई मार्गों के नाम पूछना चाहता हूं जिनके ऊपर से उदग्न वायु के झोंके चलते हैं ।

श्री राज बहादुर : निस्सन्देह वायु के झोंके उड़ान में किसी भी हवाई जहाज पर प्रभाव डाल सकत हैं ।

एक माननीय सदस्य : वे हवाई मार्ग जानना चाहते हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल और मनीपुर और आसाम और त्रिपुरा के पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर के हवाई मार्ग उन हवाई मार्गों में सम्मिलित हैं जिनके ऊपर विशेष वायु के झोंके चलते हैं ?

श्री राज बहादुर : मेरे लिये सब विभिन्न हवाई मार्गों का वर्णन करना जिनके ऊपर हम बुरे ऋतु के धब्बे अनुभव करते हैं, कठिन है । परन्तु साधारणतया यह भारतीय ऋतुओं की अवस्था पर निर्भर रहता है । आसाम में वर्षा ऋतु में, और मरु भूमि वाले क्षेत्रों में भी, गजन झंझा और दूसरे झंझे, तथा इसी प्रकार के अनेक परिवर्तन होते रहते हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : विवरण में मैंने देखा कि देहली से कलकत्ता और बम्बई से देहली के मार्ग विख्यात हैं इस दृष्टि से कि, उनके ऊपर धमाके अनुभव किये जाते हैं । उसमें मनीपुर और बंगाल तथा आसाम और त्रिपुरा के हवाई मार्ग सम्मिलित नहीं हैं । क्या मैं समझ सकता हूं कि इन मार्गों पर धक्के कम लगते हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं इस अतिशिल्पिक मामले के बारे में वाद में पड़ने के लिये अपनी अक्षमता को मानता हूं, जो कि अभी भी अनुसंधान का विषय है ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक विमान संघटन ने भारत को इस क्षेत्र में अनुसंधान-कार्य करने में सहायता दी है, और यदि हां, तो कहां तक अनुसंधान किया जा चुका है ?

श्री राज बहादुर : आई० सी० ए० ओ० के पास जितना अनुसंधानिक ज्ञान होता है, उसके अनुसार वे सब देशों की सहायता करती है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हवाई मार्ग कम्पनियों ने, जिन्हें असैनिक विमान के डायरेक्टर जनरल ने वायु के झकोरों के प्रचलन सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिये आदेश दिया था, अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

श्री राज बहादुर : मैं ऐसा नहीं समझता ।

पूर्वी रेलवे द्वारा वैगन बांट में अनियमितता

***१७८२. श्री एच० एन० मुकर्जी :** रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार और पश्चिमी बंगाल की कोयले की खानों से पूर्वी रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे तथा तत्सहायक स्थानों पर बोझ लादने वाले स्थानों की बाट के बारे में आरोपित अनिय-

मितता की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी, हां। मामले पर विचार किया जा रहा है।

राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन

*१७८४. **सेठ अचल सिंह** : (क) **रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक नया प्रस्तावित आगरा का राजा की मण्डी स्टेशन पूरा हो जायगा और उस पर कितना धन खर्च होगा ?

(ख) इसके निर्माण के पश्चात् कितने स्टेशन बन्द हो जायेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) यद्यपि इस समय ठीक ठीक कब तक नवीन राजा की मण्डी स्टेशन पूरा हो जायगा, यह बतलाना सम्भव नहीं है, तो भी इसके १९५५-५६ के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) नवीन स्टेशन वर्तमान राजा की मण्डी स्टेशन के स्थान पर होगा और इस स्थिति में और किसी स्टेशन को बन्द करने का विचार नहीं है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो राजा की मण्डी का स्टेशन बनने जा रहा है इसके लिए कितने रुपये का एस्टीमेट रखा गया है ?

श्री अलगेशन : ९·५ लाख।

तेपिओका का निर्यात

*१७८५. **कुमारी एनी मस्करीन** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ट्रावनकोर कोचीन राज्य में, तेपिआका और तेपिओका दलिया के राज्य से बाहर निर्यात के कारण, अनाज की कमी हो गई है ; और

(ख) क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि राज्य सरकार तेपिओका के निर्यात के विरुद्ध लोगों की शिकायतों की परवाह नहीं कर रही ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) पहली जून १९५२ से कच्चा तेपिओका का राज्य से निर्यात बन्द कर दिया गया है। २१ अक्तूबर १९५२ को तेपिओका का दलिया बनाने और दूसरी औद्योगिक वस्तुओं में परिवर्तन करने, और ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर से पाबन्दी उठा दी गई थी। पाबन्दी उठा देने के उपरान्त कुछ खाद्य सामग्री की कमी की सूचना मिली, परन्तु राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के द्वारा उचित दामों पर तेपिओका को बांटने और भाव पर काबू करने के लिये तभी से कार्यवाही की है।

(ख) जी नहीं।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को पता है कि तेपिओका के इस निर्यात से इस अनाज की प्रति पौंड कीमत बढ़ गई है और निर्धन व्यक्ति तेपिओका, जो उनकी असल खुराक है, को खरीदना कठिन पाते हैं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ट्रावनकोर से कच्ची तेपिओका, जो वहां निर्धन जनता की खुराक है, का अब निर्यात बन्द है। यह अब दूसरे देशों को नहीं भेजा जाता।

कुमारी एनी मस्करीन : मेरा तात्पर्य भारत से बाहर निर्यात का नहीं। मैं दूसरे प्रान्तों को निर्यात करने की ओर निर्देश कर रही हूं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उससे भी पहले से इस पर पाबन्दी है। ट्रावनकोर से केवल कच्ची तेपिओका की बनी हुई वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं यही तो जानना चाहती थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें वाद विवाद नहीं पड़ना चाहिये।

कुमारी एनी मस्करीन : तेपिओका की स्तुयें इतनी अधिक निर्यात की जाती हैं और मैदा बनाया जाता है कि लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार ने इस को दूर करने अथवा इसे बन्द करने के लिये कोई कदम उठाये ?

श्री नामधारी : तेपिओका क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : तेपिओका एक जड़ वाली फसल है, जो मानवी उपभोग के लिये प्रयोग में आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्पष्टतया पूछना चाहते हैं कि जब तेपिओका निर्धन लोगों की खुराक है, तो क्यों इसे दूसरे पदार्थों में बदलने और विभिन्न रूपों में निर्यात करने की आज्ञा दी जाती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस देश में अतीत काल से इस तेपिओका से दूसरे पदार्थ, अर्थात् मैदा आदि बनाये जाते थे, परन्तु एक वर्ष पीछे तेपिओका से दूसरे पदार्थ बनाने पर पाबन्दी लगी हुई थी। उसका परिणाम यह हुआ कि ट्रावनकोर में तेपिओका के जमा हो जाने से भाव आर्थिक भावों से भी बहुत नीचे गिर गये। इसका कुप्रभाव तेपिओका की उपज पर भी पड़ा। मैं आपको इसके आंकड़े भी दे सकता हूं । १९५१ में उपज १३ लाख टन थी, १९५२ में १४ लाख और १९५२–५३ में पाबन्दी होने के कारण ८ लाख टन हो गई। जो कि ६ लाख टन की कमी थी, क्योंकि कृषिक उसी फसल पर चिमटते हैं, जिससे उन्हें अधिक धन मिले, और खेती अनार्थिक भाव के कारण खराब हो गई।

श्री ए० एम० टामस : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि निर्यात की आज्ञा डा० पी० जे० थौम्स की अध्यक्षता में बैठी समिति की सिफारिशों के अनुसार दी गई थी, जो कि भारत सरकार के पूर्व आर्थिक परामर्शदाता थे, और जो समिति इस बात की जांच करने के लिये निर्माण की गई थी कि तेपिओका मैदा का निर्यात वांछनीय है अथवा नहीं। और सरकार ने उस समिति की सिफारिशों का ही अनुसरण किया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं। जब भाव आर्थिक भाव से नीचे गिर गये, देश में इतना अधिक दबाव था कि सरकार को एक समिति का निर्माण करना पड़ा । और तेपिओका जांच समिति सारे मामले की गहराई में पहुंची, और उस समिति की सिफारिशों के अनुसार तेपिओका पदार्थों और उससे बनाई जाने वाली सामग्री के निर्यात पर से पाबन्दी उठा दी गई।

श्री ए० एम० टामस : मैं इससे आगे पूछना चाहता हूं कि क्या पाबन्दी तब उठाई गई, जब ऐसा जान लिया गया कि कई बागों में जहां तेपिओका की खेती खड़ी थी, बाग वाले मांग की कमी के कारण और भावों के बहुत कम होने के कारण उनको बेचने में असमर्थ थे।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, यह ठीक है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को एक साथ ही प्रश्न पूछने प्रारम्भ नहीं कर देने चाहियें।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार के ध्यान में यह आ गया है कि राज्य सरकार इस मामले

में एक व्यवस्थित नीति के बिना ही पाबन्दी लगाती और उठाती रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केवल एक ही बार तेपिओका जानकारी समिति की सिफारिशों पर पाबन्दी उठानी पड़ी थी।

श्री बंसल : तेपिओका का यह प्रश्न सदन में बार बार उठाया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री इसका एक नमूना सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या तेपिओका पदार्थों का भाव दूसरी मैदा खुराक के पदार्थों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं वह देने में असमर्थ हूं।

जनवरी १९५२ में भाव ६ रुपये प्रति मन था, जबकि दिसम्बर १९५२ में ४ रुपये प्रति मन था। यह गिर गया है, बढ़ा नहीं है।

श्री थानू पिल्ले : मैं पूछना चाहता हूं कि इस तेपिओका निर्यात का कितना भाग निर्धन व्यक्ति की खुराक के लिये चावल के आयात से पूरा किया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने ट्रावनकोर-कोचीन को इस वर्ष तीन लाख टन चावल के लगभग अधिक दिये हैं। हमने पिछले वर्ष इतना नहीं दिया था। इस वर्ष हमने अधिक चावल दिये हैं।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार इस प्रश्न की ओर ध्यान देगी और ट्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार को एक निश्चित नीति का अनुसरण करने का आदेश देगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य के लिये सुझाव है।

श्री पुन्नूस : क्या अनुसरण करने के लिये कोई प्रस्ताव है, जिसके द्वारा छोटे कृषिक और निर्धन उपभोक्ता की सहायता हो सके ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम इस मामले में विचार करेंग।

असैनिक विमान चालक

*१७८६. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या असैनिक विमान चालकों के प्रशिक्षण की पूछताछ के लिये नियुक्त की गई एम० ए० मास्टर समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण निष्पादित हो गया है ?

(ख) क्या सरकार प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

(ग) ३१ मार्च १९५३ तक कित विमान चालक बेकार हैं और उन के पास कौन सी अनुज्ञप्ति है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) १८ फरवरी १९५३ को एन० एम० लिंगम के अतारांकित प्रश्न १५३ के उत्तर में जैसा बताया गया समिति की मुख्य सिफारिशों को शीघ्र प्रकाशित करने का विचार है।

(ग) जहां तक असैनिक विमान विभाग को ज्ञात है, प्रचलित 'बी' अनुज्ञप्तियों वाले १२० विमान चालक हैं जो अभी बेकार हैं

श्री पुन्नूस : मुझे प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर सुनाई नहीं दिया।

श्री राज बहादुर : जहां तक असैनिक विमान विभाग को ज्ञात है प्रचलित 'बी' अनुज्ञप्तियों वाले १२० विमान चालक हैं जो अभी बेकार हैं।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि यह समिति कब नियुक्त की गई ?

श्री राज बहादुर : यह कभी पिछले वर्ष नियुक्त की गई थी। मैं ठीक तिथि नहीं बता सकता।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि समिति ने यह प्रतिवेदन कब भेजा था ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, लगभग जनवरी में ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या असैनिक विमान विभाग के पास कोई योजना है जिस द्वारा इन बेकार विमान-चालकों को नियुक्त किया जाय और क्या वे वायु मार्गों के साथ य जानने के लिये सम्पर्क रखते हैं कि क्या वहां कोई रिक्तियां हैं ?

श्री राज बहादुर : हम उन की जितनी भरसक सहायता कर सकते हैं करते हैं । हम ने अपनी ओर से सहायक हवाई अड्डा अधिकारियों की नौकरियों में भर्ती के लिये शर्तों और योग्यताओं में कमी कर दी है । पूर्व प्रबन्ध यह था कि केवल वे विमान-चालक चुने जा सकते थे जिन्हों ने १००० घंटे हवाई यात्रा कर ली थी। अब २०० घंटे की हवाई यात्रा वाले विमान-चालक जिन के पास इंटरमीडियेट विज्ञान की डिग्री है, वे भी नियुक्त किये जा सकते हैं । इस के परिणाम स्वरूप उन में से कुछ को नियुक्त किया जा चुका है ।

श्री के० सी० सोधिया : उन के अतिरिक्त जो बेकार हैं, अब कितने विमान चालक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : मेरे लिये पुष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : मास्टर समिति ने इस कार्य में कुल कितनी धनराशि व्यय की ?

श्री राज बहादुर : ७७,००० रुपये ।

श्री जी० पी० सिन्हा: इस देश में कितने विदेशी विमान चालक नौकर रखे हुए हैं ?

श्री राज बहादुर : उन की संख्या २० से कम है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि सरकार मास्टर समिति के प्रतिवेदन के परीक्षण को पूरा करने में कितना समय लगाएगी ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि समिति के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक की टिप्पणी पहले प्राप्त नहीं हुई थी । यह हमें पिछले सप्ताह में ही अथवा उस से पूर्व के सप्ताह में मिली है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या ये विमान चालक जो इस समय नौकर नहीं हैं विमान निगम के कर्मचारी समझे जायेंगे जब उस का राष्ट्रीयकरण हो जायगा क्योंकि सरकार को प्रशिक्षण का आधा व्यय देना होगा ?

श्री राज बहादुर : यह कैसे संभव है कि उन्हें जो इस समय विमान समवायों में नौकर नहीं हैं उन्हें उस समय विमान निगम के नौकर समझा जाए जब, वह बनाया जाए ?

श्री जयपाल सिंह : क्या यह तथ्य है कि मास्टर समिति का यह महत्वपूर्ण सदस्य स्वयं असैनिक विमान विभाग के संचालक ही हैं जो अब डी० जी० सी० ए० नहीं रहे ?

श्री राज बहादुर : मेरे लिये नाम बताना उचित नहीं है ।

श्री पुन्नूस : इस समय सूची में बेकार विमान-चालकों की संख्या का ध्यान रखते हुए क्या यह सरकार के विचाराधीन है कि प्रशिक्षण के लिये नई भर्ती की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाया जाए ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं । हम उड़ान को प्रोत्साहन देना चाहते हैं परन्तु इसे हम ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की स्वेच्छा पर छोड़ देते हैं

जो उड़ान वृत्ति को अपनाना चाहते हैं। यह हम उन के स्व-निर्णय पर छोड़ देंगे।

अखिल भारतीय अनुसचिवीय कर्मचारी वृन्द सन्था

*१७८७. **श्री झूलन सिन्हा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द संथा को किन आधारों पर स्वीकृति नहीं दी गई ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द सन्था को स्वीकृति न देने का कारण यह है कि रेलवे पर्षद की यह नीति नहीं कि विभागीय संघों को स्वीकृति दी जाए।

श्री झूलन सिन्हा : इस विषय का ध्यान रखते हुए मैं जान सकता हूं कि द्वितीय श्रेणी के रेलवे अधिकारियों की सन्था और स्टेनोग्राफरों की सन्था को पहले ही स्वीकृति दी गई है।

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान् जी, वह ऐसा है परन्तु वे नियम जिन के अधीन केन्द्रीय सरकार के द्वितीय श्रेणी के घोषित पदाधिकारियों को स्वीकृति दी जाती है उन से भिन्न है जो अघोषित पदाधिकारियों पर लागू होते हैं।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या ये सन्थाएं विभागीय हैं अथवा नहीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : सन्था और संघ में अन्तर है। सन्थाएं सामान्यत: घोषित अधिकारियों द्वारा बनाई जाती हैं। उन्हें सन्थाएं बनाने का अधिकार है परन्तु सन्थाएं केवल अभ्यावेदन भेज सकती हैं जब कि संघ मांगें कर सकते हैं और विषय के लिये आग्रह कर सकते हैं। वे रेल प्राधिकारियों और रेल पर्षद के साथ समझौता वार्तालाप कर सकते हैं। जहां तक अघोषित पदाधिकारियों का सम्बन्ध है वे संघ बना सकते हैं। सन्थाओं को स्वीकृति दी जाती है। परन्तु संघों के सम्बन्ध में हम ने यह नियम बनाया है कि हम विभागीय संघों को न तो प्रोत्साहन देते हैं और न ही स्वीकृति देते हैं।

उत्तर प्रदेश में चावल समाहार

*१७८८. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कि क्या उत्तर प्रदेश में राज्य अभिकरण द्वारा धान समाहार बन्द कर दिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस के क्या कारण हैं ?

(ग) उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त चावल का क्या अनुमान है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के चावल का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है जो कि कई अवसरों पर सदन में प्रश्नों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, प्राप्त करने वाले राज्य अधिक मूल्य देने के लिये तैयार नहीं।

(ग) वे आंकड़े प्राप्त नहीं हैं जिन के आधार पर अतिरिक्त का ठीक अनुमान लगाया जा सके परन्तु यह प्रत्याशा थी कि वर्ष भर में ४०,००० टन का समाहार किया जाएगा।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या देश में कोई अन्य राज्य है जहां सरकारी अभिकर्तत्व द्वारा कोई समाहार नहीं होता ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : विभिन्न प्रांतों में समाहार प्रणाली भिन्न है। उड़ीसा में यह सरकार द्वारा होता है, मध्य प्रदेश म

यह व्यापार पर एक आरोपण है । अन्य बंगाल इत्यादि राज्यों में यह कारखानों और व्यापार दोनों पर आरोपण है । इस प्रकार विभिन्न राज्यों में समाहार प्रणाली विभिन्न है ।

श्री ए० एम० टामस : मेरा यह प्रश्न नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है कि प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर जो उपमंत्री ने दिया है कहां तक प्रासंगिक है ? प्रश्न उत्तर-प्रदेश में राज्य अभिकरण द्वारा धान समाहार के सम्बन्ध में है । अन्य राज्यों के मूल्य इस से क्या संबंध रखते हैं ? क्या उत्तर-प्रदेश सरकार ने ये कारण बताए हैं जो प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में यहां दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न के (ख) भाग का यह उत्तर किस प्रमाण के आधार पर दिया गया है और यह कहां तक प्रासंगिक हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अप्रासंगिक नहीं है । माननीय सदस्य लाभ उठाते हैं, उन में कुछ सामान्यतः नहीं---मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं---जब कभी कोई प्रश्न किसी विशेष राज्य में विशेष विषय के सम्बन्ध में पूछा जाता है तो तुरन्त पूछा जाता है कि उस के राज्य में क्या होता है । यह प्रश्नों का क्षेत्र है । मैं इन प्रश्नों की अनुज्ञा देता रहा हूं क्योंकि वे खाद्य सामग्री से सम्बन्ध रखते हैं क्योंकि सब अभिरुचि रखते हैं और विशेषतः जब माननीय मंत्री के पास कुछ सूचना हो । अब से मैं देखूंगा कि ऐसे कोई प्रश्न न पूछे जाएं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : मेरा विषय केवल यह था । सम्भवतः आप मुझे ठीक से समझ नहीं सके । प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में राज्य अभिकरण द्वारा समाहार प्रणाली को छोड़ देने के क्या कारण हैं । अवश्य ही राज्य के अपने कारण होंगे मैं उस का उत्तर जानना चाहता हूं । यह प्रश्न था । उत्तर में राज्य के कारण नहीं बताए गए वरन् भारत सरकार के कारण बताये गये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं कारण दूंगा । उत्तर प्रदेश में केवल राज्य के प्रत्युत्क्रम के कारण ही समाहार नहीं समाप्त हुआ वरन् हम लोगों के प्रत्युत्क्रम के द्वारा भी । अतः मैं ने उत्तर प्रदेश में समाहार रोकने के कारण बताये हैं ; प्रथम कारण तो यह है कि प्राप्त करने वाले राज्य इतना महंगा चावल लेने से अनिच्छा प्रकट करते हैं और दूसरा कारण यह है कि वे उत्तर प्रदेश के कमी वाले जिलों का शोषण करना नहीं चाहते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : मेरा अनुपूरक प्रश्न समाहार के तरीके के सम्बन्ध में नहीं था । मेरा प्रश्न था कि क्या देश में कोई दूसरा राज्य भी ऐसा है जहां आधिक्य है और समाहार सरकारी अभिकरण के द्वारा नहीं किया जाता है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं । कोई भी राज्य यहां ऐसा नहीं है जहां आधिक्य हो और समाहार न किया जाता हो । हम सभी आधिक्य वाले राज्यों में समाहार करते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : यानी सरकारी अभिकरण के द्वारा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बिल्कुल सरकारी अभिकरण द्वारा नहीं । कुछ स्थानों में सरकारी अभिकरण द्वारा, कुछ अन्य स्थानों में अर्द्ध-सरकारी और कुछ अन्य स्थानों में व्यापार पर कर लगा कर समाहार किया जाता है । यही मैं ने उत्तर में कहा था ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में चावल का मूल्य व्यक्ति-

गत अभिकरण द्वारा समाहार के कारण अधिक है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं । उत्तर प्रदेश में प्रचलित बाज़ार मूल्य अपनी बढ़िया किस्म के कारण भारत के अन्य स्थानों से सदैव अधिक रहता है । मैं एक चीज़ और माननीय सदस्यों की सूचना में लाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में केवल एक ही चावल की किस्म ऐसी है जो दूसरी किस्मों से महंगी है, अन्य किस्मों का मूल्य देश के अन्य भागों में मूल्य के समान ही है । यह देहरादून का चावल है, जो लगभग एक कल्पना है, एक बहुत बढ़िया किस्म का है, जो महंगा होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह लगभग एक दर्जन बार तक उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री पुरुषोत्तम : एक प्रश्न है, श्रीमान् !

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । यह बार-बार पूछा जा चुका है । अगला प्रश्न ।

ट्यूब-वैल्स

*१७८९. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री केन्द्रीय ट्यूब-वैल्स सब-डिवीज़न द्वारा निर्मित किये गये नल कूपों की कुल संख्या तथा उस पर लगी लागत बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) "एसोशियेटेड ट्यूब वैल्स" द्वारा तथा अन्य विदेशी फ़र्मों के द्वारा किस मूल्य पर नलकूप निर्मित किये जाते हैं ?

(ग) क्या इस कार्य को विदेशी फ़र्म को सौंपने के पूर्व भारतीय फ़र्मों को पूर्ण अवसर दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) २४ नलकूप १६० फुट औसत गहराई के ट्यूब वैल्स उप-विभाग द्वारा १,४३,२८६ रुपये की लागत पर निर्मित किये गये हैं जो नलकूपों, उनकी स्थापना, क्षति तथा गढ़ा करने वाले अस्त्रों की रक्षा आदि पर किया गया व्यय प्रदर्शित करता है । इस व्यय में पम्प-सेट तथा परिवर्तक का मूल्य नहीं सम्मिलित है ।

(ख) २९,००० रु० प्रमाप नलकूप की लागत है जो ३०० फुट गहरा है तथा जिसमें पम्प-सेट तथा परिवर्तक भी लगाये गये हैं ।

(ग) हां ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कार्य न लाभ और न हानि के आधार पर किया गया था, और यदि नहीं तो कुल कितनी हानि हुई है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह न लाभ और न हानि के आधार पर किया गया है । कोई हानि इसमें नहीं हुई है ।

श्री टी० एन० सिंह : प्रश्न के खण्ड (ग) के उत्तर के संबंध में क्या मैं जान सकता हूं कि यह तथ्य है कि क्या एसोशियेटेड ट्यूब वैल्स से भारत सरकार के उदाहरण स्वरूप बिना निर्देश किये कि उसी मूल्य या कम मूल्य पर दूसरी फ़र्में कितना कार्य करने को तत्पर थीं; उत्तर प्रदेश में नलकूप निर्मित करने के लिये कहा गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री दाभी : क्या मैं एक नलकूप द्वारा सिंचित औसत क्षेत्र जान सकता हूं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह नलकूप की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ स्थानों में यह कूप २५० या ३०० एकड़ क्षेत्र सींचता है। उदाहरण के लिये गाज़ियाबाद के निकट कुछ नलकूप, यहां से १५ मील दूर पर एक स्थान है वहां २५० से ३०० एकड़ भूमि सींची जाती है। वहां एक नलकूप की क्षमता ४०,००० गैलन प्रति घंटा है। नलकूप की क्षमता वह कितना पानी उठा सकता है इस पर निर्भर करती है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वे फ़र्में कौन सी हैं जिन को वे नलकूप निर्मित करने का अवसर दिया गया था जो सहायक ट्यूब वैल्स को निर्माण के लिये दिये जा चुके थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वे सभी विदेशी कम्पनियां हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं उन्हीं कम्पनियों के नाम जानना चाहता हूं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : एसोशियेटेड ट्यूब वेल्स २५०; जर्मन वाटर डेवलपमेंट कारपोरेशन ५०० नलकूप; उत्तर प्रदेश में हेराल्ड टी० स्मिथ २००, पंजाब में २५५ तथा पेप्सू में ३००.

श्री टी० एन० सिंह : एसोशियेटेड ट्यूब वेल्स को पंजाब और पेप्सू में नलकूप निर्माण से कोई मतलब नहीं था। वे सभी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में थे। मैं समझता हूं कि उत्तर असंगत तथा असत्य है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य को इसे असंगत तथा असत्य कहने का अधिकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। माननीय सदस्यों को निन्दा नहीं करनी चाहिये । कभी-कभी माननीय मंत्रीगण बार-बार पूछे गये प्रश्नों या अनपूरकों को बचाने की दृष्टि से, यथा-सम्भव पूर्ण उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी वे जो आशा करते हैं, अनहर्ता समझी जाती है ।

श्री टी० एन० सिंह : मेरा निवेदन केवल नलकूप के प्रश्न से संबंधित था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सभापति का ध्यान असंगति की ओर आकर्षित करना चाहिये तथा स्वयं ही नहीं निश्चित करना चाहिये कि यह संगत है या असंगत ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि एसोशियेटेड ट्यूब वेल्स नलकूप खोदने वाले पम्पों का निर्माण स्वयं कर रहे हैं अथवा विदेशों से आयात कर रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई की भारतीय नलकूप कम्पनी ने —मुझे उसका नाम स्मरण नहीं है— उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिये टेण्डर भेजे थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केवल तीन भारतीय कम्पनियों ने टेण्डर जमा किये थे। मुझे नहीं पता कि यह बम्बई की कम्पनी भी उनमें से एक है या नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कम्पनियों में से किसी कम्पनी का उस क्षेत्र में एकाधिकार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कोई एकाधिकार नहीं ।

श्री के० के० बसु : जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है क्या विभिन्न कम्पनियों द्वारा नलकूपों का निर्माण व्यय एक ही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रसंविदा एक ही है अर्थात् प्रत्येक नलकूप के लिये २९,००० रु० प्रत्येक नलकूप का निर्माण व्यय भूमि की स्थितियों पर निर्भर करता है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास देश की आवश्यकतानुसार नलकूपों का पूरा विवरण है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस संबंध में ट्रावनकोर कोचीन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सदन स्थल पर ही पहले ही कहा जा चुका है, कि भारत तथा अमरीका के बीच इस देश के विभिन्न भागों में पानी की पूर्ति उपलब्ध करने के

लिये अन्वेषण करने के संबंध में एक समझौता किया गया है। ट्रावनकोर-कोचीन में भी लगभग ५ नलकूप खोदे जायेंगे। अधिक कूप खोदे जाने की संभावना पर अन्वेषण किया जायेगा।

श्री थानू पिल्ले : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। क्या "असंगत" नामक टिप्पणी वापस ले ली गई है या ज्यों की त्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ मैंने कहा दोनों ही रहेंगे।

श्री थानू पिल्ले : क्या मैं जान सकता हूं कि उस शब्द का प्रयोग असंगत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि मंत्री का स्पष्टीकरण या उत्तर असंगत था। तब मैं ने संकेत किया था कि माननीय सदस्यों को असंगति स्वयं ही नहीं तय कर लेनी चाहिये, वरन् केवल सभापति का ध्यान आकर्षित करना चाहिये। मामला यहीं समाप्त हो जाता है। यही समादेश भविष्य में भी रहेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंजन ड्राइवर तथा खलासी

*१७६१. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इंजन ड्राइवरों तथा खलासियों को जो एक सी गाड़ियों में काम करते हैं और जिन्हें नौकरी करते उतना ही समय हुआ है, मैट्रिक पास तथा नहीं पास लोगों को एक ही आधार पर विभिन्न वेतन-क्रम दिया जाता है और यदि ऐसा है, तो क्यों ;

(ख) क्या इस असमानता के विरुद्ध उनमें असन्तोष है, और यदि ऐसा है, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ;

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि केन्द्रीय वेतन आयोग क्रमों के कार्यान्वित होने से इंजन में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों पर उल्टा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि ऐसा है, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). हां। यह इसलिये है कि मैट्रिकुलेशन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीधे उच्च श्रेणी के खलासियों को भर्ती करने तथा ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति करने के लिये अलग मार्ग चालू कर देने के कारण कर दिया गया है। यह प्रशासनीय दृष्टि से इंजन में काम करने वालों को उच्च निरीक्षक पदों पर उन्नति करने के लिये आवश्यक था। अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया था। कठिनाई के यथार्थ कारण दूर कर दिये गये हैं।

(ग) नहीं। इंजन में काम करने वालों के वेतन क्रम तथा कुल उपलब्धियों में, केन्द्रीय आय आयोग के क्रम कार्यान्वित हो जाने के परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से लगभग मामलों में, उन्नति हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा

*१७६२. **श्री नम्बियार** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की रेलवे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा करने से इन्कार कर दिया गया है और यदि ऐसा है, तो कब से और क्यों ?

(ख) रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों को चिकित्सा सहायता देने की प्रणाली जहां तक स्वीकृत सहायता का संबंध है, स्पष्ट रूप से किस प्रकार कार्य करती है ?

(ग) प्रति हजार कर्मचारियों को कितने औषधालय तथा डाक्टर उपलब्ध हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं। रेल कर्मचारियों के आश्रित डाक्टरी देख रेख तथा चिकित्सा के अन्तर्गत, उनकी पत्नियां, बच्चे तथा सौतेले बच्चे जो उनके साथ रहते हैं तथा पूर्णतया उन्हीं पर आश्रित हैं, रेलवे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा कराने के लिये उसी स्तर तथा शर्तों पर अधिकार रखते हैं जिन पर रेल कर्मचारी स्वयं।

(ख) रेल कर्मचारी तथा उनके परिवार वालों को उसी स्तर तथा शर्तों पर डाक्टरी सहायता मिल रही है जैसी कि कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू है, जो मुख्यालय में नियुक्त हैं। रेल औषधालयों से संबंधित सहायक सर्जनों द्वारा निकटतम स्टेशन के स्टेशन-मास्टर से सूचना प्राप्त होते ही रोगी को उसके निवास स्थान के निकट वाले स्टेशन पर ही सहायता पहुंचाई जाती है, किन्तु यदि अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होती है, तो उसका प्रबन्ध भी कर दिया जाता है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा है ।

विवरण

प्रत्येक रेलवे पर प्रति १००० कर्मचारियों के लिये उपलब्ध औषधालय तथा डाक्टरों की संख्या :

रेलवे	चिकित्सालय	डाक्टर
	(प्रति १००० कर्मचारियों के पीछे)	
केन्द्रीय	०.३७	०.४५
पूर्वी	०.४२	१.००
उत्तरी	०.५६	१.०७
उत्तर पूर्वी	०.७०	१.५०
दक्षिणी	०.६०	१.००
पश्चिमी	०.५७	१.००

दक्षिण रेलवे के जहाजों पर कार्य करने वाले कर्मचारी

*१७६३. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे द्वारा चालित उन दो जहाज़ों पर जो धनशकोती तथा तालिआमन्नेर के बीच चलते हैं, उन पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी सम्बन्धी वही शर्तें हैं जो कि रेलवे कर्मचारियों की हैं ;

(ख) क्या अनुशासन सम्बन्धी नियम, अधिसेवा सुरक्षा आदि आदि भी वैसी ही हैं ; और

(ग) क्या अभी हाल में नौवहन अधिनियम के अधिसेवा समझौते के आधार पर कुछ कर्मचारियों को ६ महीने की अधिसेवा के उपरान्त नौकरी से अलग किया गया है। यदि यह ठीक है, तो कितने कर्मचारियों को तथा क्यों अलग किया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) तालिआमन्नेर तथा धनशकोती घाट अधिसेवा के कर्मचारी गण छुट्टियों एंव अवकाश; भविष्य निधि के लिये अंशदान, पास सुविधायें, वेतन क्रम आदि के मामले में रेलवे अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, तथा नौकरी करने, खाद्यान्न संभरण, अनुशासन, अधिसेवा सुरक्षा, वेतन वितरण आदि आदि के बारे में भारतीय व्यापारी नौवहन अधिनियम १९२३ के अनुबन्धों से शासित होते हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

त्रिचूर रेलवे स्टेशन

*१७६६. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर रेलवे स्टेशन पर आजकल सामान उतारने के लिये जो प्रभार लिया जाता है वह साधारण प्रभार से अधिक है ;

(ख) क्या माल गोदाम को विस्तृत करने के लिये जनता ने अभ्यावेदन किया था; और

(ग) क्या कई वैगन क्षेप्य लोहा माल-गोदाम में रोक लिया गया था, यदि यह ठीक है तो कितने दिन के लिये ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी ।

(ख) जी ।

(ग) जी; ५ वैगन का माल जो मोटर गाड़ियों के भाग थे त्रिचूर स्टेशन पर नवम्बर १९५१ में दिल्ली, बेलगुरिया, और बुथरोला से आया जो रेल को अवैध घोषणा तथा कम तोल की धोखाघड़ी में मद्रास के विशेष पुलिस स्थापन की जांच के कारण लम्बित रहने से हुआ ।

सतन में डाक गाड़ी का अवरोध

*१७७४. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि फर्वरी १९५३ में उत्तर रेलवे के सतना स्टेशन पर एक डाकगाड़ी को एक घंटे तक रोका गया था ?

(ख) उसके रोकने का क्या कारण था तथा उसका उत्तरदायित्व किस पर है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ; यदि हां तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी। ८ अप कलकत्ता बम्बई डाक गाड़ी २२ फरवरी १९५३ को केन्द्रीय (उत्तर रेलवे नहीं) रेलवे के सतना स्टेशन पर ७० मिनट तक रोकी गई थी ।

(ख) इस अवरोध का कारण सतना स्टेशन मास्टर को लागरगीवान स्टेशन से आगे भेजने के लिये लाइन खाली नहीं मिली क्योंकि उस स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर उस समय स्टेशन पर उपस्थित नहीं थे ।

(ग) जी ! जांच के आधार पर लागर गावान के स्टेशन मास्टर को बिना आज्ञा के काम पर से अनुपस्थित होने तथा स्टेशन पर न रहने के कारण तुरन्त ही निलम्बित कर दिया गया ।

रेल की पटरियों के ऊपर तथा नीचे के पुल

*१७७६. **श्री एस० वी० रामास्वामी** : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल की पटरियों के ऊपर तथा नीचे के पुलों को बनाने के सम्बन्ध में क्या नियम है ?

(ख) इन पुलों के निर्माण कार्य में सरकार कहां तक भाग लेती है ?

(ग) क्या सरकार को उन गम्भीर असुविधाओं का ज्ञान है जो जनता को विशेष रूप से म्युनिसिपल सीमाओं में फाटक बनाने से होती हैं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि सलेम मार्केट स्टेशन के निकट पटरी के ऊपर पुल बनाने का प्रश्न रेलवे अधिकारियों के सम्मुख लगभग पिछले २० वर्षों से है, यदि यह ठीक है, तो यह कार्य कब कार्यान्वित किया जायगा।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). रेल की पटरियों के ऊपर तथा नीचे पुल बनाने संबंधी नियम भारतीय रेल सामान्य संहिता के पैराग्राफ़ १११७ से ११२२ में लिखे हैं जिस की प्रतिलिपि संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) जी। बहुत से मामलों के बारे में सूचना मिली है ।

(घ) प्रांतीय सरकारों को कहा गया था कि वे इन फाटकों के स्थान पर पटरियों के ऊपर तथा नीचे पुल बनाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के अनुसार सूची तैयार करें। इन पर होने वाले व्यय में उपरोक्त नियमानुसार हिस्सा बांटा जाता है। सलेम मार्केट स्टेशन के निकट फाटक को पुल द्वारा परिवर्तित करने के प्रश्न को मद्रास सरकार द्वारा प्राथमिकता के अनुसार बनाई गई सूची में १०वां स्थान मिला है। अतएव इसका नम्बर तो इससे पहिले प्राथमिकता पाये हुए मामलों को तिपटाने के उपरान्त ही आयगा।

अन्तर्देशीय जल यातायात विशेषज्ञ का प्रतिवेदन

*१७७७. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा ब्रह्मपुत्र जल यातायात मंडल ने अपनी पिछली बैठकों में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी व्यवस्था के अन्तर्देशीय यातायात विशेषज्ञ श्री जे० सूरी के प्रतिवेदन पर विचार किया था ?

(ख) प्रस्ताव क्या थे ?

(ग) प्रान्तीय सरकारों के तथा भारत सरकार के कितने कितने प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया ?

(घ) उन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की जायगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री श्री अलगेशन) : (क) जी।

(ख) श्री सूरी की तीन मुख्य सिफ़ारिशों तीन योजनाएं कार्यान्वित करने के बारे में हैं।

(१) गंगा और घाघरा के उचले पानी में माल लदी नाव, तथा नावों के चलाने सबंन्धी संभावित जांच के लिए एक अग्रगामी परियोजना बनाना।

(२) आसाम की दिहिंग तथा सबनसीरी नदियों में ऐसी ही अग्रगामी परियोजना बनाना।

(३) ब्रह्मपुत्र के आरपार नाव खेने सम्बन्धी परियोजना चालू करना।

(ग) केन्द्रीय सरकार के तीन प्रतिनिधियों ने एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के एक एक प्रतिनिधि ने इस बैठक में भाग लिया।

(घ) इन तीन योजनाओं को चलाने, नक़शे तथा नमूने इत्यादि बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना करने का प्रस्ताव किया गया है कि वह इसके लिये आर्थिक एवं प्रोद्योगिक सहायता दे।

नीम का तेल

*१७७९. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या कृषि तथा खाद्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीम के फलों को पेर कर कभी तेल निकालने का प्रयोग किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

(ग) क्या खोज के आधार पर यह संभव है कि इसका कड़वापन दूर हो जाय ?

(घ) क्या इस के तेल का कोई उचित प्रयोग हो सकता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). नीम के फलों का तेल पूर्व से ही निकाला जा रहा है और देश के विभिन्न भागों में यह तेल व्यवसायिक रूप से तैयार हो रहा है।

(ग) जी।

(घ) जी; शुद्ध तेल, अथवा आंशिक रूप में अथवा पूर्णरूपेण जमाया हुआ तेल, साबुन बनाने, वार्निश, भ्रक्षिक एसिड, चर्बी के काम आता है।

खड़गपुर में रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

*१७८०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५१ की जनगणना के परिणामों के प्रकाशित होने के उपरांत क्या सरकार ने खड़गपुर के रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने का विचार किया है ?

(ख) यदि हां; तो किस दिनांक से यह भत्ता दिया जायगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी।

(ख) १ अक्तूबर सन् १९५२ से।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ

*१७८३ **श्री विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय १९४९ को जो इसको सामूहिक रूप से संगठित करने सम्बन्धी अधिकारों के सिद्धांतों के प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित था, क्यों नहीं अंगीकार किया गया ?

(ख) क्या सरकार उसे इस वर्ष में अंगीकार करने का विचार रखती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) भारत सरकार इस अभिसमय को क्यों नहीं अंगीकार करती इसके कारण सम्बन्धी विवरण २१ दिसम्बर १९५० को संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के ३२वें वार्षिक अधिवेशन में की गई सिफारिशों, एवं अधिसमय को मानने के लिये की जाने वाली कार्रवाही को कार्यान्वित करने सम्बन्धी प्रस्ताव में सम्मिलित हैं।

(ख) यह मामला विचाराधीन है, तथा प्रस्तावित श्रम सम्बन्धी विधान के बन जाने के उपरान्त ही इस पर निर्णय किया जा सकेगा।

कृषि अनुसंधान सम्बन्धी एक सूत्रता

*१७९०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या कृषि तथा खाद्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में प्रान्तों को सम्मिलित करते हुए, कृषि अनुसन्धान संबंधी कार्यों को एक सूत्र में बांधने के लिये कोई अखिल भारतीय मंडल है ?

(ख) क्या वर्तमान व्यवस्था में कोई दुपर्त हो गया है ?

कृषि तथा खाद्य उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वस्तु समितियों के साथ देश में अनुसन्धान कार्यों को एक सूत्र में बांधती है।

(ख) व्यर्थ की दुपर्त कोई नहीं है क्योंकि प्रान्तीय सरकारें केवल स्थानीय वस्तुओं का अनुसन्धान करती हैं, जबकि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा वस्तु समितियां प्रान्तीय सरकारों से मिल कर प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय मुख्यता को ध्यान में रख कर इन अनुसन्धानों की वृद्धि करती हैं।

आम सम्बन्धी अनुसंधान

*१७९१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या कृषि तथा खाद्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने आमों के बारे में क्या क्या अनुसंधान किये हैं, तथा उनके परिणाम क्या हैं ?

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद फल योजनाओं को आर्थिक सहायता देगी ?

(ग) यदि यह ठीक है तो किस प्रकार ?

कृषि तथा खाद्य उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा आम सम्बन्धी अनुसन्धान तथा उस के परिणाम सम्बन्धी विवरण संसदीय पटल पर प्रस्तुत है। **[देखिए परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४]**.

(ख) जी। फल योजना को भी उसी आधार पर आर्थिक सहायता दी जायगी जिस आधार पर कि दूसरी अनुसन्धान योजनाओं को दी गई है।

(ग) सामान्य तौर पर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा योजनाओं पर ५० प्रतिशत आवृतक खर्च किया जाता है। जबकि शेष आवर्तक खर्चा तथा सभी अनावर्तक खर्चा प्रान्तीय सरकारों द्वारा किया जाता है।

यात्री-आय में कमी की जांच के लिये समिति

***१७९२. श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यात्रियों से होने वाली आय में कमी की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है ?

(ख) इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) इस के निर्देश्य पद क्या हैं ?

(घ) क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)। (क) से (घ) तक। विशेषज्ञों की कोई विशेष समिति नहीं बनाई गई है किन्तु रेलवे बोर्ड ने स्वयं तत्स्थानीय रेलवे प्रशासनों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा करवाई है और यात्रियों से होने वाली आय में कमी को रोकने के लिये आवश्यक पग उठाये हैं।

बड़े बड़े पत्तनों में श्रमिक

***१७९३. श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बड़े बड़े पत्तनों में श्रमिकों को सामयिक न रहने देने के लिये अब तक क्या पग उठाये गये हैं ?

(ख) कितने पत्तनों में सामयिक न रहने देने की योजना लागू की गई है और अब तक इस का क्या फल निकला है ?

(ग) क्या विशाखापटनम् पत्तन में सामयिक श्रम रखने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ?

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : गोदी मजदूर (नौकरी विनियमन) अधिनियम १९४८ में गोदियों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी के सामयिक होने के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार को बड़े बड़े पत्तनों में गोदी मजदूरों के पंजीकरण की योजनायें बनाने का अधिकार दिया गया है जिस से कि उन की नौकरी अधिक नियमित हो सके। अभी तक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के गोदी मजदूरों के लिये योजनायें तैयार की गई हैं।

(ख) बम्बई की योजना १ फरवरी १९५२ से लागू कर दी गई थी और बताया जाता है कि यह सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है। कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड कलकत्ता योजना को लागू करने की ओर ध्यान दे रहा है। मद्रास

योजना मद्रास गोदी मजदूर बोर्ड द्वारा लागू की जयगी जोकि स्थापित किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) अन्य भागों, विशेषतया मद्रास में इस योजना के संचालन का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् विशाखापटनम् के पत्तन के लिये भी एक योजना बनाई जायेगी ।

डाक तथा तार विभाग में कर्मशाला अधीक्षणकर्त्ता

१२८४. श्री नानादास : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय डाक तथा तार विभाग में कुल कितने कर्मशाला अधीक्षणकर्त्ता हैं और उन में से कितने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हैं ;

(ख) १९४७ के बाद से कितने सीधे भर्ती किये गये हैं या पदोन्नति प्राप्त कर के इस पद पर पहुंचे हैं और उन में से कितने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों के लोगों को भर्ती करने के लिये सरकार का कौन से विशेष कदम उठाने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कर्मशाला अधीक्षणकर्त्ताओं की श्रेणी हाल ही में मंजूर हुई थी। इस के भर्ती के नियमों में यह लिख दिया गया है कि कर्म-शाला अधीक्षणकर्त्ताओं की नियुक्ति गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर सेवाओं में अनुसूचित जातियों इत्यादि के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों के अधीन की जायेगी । अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लिये अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट दे दी गई है। भर्ती की परीक्षा का समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा ।

क्षय रोग के टिकट

१२८५. डा० राम सुभग सिंह : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्षय रोग के टिकट बेचने के तीसरे आन्दोलन में कितना धन इकट्ठा किया गया है ?

(ख) पहिले तथा दूसरे आन्दोलनों में कितना धन इकट्ठा किया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) अब तक की सूचना के अनुसार लगभग २ लाख रुपये इकट्ठे किये जा चुके हैं । अभी तक सभी राज्यों से संगृहीत धन के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, किन्तु इस आन्दोलन में लगभग १० लाख रुपये इकट्ठ होने की आशा है ।

(ख) पहिले आन्दोलन में १०,६३,३६६ रुपये १२ आने इकट्ठे हुए थे । दूसरे आन्दोलन में लगभग ९,१०,००० रुपये इकट्ठे हुए थे, किन्तु यह संख्या अन्तिम नहीं है क्योंकि कुछ और सूचना अभी मिलनी शेष है ।

सकरी गली घाट में श्रेणी ४ के रेल कर्मचारी

१२८६. श्री जजवाड़े : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सकरीगली घाट के श्रेणी ४ के कर्मचारियों को अपना वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता; और

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उन्हें अन्य रेल कर्मचारियों के समान गृह-व्यवस्था, निःशुल्क डाक्टरी सहायता तथा बच्चों की शिक्षा की सुविधायें नहीं मिलतीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । मजूरी भुगतान

अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की तिथि पहिले सूचित कर दी जाती है और यदि इसमें कोई असाधारण बाधा न पड़ जाये तो बताई हुई तिथि को भुगतान कर दिया जाता है। कुछ एक अवसरों पर भुगतान में एक या दो दिन की देर हो गई थी, किन्तु उस के बाद से इस बात का प्रबन्ध कर दिया गया है कि इस प्रकार का विलम्ब न हो।

(ख) इस स्टेशन के श्रेणी ४ के कर्मचारियों को डाक्टरी सहायता तथा बच्चों की शिक्षा के लिये वही सुविधायें मिलती हैं जोकि अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। घाट के अस्थायी होने के कारण अन्य स्टेशनों के समान यहां बड़े पैमाने पर गृह-व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं किया गया है। लगभग २५ प्रतिशत कर्मचारियों के निवास का नियमित निवासस्थानों या माल के डिब्बों के घरों और पुराने गाड़ी के डिब्बों में प्रबन्ध कर दिया गया है। शेष कर्मचारी साहिबगंज में रहते हैं जोकि वहां से केवल पांच मील दूर है, और प्रति दिन वहां से काम करने जाते हैं।

उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

१२८७. **श्री संगण्णा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी पांच वर्षों में निम्नलिखित रेलवे लाइनों को बनाने का कोई प्रस्ताव है :

(१) टीटागढ़-नौरंगपुर-जयपुर-विज़ाग; और

(२) मेरामण्डली-साम्बलपुर-खर्दा रोड-दशपल्ला-बौध ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दरभंगा जिले में तार संचरण

१३८८. **श्री एस० एन० दास** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दरभंगा जिले (बिहार) में तार संचरण के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन स्थानों में तार संचरण होने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह सत्य है कि दरभंगा जिले के बहुत से थानों में तार-घर नहीं हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) तथा (ख)। दरभंगा जिले में भारत के अन्य भागों के समान ही एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषित नीति के अनुसार तार-घर खोले जायेंगे। इस प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति श्री बी० एन० राय के ३० मार्च, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ के उत्तर में सदन पटल पर रख दी गई थी।

(ग) जी हां।

रेलवे परिशिष्ट ३-क की परीक्षाएं

१२८९. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या परिशिष्ट ३-क की परीक्षाएं लेने तथा उनके परिणाम प्रकाशित करने के लिये कोई तिथि या मास निश्चित है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन का पालन किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नियमों के अनुसार परिशिष्ट ३-क की परीक्षा प्रति वर्ष नवम्बर मास में होनी चाहिये। उस का परिणाम प्रकाशित करने के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

(ख) जी हां। साधारणतया परीक्षा की तिथि विषयक नियम का पालन किया जाता है।

मनीपुर राज्य परिवहन

१२९०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर राज्य परिवहन के मनीपुर ड्राइवर संघ तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से स्वामी हैं और यदि हां, तो दोनों में से प्रत्येक ने कितनी कितनी राशि विनियोजित की है ;

(ख) क्या रेलवे बाह्य अभिकरण को जिस का कि मनीपुर मोटर सन्धा स्वामी था लगभग एक वर्ष पूर्व राज्य ने संभाल लिया था और यह अब भी मनीपुर ड्राइवर संघ तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रबन्ध में है;

(ग) क्या इस बाह्य अभिकरण के मनीपुर मोटर सन्धा से मनीपुर ड्राइवर संघ तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रबन्ध में हस्तान्तरण की आज्ञा देने से पूर्व रेल अधिकारियों ने कोई जांच की थी; और

(घ) क्या मनीपुर मोटर सन्धा ने इस बाह्य-अभिकरण के लिये जाने के विरुद्ध रेल अधिकारियों से कोई शिकायत की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । मनीपुर राज्य परिवहन एक विशुद्ध राज्य सरकार की व्यापारिक-संस्था है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि किस जांच की ओर निर्देश किया गया है । निस्सन्देह इस विषय में रेल प्रशासन ने मनीपुर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया था ।

(घ) जी नहीं । किन्तु मनीपुर मोटर सन्धा ने रेलवे बोर्ड से अपील की थी ।

चाय बागानों के श्रमिक

१२९१. **श्री संगण्णा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चाय उद्योग में संकट तथा चाय बागानों के बन्द होने के फलस्वरूप कितने श्रमिकों को आसाम के चाय बागानों से पुनः उड़ीसा वापिस भेज दिया गया ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य की विकास योजनाओं में उन्हें खपाने का कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन में से कितनों को हीराकुद बांध, सामूहिक परियोजनाओं तथा डुडुमा जल सम्बन्धी कार्यों में निर्माण के काम पर लगाया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार १ सितम्बर १९५२ से २८ फरवरी १९५३ तक ८,३२४ व्यक्तियों को आसाम के चाय बागानों से पुनः उड़ीसा वापिस भेजा गया । चाय उद्योग में संकट तथा चाय बागानों के बन्द होने के कारण कितने मजदूरों को वापिस भेजा गया इस के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) । जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

दुग्धशाला चलाना

१२९२. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुग्धशाला चलाने के संबंध में स्वयं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कितने प्राविधिक सलाहकार संलग्न हैं ?

(ख) उन पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, और प्रत्येक पदाधिकारी का मासिक वेतन क्या है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि मूलतः वह लोग "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत दुग्धशाला विकास योजनाओं को तैयार करने तथा उन की परीक्षा करने के लिये नियुक्त किये गये थे ?

(घ) क्या आजकल दुग्धशाला योजनाएं "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं में सम्मिलित की जा रही हैं ?

(ङ) यदि नहीं, तो इन पदाधिकारियों के वर्तमान कार्य क्या हैं ?

(च) गत तीन वर्षों में इन पदाधिकारियों द्वारा कितनी योजनायें तैयार की गई थीं और उनमें से कितनी वास्तविक रूप में प्रारंभ कर दी गई हैं ?

(छ) वर्ष १९५२ में मंत्रणा के लिये उन को कितने मामले निर्देश किये गये थे ?

(ज) क्या यह तथ्य है कि यह पदाधिकारी एक दुग्ध पूर्ति योजना चलाते हैं ।

(झ) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् दुग्ध योजना के लाभ और हानि का हिसाब लगाते समय इन पदाधिकारियों पर किये गये व्यय पर विचार किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) एक, अर्थात् दुग्ध विकास उप-सलाहकार, जिसका सहायक एक प्राविधिक पदाधिकारी है ।

(ख) २९,२०० रुपये ।

	वेतन	मंहगाई भत्ता	प्रतिमास कुल व्यय
	रु०	रु०	रु०
दुग्ध विकास उप-सलाहकार ।	१३५०	१३५	१४८५
प्राविधिक पदाधिकारी	६२०	८५	७०५

(ग) जी हां ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) (१) केन्द्र तथा राज्य सरकारों को दुग्धशाला विकास तथा सम्बन्धित विषयों पर सलाह देना ।

(२) दुग्धशाला व्यवसाय को प्राविधिक पथ-प्रदर्शन तथा सहायता देना ।

(३) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिये दुग्धशाला विकास योजनायें बनाना ।

(४) केन्द्रीय सरकार दुग्ध विकास योजनायें चलाना ।

(च) दस, प्रारम्भ कर दी गई हैं ।

(छ) ऐसा कोई हिसाब नहीं रखा गया है ।

(ज) जी हां, इस मंत्रालय के प्राविधिक पदाधिकारियों की हैसियत से अपने अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त ।

(झ) जी नहीं ।

उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि को कृषि योग्य बनाना

१२९३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में ६ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९४ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि वह सूचना सदन पटल पर कब रखी जायगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : उड़ीसा सरकार से उस सूचना के आने की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है और राज्य सरकार के पास से उसके प्राप्त होते ही वह सदन को दे दी जायगी ।

मैंगनीज़ (लोहक) की खानें

१२९४. **श्री संगण्णा** : क्या श्रम मंत्री मैंगनीज़ की खानों के सम्बन्ध में १९ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बतायेंगे कि सूचना सदन पटल पर कब रखी जायगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : माननीय सदस्य द्वारा उनके १९ नवम्बर १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४ में मांगी गई सूचना रखने वाला एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५]**

रेलवे की जमीनें

१२९५. **श्री संगण्णा** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उड़ीसा राज्य पूर्वी खण्ड, में मकान आदि बनाने के प्रयोजनों के लिये रेलवे बस्तियों के निकट रेलवे प्रशासन द्वारा बहुत पहले अर्जित भूमि के अनेक एकड़ अभी तक काम में नहीं लाये गये हैं ; और

(ख) यदि ऐसा है तो भूमि की कुल एकड़ नाप और क्या संघ सरकार के अन्य विभागों को इन स्थलों के बंटवारे के लिये एक प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) १८५ एकड़ । सम्पूर्ण भूमि कान्ताबंजी, सम्बलपुर और रायगढ़ में रेलवे की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिये चाहिये और इस लिये संघ सरकार के अन्य विभागों को बंटवारे का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्लाकीमेंडी लाइट रेलवे

१२९६. **श्री संगण्णा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा प्रबन्ध के ले लिये जाने के बाद से पर्लाकीमेडी लाइट रेलवे (पूर्वी रेलवे खण्ड) पर नियुक्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित बिना टिकट यात्रा के मामलों की संख्या ;

(ख) उक्त पदाधिकारी की सेवा श्रेणी तथा कुल उपलब्धियाँ ; और

(ग) सेवा की वह पूर्व श्रेणी जिसमें से यह पदाधिकारी साधारणतः नि क्त किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). पर्लाकीमेडी लाइट रेलवे पर, उसके १-२-१९५० को सरकार द्वारा लिये जाने के बाद से, कोई विशेष पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है । उस तारीख से ले कर १९५२ के अन्त तक बिना टिकट यात्रा करते हुये पाये जाने वाले यात्रियों की संख्या २१,१९५ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

टाटा इंजीनियरिंग तथा लोकोमोटिव कम्पनी से रेल के इंजिनों का क्रय

१२९७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में सरकार द्वारा टाटा इंजीनियरिंग तथा लोकोमोटिव कम्पनी से खरीदे गये रेल के इंजिनों की संख्या ; और

(ख) उस कम्पनी से खरीदे गये रेल के इंजिन का औसत मूल्य ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

	संख्या जिसका आर्डर दिया गया
१९५०-५१	५०
१९५१-५२	५०
१९५२-५३	५०

	प्राप्त हुये इंजिनों की संख्या
१९५०-५१	कुछ नहीं
१९५१-५२	१०
१९५२-५३	३०

(ख) अनुमानतः ३·५ लाख रुपये—विकास मूल्यों को छोड़ कर ।

मुंगेली-बिछिया रोड

१२९८. श्री जांगड़े : क्या यातायात मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश स्थित मुंगेली-बिछिया रोड के निर्माण कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मुंगेली-बिछिया सड़क की ८६ ३/१६ मीलों की एक कुल लम्बाई का, केन्द्रीय सड़क निधि की वित्तीय सहायता से, सुधार किया जाना है । अभी केवल ५७ ९/१६ मील की लम्बाई पर काम हो रहा है और लगभग ४४ प्रतिशत कार्य ३१ मार्च, १९५३ तक समाप्त हो गया था ।

रेलवे बोर्ड में हिन्दी सहायकों की भर्ती

१२९९. श्री जांगड़े : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के दफ्तर में कुछ हिन्दी सहायक नियुक्त किये गये हैं?

(ख) क्या इन पदों को भरने के लिये अखबारों में कोई विज्ञापन निकलवाया गया था ?

(ग) क्या इन रिक्त स्थानों की सूचना नौकरी दिलाने वाले दफ्तरों को दी गई थी ?

(घ) क्या उक्त पदों में से कोई अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित की गई थी ?

(ङ) यदि उक्त भागों (ख), (ग) और (घ) के उत्तर नकारात्मक हों तो उनके क्या कारण थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). जी नहीं ।

(ङ) ऐसी आशा की गई थी कि वर्तमान कर्मचारियों में से उपयुक्त कर्मचारी पाये जा सकेंगे और वह वास्तव में मिल भी गये थे ।

ग्रामीण डाकखानों में बचत बैंक लेखा

१३००. श्री जांगड़े : क्या संचरण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने केन्द्रीय वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ डिवीज़नों में बचत बैंक निक्षेपों के लिये सुविधायें कितने ग्रामीण डाक खानों में दी हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : उन शाखा डाक घरों की संख्या जो भारत में बचत बैंक का कार्य कर रहे हैं, ३१ मार्च १९५३ को ५,०७६ थी । उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ डिवीज़नों के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :

उत्तर छत्तीसगढ़	२८
दक्षिण छत्तीसगढ़	७९

पीलीभीत से पूरनपुर के बीच चलने वाली 'शटल' रेलगाड़ी

१३०१. श्री एम० एल० अग्रवाल (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पूरनपुर से पीलीभीत के लिये कोई सुबह की गाड़ी और पीलीभीत से पूरनपुर के लिये कोई

शाम की गाड़ी के न होने के कारण पूरनपुर के निवासियों को पीलीभीत में कचहरी अथवा किसी और जगह में कुछ घंटों के कार्य के लिये एक पूरी रात और दिन बिताना पड़ता है ?

(ख) क्या रेलवे अधिकारी एक 'शटल' रेलगाड़ी अथवा एक डीज़ल कार रेलगाड़ी चलाने को तैयार हो गये हैं ?

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :(क) जी नहीं, क्योंकि आजकल पूरनपुर से पीलीभीत के लिये एक बहुत सुबह की रेलगाड़ी और पीलीभीत से पूरनपुर के लिये एक रात की रेलगाड़ी है ।

(ख) और (ग): सुबह पूरनपुर से पीलीभीत तक और शाम को पीलीभीत की कचहरी के काम के घंटों के अनुसार उचित समय पर उसकी वापसी के लिये एक रेल कार गाड़ी चलाने की संभाव्यता पर विचार किया गया था । रेल कार की अनुपलब्धता के कारण अभी तक ऐसी रेलगाड़ी चलाना सम्भव नहीं पाया गया है । अभी पूरनपुर और पीलीभीत के बीच एक साधारण अतिरिक्त 'शटल' रेलगाड़ी चलाने के लिये कोई यातायात औचित्य नहीं है, चाहे सवारी डिब्बे और रेल के इंजिन इस कार्य के लिये उपलब्ध क्यों न होते, जो स्थिति आजकल नहीं है । १२ छोटी लाइन की रेल कार के लिये आर्डर देने का विचार है और जब यह उपलब्ध हो जायेंगे तब इनका वितरण निश्चित किया जायगा ।

डी० टी० एस० बस स्टापों पर ठंडे पानी का प्रबन्ध

१३०२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि यात्रियों की सुविधा के लिये, गर्मियों में डी० टी० एस० के विभिन्न मार्गों पर स्थित बस स्टापों पर ठंडे पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि किया जा रहा है, तो यह प्रबन्ध कब तक हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) म्यूनिस्पल सीमाओं के अन्दर पीने के पानी का प्रबन्ध करना म्यूनिस्पल्टी का कार्य है, फिर भी यात्रियों के लाभ के लिये कुछ महत्वपूर्ण अड्डों पर पीने का पानी देने का प्रबन्ध करने के लिये एक प्रस्ताव दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार के विचाराधीन है ।

(ख) कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है लेकिन प्रबन्धों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

ओकग्रोव स्कूल, झड़ीपानी

१३०३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि झड़ीपानी (मसूरी) के विद्यालय को भारतीय रेलवे ने स्थापित किया था और वह अब भी रेल मंत्रालय की वित्तीय सहायता से चलाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में पश्चिम रेलवे, पूर्वी पंजाब और उत्तर रेलवे के भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की अध्ययन फ़ीस बढ़ा दी गई है परन्तु पूर्व भारतीय रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चों की फ़ीस वही है ;

(ग) यदि ऐसा है तो उसके कारण ; और

(घ) उस विद्यालय में इस समय जो बालक पढ़ रहे हैं उनमें निम्न श्रेणियों के

बालक क्रमशः कितने कितने हैं :—

(१) यूरोपीय तथा आंग्ल-भारतीय सम्प्रदायों के लड़के तथा लड़कियां ;

(२) अन्य सम्प्रदायों के बालकों की कुल संख्या ;

(३) रेल कर्मचारियों के बालकों की संख्या ;

(४) भूतपूर्व रेल कर्मचारियों के बालकों की संख्या ;

(५) भूतपूर्व पूर्वी भारत रेलवे के कर्मचारियोंके बालकों की संख्या ; और

(६) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के बालकों की संख्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग). नहीं । १९५२ के विद्यालय-सत्र के प्रारम्भ से सरकारी रेलों के सभी भूतपूर्व-रेल कर्मचारियों के बालकों से समान फ़ीस ली जाती है और भूतपूर्व पूर्वी भारत रेलवे कर्मचारियों और अन्य रेलों के भूतपूर्व-कर्मचारियों के मध्य कोई अन्तर नहीं है ।

(घ) (१) १९२
(२) १८८
(३) ३३३
(४) १
(५) १
(६) ४५

बेलेरी जिले में रेल की पटड़ी को उखाड़ने की घटनाएं

१३०४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५३, के अन्तिम सप्ताह में बैलेरी जिले में रेल की पटड़ी को उखाड़ने की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) इन घटनाओं के कारण रेलवे की कितनी क्षति हुई ; तथा

(ग) कितनी बार रेलवे पुलिस को सहायतार्थ बुलाना पड़ा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पटरी उखाड़ने की एक घटना और फिश प्लेटों, बोल्ट, इस्पात की की, गेट की की आदि उखाड़ने की चार घटनायें ।

(ख) ५०० रुपये ।

(ग) चार बार ।

तेलिचेरी रेलवे स्टेशन

१३०५. श्री एन० पी० दामोदरन : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे स्टेशन को ठीक करने का कार्य कब समाप्त होने की आशा है ?

(ख) कार्य आरम्भ हुये कितना समय हो गया ?

(ग) क्या कार्य पूरा होने में कोई विलम्ब हुआ है और यदि हुआ है तो उसके कारण ?

(घ) ठीक करने के कार्य के शेष प्रक्रम कब आरम्भ किये जायेंगे ?

(ङ) क्या योजना में एक ऊपरी पुल बनाने की व्यवस्था भी सम्मिलित है ?

(च) ठीक करने के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई थी और अब तक कितनी व्यय हो चुकी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जून १९५३ तक ।

(ख) लगभग सवा दो वर्ष ।

(ग) नहीं ।

(घ) समूचा कार्य एक ही प्रक्रम में किया जा रहा है ।

(ङ) नहीं ।

(च) कार्य की अनुमानित लागत २,१५,५२१ रुपये की मंजूरी दी गई थी । कुछ अन्य कार्य आवश्यक दिखाई दिये जिससे कि लागत बढ़ गई । अब तक २,४६,६२३ रुपये व्यय हो चुके हैं ।

पंजाब में ग्राम डाकघर

१३०६. प्रो० डी० सी० शर्मा : (क) **क्या संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों या ग्राम समूहों में डाकघर खोलने के कितने आवेदन-पत्र १९५१-५२ में पंजाब के महा पोस्ट-मास्टर को प्राप्त हुये ?

(ख) इन अभिवेदनों में से कितने स्वीकृत हुये ?

(ग) उनमें से कितने ग्रामों के लोग सरकार की हानि को पूरा करने के लिये सहमत हुये ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) २,००० या अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों में डाकघर खोलने के लिये १७४, इतनी ही जनसंख्या वाले ग्राम-समूहों में ११८, और २००० से कम जनसंख्या के अकेले ग्रामों में ४२ ।

(ख) २४४, परन्तु २००० या अधिक जनसंख्या के १७४ ग्रामों में तो डाकघर खुल ही जाने थे चाहे आवेदन-पत्र आते या न आते ।

(ग) एक ।

छोटी सिंचन योजनाएं

१३०७. प्रो० डी० सी० शर्मा : **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य को १९५२-५३ में 'छोटी सिंचन योजनाओं' की सहायता के लिये कितनी धनराशि दी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एन० वी० कृष्णप्पा) :

	लाख
अनुदान	१·५०
ऋण	९६·७२

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि

१३०८. श्री मुनिस्वामी : (क) **क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की कार्यपालिका मंडली ने हाल ही में भारत को कुछ अंश दिया है ?

(ख) कौन कौन से मुख्य केन्द्रों को वह सहायता बांटी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) हां ।

(ख) भारत को हाल ही में जो सहायता मिली है उसका वितरण इस प्रकार किया जायेगा ;

(१) ७,५१,००० डालर—पश्चिमी बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में माता तथा बालक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये।

(२) ३९,००० डालर—मध्य-प्रदेश, हैदराबाद और मद्रास राज्यों में यौस-रोग नियंत्रण आरम्भ करने के लिये ।

(३) ३,००,००० डालर—अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये मक्खन निकले हुये दुग्ध-चूर्ण के १,५०० कच्चे टन के लिये । वितरण की व्यवस्था भारत में माल के पहुंचने पर की जायेगी।

(४) ३,४०,००० डालर—निम्न अभावग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के

लिये लगभग २२०० टन चावल :

मद्रास :	१००० टन
बम्बई :	१००० टन
तिरुवांकुर-कोचीन	२०० टन

क्षय रोग के हस्पताल

१३०९. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि भारत में क्षयरोग के हस्पतालों में कुल कितने स्थान हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : क्षयरोग के हस्पतालों और भारत के साधारण हस्पतालों के क्षयरोग वार्डों में ३१ दिसम्बर, १९५२ को शैय्याओं की संख्या १२,९८२ थी ।

दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर गोदाम में आग

१३१०. सरदार ए० एस० सहगल : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि ५ अप्रैल, १९५३ को दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर पश्चिमी रेलवे के खोये हुये माल के शैड में आग लग गई थी ?

(ख) इस आग से कितनी हानि होने का अनुमान है ?

(ग) आग कितने घंटे तक जलती रही और कितने घंटों में बुझाई गई ?

(घ) इस समय शैड तथा समस्त भवन की क्या दशा है ?

(ङ) आग बुझाने में किन किन संगठनों ने सहायता की ?

(च) गोदाम में जो माल था उसके परिमाण के विषय में क्या कोई आंकड़े उपलब्ध हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) ५०,००० रुपये की ।

(ग) आग का पता लगभग पौने पांच बजे सायंकाल को लगा और उसे ढाई घंटे में बुझा दिया गया ।

(घ) भवन का वह भाग जिसमें खोये हुये माल का शैड था बुरी तरह से जल गया है और शेष भवन ठीक है ।

(ङ) स्थानीय कार्यपालिका तथा रेलवे की आग बुझाने वाली ब्रिगेडों ने ।

(च) शैड में जो सामान था उसका विवरण एकत्र किया जा रहा है ।

खजूर के गुड़ का निर्माण

१३११. श्री पी० आर० राव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खजूर का गुड़ बनाने के कोई केन्द्र हैदराबाद राज्य में स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो कितने केन्द्र खोले गये हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं ;

(ग) वे कैसे काम कर रहे हैं ; और

(घ) ३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले गत छः मासों में प्रत्येक केन्द्र में कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां ।

(ख) राज्य में तीन केन्द्र प्रयोगात्मक रूप में खोले गये हैं जहां प्रशिक्षण तथा प्रदर्षन होता है । वहां नीरा से ताड़ तथा खजूर का गुड़ बनाना सिखाया जाता है । नीरा खजूर के पेड़ से निकलता है ।

(ग) केन्द्र संतोषजनक रूप में चल रहे हैं ।

(घ) १९५२-५३ में कुल ४० लोगों को जो नीरा निकालते हैं यह प्रशिक्षण दिया गया ।

सरवायल (नालगोंडा ज़िला)	२०
चिन्ना पेंडयाल (वारंगल ज़िला)	९
पत्तन चेरू (मेडक ज़िला)	११
जोड़	४०

गोसंवर्धन की केन्द्रीय परिषद्

१३१२. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में गोसंवर्धन की केन्द्रीय परिषद् को कितना रुपया आवर्तक और कितना अनावर्तक अनुदान के रूप में दिया गया ?

(ख) उस वर्ष परिषद् का आयव्ययक कितना था और कुल कितना व्यय किया गया ?

(ग) क्या सरकार को परिषद् से कोई सामयिक प्रतिवेदन प्राप्त होता है ?

(घ) १९५३-५४ में उन की क्या प्रस्थापनायें हैं तथा योजनायें हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : परिषद् ने १९५२-५३ में दो लाख रुपये का सहायक अनुदान मांगा था जिसकी आय-व्ययक में समुचित व्यवस्था की गई थी । इसमें से एक लाख रुपया तो प्रारम्भ में ही सहायक अनुदान के रूप में मंजूर किया गया था और परिषद् से कहा गया था कि शेष राशि तब दी जायेगी जब कि यह प्रथम क़िस्त समाप्त हो जायेगी । परन्तु परिषद् ने १९५२-५३ में केवल ३१,००० रुपये ही व्यय किये अतः समूची राशि देने का अवसर ही नहीं आया ।

(ग) हां ।

(घ) अभी तक परिषद् से १९५३-५४ के लिये जो प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं वे १,३२,००० रुपये की लागत पर ढोर-सुधार की कई योजनाओं के सम्बन्ध में हैं जैसे कि गोसंवर्धन दिवस का मनाना, गोशाला कर्मचारियों का प्रशिक्षण, गोसंवर्धन पुस्तिका का निकालना, राज्यों में गोशालाओं का विकास और प्रादेशिक डोर प्रदर्शनों में पुरस्कार वितरण ।

औद्योगिक विवाद

१३१३. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों की कुल संख्या कितनी है जो इन विषयों से सम्बद्ध हैं (१) खानें (२) महा-पत्तन (३) रेलवे और (४) बैंक तथा बीमा समवाय ?

(ख) उनमें से कितने मामलों में पंचाट दिये गये ?

(ग) औद्योगिक न्यायालयों में कितने मामले लम्बित हैं ?

(घ) एक विवाद के निपटारे पर औसत से कितना समय लगता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). सन् १९५२ में केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों के विषय में जो औद्योगिक विवाद पंच-निर्णय के लिये भेजे गये उनकी संख्या २९ है । उन विवादों के विषय में अपेक्षित

विवरण निम्न है :

केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योग	१९५२ में पंच निर्णय के लिये जो विवाद भेजे गये उनका विवरण		
	भेजे गये	निबटाये गये	लम्बित
(१) खानें	५	२	३
(२) महा-पत्तन	७	१	६
(३) रेलवे	२	१	१
(४) बैंक तथा बीमा समवाय	१५	९	६
	२९	१३	१६

(ख) लगभग ८ मास ।

यात्रि-बंधु

१३१४. श्री धूसिया : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे पर कुल कितने यात्रि-बंधु हैं ?

(ख) वे किस तारीख को नियुक्त किये गये थे ?

(ग) इस सेवा में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): जानकारी संकलित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

सर्व श्री ला बुजियो एट निकेयस एंड डिक्लेव को अग्रिम धन

१३१५. श्री विट्ठल राव : (क) क्या रेल मंत्री अतारांकित प्रश्न सं० १०७६ से १०७८ के निर्देश से, जिन के उत्तर १६ अप्रैल १९५३ को दिये गये थे, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माल-डिब्बों, नीचे के फ्रेमों तथा पेट्रोल टैंकों के लिये सर्वश्री ला ब्रुजियो एट निकेयस एण्ड डिक्लेव, बेल्जियम को कोई राशि अग्रिम दी गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो भारतीय चलार्थ में कुल धनराशि कितनी है ?

(ग) क्या सरकार का सदन पटल पर क़रार की एक प्रति रखने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख): ये आर्डर वास्तव में महा-निदेशक, भारतीय स्टोर विभाग लंदन ने दिया था और जहां तक रेल मंत्रालय को ज्ञात है कोई अग्रिम धन नहीं दिया गया है ।

(ग) इस प्रकार के संविदे विभागीय संविदे समझे जाते हैं । और प्रायः प्रकाशित नहीं किये जाते ।

केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय

१३१६. श्री मुनिस्वामी : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय में उसके प्रारम्भ होने के समय से प्रतिवर्ष कितने छात्र प्रविष्ट किये गये ?

(ख') उनमें से कितने छात्र कृषक परिवारों के थे ?

(ग) अब तक कितने छात्र स्नातक बन चुके हैं और उन्हें कैसे काम पर लगाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क)

१९४७-४८	८६
१९४८-४९	६२
१९४९-५०	६०
१९५०-५१	कोई प्रवेश नहीं किया गया ।
१९५१-५२	३२
१९५२-५३	४०

(ख)

१९४७-४८	६१
१९४८-४९	३३
१९४९-५०	३३
१९५०-५१	कुछ नहीं
१९५१-५२	१०
१९५२-५३	१३

(ग) १९४९-५२ में कुल ६८ छात्र स्नातक बने जिन में से ११ को कृषि कार्य की सरकारी नौकरी दी गई और उन्हें क्षेत्र-प्रबन्धक, उच्च वैज्ञानिक सहायक, निरीक्षक आदि नियुक्त कर दिया गया, दो ने अपना कृषिकार्य आरम्भ कर दिया और तीन ने कृषि के अतिरिक्त दूसरे कार्य की नौकरी कर ली । शेष के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

अंशदान वाली स्वास्थ्य सेवा योजना

१३१७. श्री तेलकीकर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १९५२-५३ में सरकारी कर्मचारियों के लिये अंशदान वाली स्वास्थ्य सेवा योजना के आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) अंशदान वाली स्वास्थ्य सेवा योजना जिसकी व्यवस्था सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जानी है, आरम्भ में इस धारणा पर बनाई गई थी कि दिल्ली राज्य के हस्पतालों तथा संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं का इस योजना के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकता है । यह सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि राज्य ने यह शर्त रख दी कि योजना की व्यवस्था उसके द्वारा ही चलाई जानी चाहिये । योजना में संशोधन करने पड़े और इस कारण वह १९५२-५३ में लागू नहीं की जा सकी । चालू वर्ष में योजना को यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

रामनगरम में परिवार आयोजन योजना

१३१८. श्री मादिया गौडा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) रामनगरम (मैसूर राज्य) में परिवार आयोजन प्रयोग केन्द्र का काम कब से चालू हुआ ;

(ख) इस योजना पर कितने विशेषज्ञ लगाये गये हैं ;

(ग) इस प्रयोगात्मक कार्य का कितने व्यक्तियों तथा कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है ;

(घ) इस प्रयोग में क्या प्रणाली अपनाई गई है ; और

(ङ) क्या अब तक कोई परिणाम प्रकट हुये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) मई, १९५२ ।

(ख) तीन, जिनमें से एक हाल ही में छोड़ कर चला गया है ।

(ग) १३०९ दम्पत्ति तथा १४ ग्राम ।

(घ) केवल एक प्रणाली अर्थात् रिद्म **अथवा** सुरक्षित अवधि प्रणाली ।

(ङ) १९५४ के अन्त से पूर्व परिणामों का अनुमान लगाना तो स्पष्टतः सम्भव **नहीं है** ।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
१ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, १ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९–१५ म० पू०

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे सूचना देनी है कि राज्य परिषद् को निम्नलिखित विधयकों के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, १९५२।

(२) भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक १९५२।

स्थगन प्रस्ताव

श्री के० क० बसु (डायमंड हार्बर) : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सन्देश भेज दिया था कि मैं इस सम्बन्ध में अनुमति देने के लिये तैयार नहीं हूं।

पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान बचाव नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा ७ के अन्तर्गत कोयला खान बचाव नियम, १९३९ में संशोधन करने वाली श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या एम—१ (१७) ५१, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५२ की एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस––४०/५३)** ।

पेप्सू बजट पर सामान्य चर्चा

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि मुझे सब से पहले इस मौके पर अवसर दिया।

पेप्सू बी० क्लास स्टट है और उसका बजट आज डिसकस किया जा रहा है। आंकड़ों से और हिसाब किताब से तो मैं हमेशा घबराता रहा हूं लेकिन यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि पैसा है और लाखों आदमियों के खून पसीने की कमाई का पैसा हैं और उसकी मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर उन लाखों आदमियों की जिम्मेदारी है जिनका पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए इसके अन्दर पढ़ने में घबराते हुए भी मुझे इसकी स्टडी करना पड़ा और मुझे इसके लिए कुछ कहना भी है। लेकिन कुछ कहने से पहले मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि जहां तक

[श्री चिनारिया]

आंकड़ों का ताल्लुक है वहां तक सब ठीक है और जब आंकड़े आ गये हैं तो पैसा भी वह देंगे ही । लेकिन कई बातें और हैं जिनकी बाबत मुझे कहना है जो कि इस तमाम बात में रुकावटें होंगी ।

पेप्सू एक छोटी सी रियासत है जिसकी ३५ लाख आबादी है और दस हजार मुरब्बा मील जिसका क्षेत्रफल है, ६४ लाख एकड़ ज़मीन है, खैर मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि यह ठीक है या गलत । आज तो बजट पर ही बातचीत करनी है । इसकी आमदनी सन् १९५१–५२ में कोई साढ़े चार करोड़ के लगभग थी, यह एस्टीमेट था लेकिन एक्चुअल आमदनी ६ करोड़ हो गयी । सन् १९५२–५३ में पांच करोड़ का एस्टीमेट था और आमदनी सवा ६ करोड़ तक हो गयी, और इस साल ६ करोड़ ३४ लाख का अन्दाज़ा है और घाटे का बजट है । ६८ लाख का घाटा दिखाया है । लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले सालों को देखते हुए इस साल भी इतनी बढ़ोतरी हो जायगी कि घाटा नहीं रहेगा । खैर अगर घाटा भी रहे तो मैं तो एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं जिसके आगे हमेशा घाटा चलता है । इसलिय मेरे बढ़े घर पैप्सू में भी घाटा चले तो कोई परवाह नहीं । देखना तो यह है कि लोगों का काम ठीक से चलता है या नहीं । अब इस में भी मुझे तसल्ली है । जहां तक बजट का ताल्लुक है सोशल सरविसेज़ के लिए इस सात करोड़ में से १·७२ करोड़, यानी पौने दो करोड़ के करीब रखा गया है ।

दूसरी तरफ़ एक और भी सन्तोष की बात है कि डैवलैप्मेंट सरविसेज़ के लिये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब बातों के लिये भी सवा दो करोड़ रुपये रखे गये हैं । लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जितनी रक़म इन दोनों पर मिल कर बनती है उतनी ही सिक्योरिटी सरविसेज और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लगा दी गयी है । हम लोग यह उम्मीद करते थे कि आठ रियासतें मिली हैं तो उससे कोई न कोई सरविसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में बचत होगी । लेकिन बजाय बचत के वह सारे आदमी और सारा अमला इंटीग्रेट हो गया और उसके बाद भी कितने ही आदमी घुसेड़ दिए गये । आज बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च कुछ कम होता, यूनियन बना देने से खर्च बढ़ा है । तो जहां एक तरफ़ सन्तोष है कि डैवलैप्मेंट के लिये और दूसरी यूटीलिटी सरविसैज के लिये काफ़ी रक़म रखी गई है वहां एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अधिक खर्च है कि उस में काफ़ी कमी की गुंजायश है ।

आमदनी को देखते हुए एक बात खास तौर से दिखाई देती है । पैप्सू बजट में और पैप्सू स्टेट में ४० फी सदी हिस्सा आबकारी से आता है और ३० फी सदी शराब से आता है । जब कि हिन्दुस्तान में चारों तरफ़ आबकारी और शराब की कमी की गयी, प्रोहीबीशन के ज़रिए और पाबन्दी लगा कर, तब उन्हीं दिनों पैप्सू के अन्दर शराब खुले आम बिकती है और उसने अपनी आमदनी ८७ फी सदी शराब में बढ़ाई है । जब ऐसी हालत हो तो मैं नहीं समझता कि क्या हाल होगा । "जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन", तो जो शराब से पलेंगे वह कैसे अच्छा काम करेंगे । इसी तरह से पैप्सू में जहां एक तरफ़ से उस के घर पर अकाली साम्प्रदायिक विष की बेल छाई हुई हो और जिस को रजवाड़ाशाही का सहारा दिया गया हो और जिसकी अफीम से और शराब से सिंचाई होती हो, वह बेल ज़हर नहीं उगलेगी, जहर का फल नहीं उस पर लगेगा तो इस से और ज्यादा

अच्छी क्या उम्मीद की जा सकती है "बोये पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाय", यह चीज़ पैप्सू पर बिल्कुल ठीक साबित होती है।

एक माननीय सदस्य : महाराजा फरीदकोट।

श्री चिनारिया : हां, महाराजा फरीदकोट भी बहुत अच्छे हैं, जैसे पहले होते थे महाराजा पटियाला वैसे ही वे भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसी थैली के महाराजा फरीदकोट भी हैं। अगर महाराजा पटियाला से भी हम लड़ते रहे हैं तो महाराजा फरीदकोट से भी लड़ते रहेंगे। और हमें तो अफसोस होता है कि राजप्रमुख को इस के बीच में क्यों लाया जाता है। मैं नहीं कहना चाहता। अभी आपने यह मामला छेड़ दिया तो मैं आप से कहूं कि हम किसी भी राजप्रमुख के खिलाफ नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से उन के खिलाफ़ नहीं हैं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे नेताओं पर मैं खुदगरज़ी का इल्जाम लगा दूं तो वह बेजा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को हिन्दुस्तान से निकाल दिया, इम्पीरियलिज्म को हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया, तब जा कर चैन लिया लेकिन हमारे यहां जो फ्यूडल सिस्टम था उस को हम अपनी स्टेट्स में कैसे बरदाश्त करें।

पंडित अलगू राय शास्त्री : वह भी निकाले जावेंगे।

श्री चिनारिया : इसलिये हर बी पार्ट स्टेट के आदमी के दिल में ज़रूर यह विचार होता हैकि जब तक उन के यहां से पार्ट बी स्टेट्स से रजवाड़ाशाही खत्म नहीं होती, जब तक उनके यहां से वह फ्यूडल सिस्ट खत्म नहीं होता जिस तरह से कि इस मुल्क में इम्पीरियलिज्म खत्म हुआ, तब तक आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करिये, कितना ही अच्छा बजट बनाइये, हालत ठीक नहीं होगी, नहीं होगी और बिल्कुल नहीं होगी। यह ख्याल सिर्फ़ मेरा ही नहीं है बल्कि बी क्लास स्टेट के हर एक बच्चे बच्चे का है। कोई उस को उगल देता है और कोई चुपके बैठा है लेकिन हर एक के दिल के अन्दर यही ख्याल है और दिल में जो चीज़ जोर करती है उस का असर होता ही है, आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों, लेकिन बहरहाल आपको यह मानना ही पड़ेगा।

बजट के अच्छा होते हुए और रुपया बहुत लगाते हुए भी हमें कई शंकाएं हैं कि यह ठीक जगह रुपया पहुंचेगा या नहीं और ठीक से काम होगा या नहीं। अव्वल तो इस को इम्प्लीमेंट करने वाली सरविसेज हैं। सरविसेज के अन्दर कई एक खामियां हैं जो कि रुपया लगाने में बाधा डालती हैं और रुपया लगाने में पूरा फायदा भी नहीं पहुंचने देती। अव्वल तो वहां सरविसेज के अन्दर करप्शन है। शायद वह सारे हिन्दुस्तान में होगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे अपने घर की देखनी है और मैं समझता हूं कि शायद नज़दीक से ज्यादा दिखाई देती हो, लेकिन जितना करप्शन पैप्सू के अन्दर है, उतना शायद और किसी स्टेट में न हो। हालत यहां तक है कि काग़ज़ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर ले जाने के लिये पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक क्लर्क से दूसरे क्लर्क तक और दूसरे क्लर्क से तीसरे क्लर्क तक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। हालत यहां तक है कि कागज़ जाने ही नहीं पाता और ऐसी नजीरें मौजूद हैं कि पैसा आप नहीं देते तो कागज आपके सामने ही फाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो जहां यह हालत हो वहां काम कैसे हो सकता है। खाली रुपया खर्च कर के ही आसमान में नहीं पहुंच जाते। इसलिये आप को पहले सरविसेज को ठीक करना होगा।

[श्री चिनारिया]

दूसरी बात यह है कि सरविसेज में इनएफीशियेंसी है। उनको मुल्क का इतना ख्याल नहीं है जितना तनख्वाह का ख्याल है और तनख्वाह से भी ज्यादा ख्याल रिश्वत का है। फिर वह कैसे काम कर सकते हैं और एफीशियेंट रह सकते हैं। एक बात और भी है। साम्प्रदायिकता वैसे तो सरविसेज में सब जगह है, चाहे वह हिन्दू साम्प्रदायिकता हो या किसी शक्ल की हो, लेकिन पैप्सू के अन्दर साम्प्रदायिकता सब से ज्यादा है। और रजवाड़ेशाही ने अपने को काय रखने के लिये उस को और बढ़ावा दिया और अपने आदमी उन्होंने रखे, अपने लड़के रखे, अपने बच्चे रखे। और इसमें हालत यहां तक है कि वहां साम्प्रदायिकता ही नहीं है। बल्कि टैरीटोरियलिज्म भी है। आठ रियासतें थी, सब से बड़ी उन में पटियाला थी। जब इंटीग्रेशन होने लगा तो पटियाला को सब से अच्छा दरजा दिया गया। हर एक जगह पटियाला के आदमी को प्रैफर किया गया। इस में मैं यह नहीं कहता कि सिक्ख को प्रैफर किया बल्कि उस शख्स को प्रैफर किया जो कि उस फ्यूडल सिस्टम को ज्यादा ताकत पहुंचा सके। इसलिये तमाम की तमाम सरविसेज में ऐसे आदमी भरे पड़े हैं जिनमें शुरू से आखिर तक साम्प्रदायिकता भरी हुई है।

इसलिये मैं कहता हूं कि यह रुपया ठीक तरह से खर्च नहीं होगा। अभी मैं एक मिसाल देता हूं। लाखों रुपये एग्रीकल्चर के लिये सबसिडी के लिये दिये गये। आप उन के आंकड़े देखें कि किस जगह और किस किस को दिए गये। वह इलाका जिसको हमेशा के लिये कालोनी समझा गया, वहां एक पैसा भी नहीं दिया गया। उसको हिन्दी एरिया कहिये या हिन्दू एरिया कहिए। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में मैं पड़ूं। लेकिन आप फिगर्स देखिये कि सबसिडी के तरीक़े से और भी जितनी तरह की चीज़ें हैं उनमें से कितनी रक़म हिन्दी एरिया को दी गई और कितनी पंजाबी एरिया को दी गयी। इसीलिये तो हिन्दी एरिया चाहता है कि पैप्सू से वह अलग हो जाय। इतना ही नहीं, मैं कितनी ही मिसाले और बता सकता हूं। एक कुंए के लिये पौने नौ सौ रुपये की सबसिडी दी जाती है। लेकिन मेरे इलाक़े में पानी बहुत गहरा है। एक कुंए के लिये वहां पांच हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो वहां तो यह सबसिडी दी नहीं जाती और जिस एरिया में नौ सौ या एक हज़ार रुपये में कुआं बन जाता है। उस एरिया में यह पौने नौ सौ रुपये की सबसिडी दी जाती है। जहां क़हतसाली है, जहां पीने तक के लिये पानी नहीं, वहां यह सबसिडी नहीं दी जाती है। फिर इस सबसिडी की हालत क्या है कि २५ से ५० रुपये तक तो पटवारी को देने पड़ते हैं, कोई नक़शा वगैरह बनाने के लिये, फिर एग्रीकल्चर के सब इंस्पैक्टर के पास पहुंचने पर २५/५० रुपये देने पड़ते हैं। और शायद इंस्पैक्टर साहब १००/२०० रुपये मांगें। एग्रीकल्चर के डाइरेक्टर तो बड़े अफसर हैं, उन की नहीं कहता, मगर वहां तक पहुंचने में शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसको तीन चार सौ रुपये तक न खर्च करने पड़ें और तब जा कर उसके चार सौ पांच सौ रुपये पल्ले पड़ते हैं। तो यह तो वह वाली बात हुई कि पहले जूतों का इनाम मांगें और फिर उनमें पांव दे। तो इसलिये हालत यह है कि जिन्होंने कुंए क़तई नहीं लगवाए वह सबसिडी लेते हैं, क्योंकि दो सौ तीन सौ वही दे सकते हैं जिन को कुछ खर्च नहीं करना है। वरना जिन को वाक़ई में खर्च करना है वह इतना खर्च कर के ९०० रुपये या पौने नौ सौ रुपये लेकर क्या करें।

इसी तरह से ट्रैक्टर के बारे में हालत है। पांच सात हज़ार की रक़म पाने के लिये वही खर्च कर सकता है जिस के पास इतना रुपया खर्च करने को हो। इसलिये यहां उन ो नहीं मिलता जिन को वाक़ई में ज़रूरत है बल्कि उन को मिलता है जिन के पास लाखों रुपये हैं और जो पहले ही काफी रुपया लगा कर ट्रैक्टर वग़ैरह रखे हुए हैं। उन्हीं को यह ट्रैक्टर के लिये भी रुपया मिलता है। इसलिये महज़ पैसा देने से ही काम नहीं चल सकता इसी से तरक्की नहीं हो सकती। बल्कि पैसा कहां और कैसे खर्च होता है इस को देखने से असली तरक्की होगी।

अभी पांच साला प्लान में भी भाखरा डाम पर ३५ करोड़ रुपया पेप्सू की तरफ से खर्च हो रहा है, लाखों एकड़ ज़मीन उस से सैराब होगी, बढ़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस इलाक़े को पानी की ज़रूरत है, साठ फ़ीसदी ज़मीन पर पानी नहीं आता है और हिन्दी एरिया के अन्दर महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अन्दर साठ फ़ीसदी के बजाय ९९ फ़ीसदी में पानी नहीं आता है, वहां भाखरा का पानी नहीं आयेगा।

वह पानी पटियाला से निकलता हुआ जाखल, सरसा होते हुए हनुमानगढ़ तक तो पहुंच जायेगा लेकिन दादरी की तरफ़ नहीं आ सकता, जहां कि ८४ हज़ार एकड़ ज़मीन सर्वे हो चुकी है, वहां की ज़मीन निहायत ज़रखेज़ है और वह सोना उगले अगर उस जगह भाखरा का पानी पहुंच जाय। वहां तक पानी नहीं पहुंचता, इसलिए कि पटियाला में रहने वाले आदमियों को उस इलाके का ख्याल नहीं, वह महज़ उसको एक कालोनी समझते रहे जैसे कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान को अपनी कालोनी समझते थे, आज महेन्द्रगढ़ की हालत बिजकुल उसी तरह है .....

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही पांच मिनट अधिक ले चुके हैं।

श्री चिनारिया : श्रीमान्, आप मुझे पांच मिनट का समय और देने की कृपा करें और इस पेप्सू के मामले में मुझे इधर की पार्टी का लीडर समझ लिया जाय और इस नाते कुछ और अतिरिक्त समय दिया जाय।

पेप्सू के अलावा दूसरे मामलों में तो लीडर बनने वाले बहुत हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए इस पेप्सू के मामले में मुझे लीडर समझ लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। नहीं।

श्री अलगुराय शास्त्री : पांच मिनट का समय दे दीजिये, ताकि यह अपनी बात खत्म कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, लेकिन जल्दी खत्म कीजिये।

श्री चिनारिया : खैर, अभी और बहुत सी काम की बातें बतलाने को हैं और जब अब मुझे इजाजत मिल गयी है तो मैं थोड़ा सा उनकी बाबत ज़िक्र करूंगा। मैं आपको बतला रहा था कि कि भाखरा का पानी उस इलाक़े में जहां पानी की ज़रूरत थी, जहां क़तई पानी नहीं है, और ९९ परसेंट इलाक़ा रेनफेड है, उस जगह नहीं जाता दूसरी जगह जाता है। मैं उस रास्ते को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपको दूसरे रास्ते बतलाता हूं जिससे उस इलाक़े में जहां पानी की ज़रूरत है, आ सकता है, उस इलाक़े के अन्दर नरवाना ब्रांच का पानी जहां लगता है उस जगह भाखरा का पानी आ जायेगा, वह पानी बच कर आयेगा और इलाक़ा दादरी के लिए काम आ सकता है। दूसरे एक और भी चीज़ की जा सकती है कि जगाधरी और करनाल के वाटर लौग्ड ऐरिया में जो २२५ ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं, वही पानी इलाके दादरी में आकर इलाके दादरी और महेन्द्रगढ़ एरिया को जो डेफिसिट ऐरिया है सैराब और सेल्फ सफिशियेन्ट बना

[श्री चिनारिया]

सकते हैं, लेकिन अगर वह भी काफ़ी न रहे, तो मैं एक दूसरी चीज़ आपके सामने रखता हूं कि जगाधरी कर्नाल एरिया के साथ ही लगता हुआ सफीदों पेप्सू का वाटर लौग्ड ऐरिया भी वैसा ही है जिसमें पानी ऊपर आया हुआ है। उस जगह २५, ३० या ५० जितने भी ट्यूबवैल लगाये जायं और वह पानी नहर जमुना में वेस्टर्न जमुना में डाला जा सकता है, इतना पानी बढ़ा कर ८४ हजार एकड़ ज़मीन को पानी देना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ ज़रा ख्याल करने की ज़रूरत है। यहां पेप्सू के सेक्रेटरीज़ भी बैठे हुए हैं, उनकी मैं इस तरफ तवज्जह दिलाता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की मार्फत तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि उस इलाक़े का ख्याल करके आप वहां पानी दें।

इसके अलावा कम्युनिटी प्राजेक्टस् का सवाल बहुत बड़ा है और इनकी बावत प्लानिंग मिनिस्टर ने हमेशा से यह पालिसी फालो की कि जो पालिसी गवर्नमेंट आफ़ इंडिया फालो करती आती थी कि जो पहले से अच्छा है उसको और अच्छा कर दो और मरते हुए को मरने दो। मेरे सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था कि कम्युनिटी प्राजेक्ट्स सारे के सारे ऐसी जगह हैं जहां कि पानी खूब है क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी पैदावार बढ़ाना आवश्यक है लेकिन सच पूछिए तो ज़रूरत इन प्राजेक्टस् की वहां है जहां पानी नहीं है, मरते तो वह लोग हैं। आपके पास अनाज ज्यादा भी हो जाय तो वह खरीदेंगे कहां से, क्योंकि उनके पास आमदनी के कोई साधन तो हैं नहीं। आप कम्युनिटी प्राजेक्टस् ऐसी जगह करें जहां पानी नहीं है ताकि उनको पानी मयस्सर हो सके जिससे वह अपनी पैदावार कर सकें। उन जगहों पर हर तीसरे साल कहत पड़ता है और वहां लोगों के पास उद्योग धंधा करने को नहीं है। उनके लिए नई नई चीजों को करने के लिए कम्युनिटी प्राजेक्टस् चाहिएं। यह तमाम के तमाम कम्युनिटी प्राजेक्टस् उन जगहों पर करने चाहिएं जहां पर आबपाशी नहीं होती है और जहां क़हत ज्यादा पड़ते हैं और जहां खुश्कसाली रहती है, लेकिन होता इसके बिल्कुल वरअक्स है, एक भी जगह ऐसी नहीं जहां कि मुकम्मिल खुश्क इलाके में कोई कम्युनिटी प्राजेक्ट उन्होंने जारी किया हो। पिछले दिनों इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च में मैंने एक रेजोलूशन रक्खा था और उसको उन्होंने मेहरबानी फरमा कर युनैनीमस्ली पास भी कर दिया, लेकिन उस रेज़ूलेशन का इम्पलीमेंटेशन में अब तक होता नहीं देख रहा हूं। अब भी मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जितने कम्युनिटी प्राजेक्टस् जारी करने हैं, वह मेहरबानी करके अकेले महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बल्कि जितने हिन्दुस्तान के खुश्क इलाके हैं उनमें इनको जारी किया जाय और उनके साथ प्रिफरेन्स शो किया जाये, तभी आपका मामला हल होगा, वरना यह कम्युनिस्ट भाई आपकी तमाम कमजोरियों को देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इनकी निगाह इनकी तरफ़ न पड़े क्योंकि नहीं तो उनके पंजे में वहां के रहने वाले फंस जायेंगे। अगर आपको अमनोअमान क़ायम करना है तो तमाम रुपया उस जगह लगाइये जहां लोग भूखे मरते हैं, जहां कमज़ोरी और दरिद्रता है। इसके अलावा दो एक छोटी छोटी बातें और हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री चिनारिया : दो मिनट मेहरबानी करके मुझे और बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, केवल एक मिनट।

श्री चिनारिया : सिर्फ दो फ़िकरे कह कर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री चिनारिया : मैं एक दो इंडस्ट्रीज की तरफ कुछ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां एक डालमिया सीमेंट फैक्टरी और एक शूगर फैक्टरी हमारी थी, वह शूगर फैक्टरी यू० पी० में भेजी जा रही है ।

दूसरी तरफ़ डालमिया सीमेंट फैक्टरी का ऐसा ग़लत इन्तज़ाम चल रहा है कि पहले जो मैनेजिंग एजेंसी थी, तेरह साल में पांच लाख रुपया मैनेजिंग एजेंसीज से आया, जब इसमें नफ़ा नहीं रहा तो तेरह साल के लिए पांच लाख और सिर्फ पांच सालके लिए उन्होंने ६ लाख ले लिया । २२ लाख रुपया आपने दूसरी फर्म्स को कर्ज़ पर दे दिया, हालां कि डिबेंचर्स, प्रीफेन्शियल शेयर्स हैं और जो ज़िम्मेदारियां हैं वह उस रुपये से अदा कर सकते थे । यही नहीं, अपनी मैनेजिंग एजेंसी पांच साल के लिए खत्म करके ६ लाख रुपया ले लिया और डाइरेक्टर अपने ही रक्खे । मैं कहता हूं कि इस तरह सारी जगह जो आज काम होता है, तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी आप नेशनलाइजेशन ला सकें, लायें, वरना कम से कम मैनेजिंग एजेंसी को तो खत्म कर दें ताकि यह लूट जो हम डालमिया सीमेंट फैक्टरी में देख रहे हैं, उस लूट को रोका जा सके और इसके लिये मैनेजिंग एजेंसी को खत्म किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा हिन्दी के मुताल्लिक कुछ नहीं हो रहा है .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं माननीय सदस्य को इस तरह और आगे बोलने की अनुमति नहीं दे सकता ।

सरदार हुक्म सिंह ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की शिक़ायत की है कि पेप्सू में अधिकतर सरकारी कर्मचारी सिक्ख हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कर भी क्या सकता है । जब वहां के संघ में दो तीन रियासतें ही सिक्ख शासकों की हों, विशेषकर सब से बड़ी रियासत अर्थात् पटियाला, तो आप वहां के रहने वाले सिक्खों को कहां निकाल सकते हैं । फिर भी, जब से वहां पर सलाहकार को नियुक्त किया गया है बहुत से अधिकारी हटा दिये गये हैं किन्तु हटाये जाने वालों में कोई हिन्दू नहीं है । सिक्खों को ही ज़िम्मेदारी के पदों से हटाया गया है । मेरे माननीय मित्र ने यह भी शिक़ायत की है कि जब से पेप्सू बनाया गया है तब से हिन्दी-भाषी भाग को पूर्णतः भुला दिया गया है । । परन्तु मेरा निवेदन है कि ऐसा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने ही किया था और ऐसा करने में केन्द्र ने उनको प्रोत्साहन दिया था । परन्तु यदि उनकी शिक़ायत १९५२ की लोकप्रिय सरकार के सम्बन्ध में है तो मैं उन्हें बतलाता दूं कि छः मंत्रियों में से चार मंत्री हिन्दी भाषी भाग के थे । नौकरियों में भी उसी भाग के अधिक लोग रखे गये थे । मेरे माननीय मित्र की एक यह भी शिक़ायत है कि भाकड़ा-नंगल परियोजना का पानी उनके क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है । परन्तु उन्हें मालूम होना चाहिये कि जांच पड़ताल होने के पश्चात् उस क्षेत्र को ऊंचाई पर पाया गया । अतः ऊंचाई पर पानी किस प्रकार लाया जा सकता है ?

मेरा अनुमान है कि श्वेत-पत्र में जो अनेक बातें दी हुई हैं उनमें से अधिकतर लोकप्रिय सरकार के समय में ही की गई थीं । श्वेत-पत्र को देखने स पता लगता है कि पेप्सू में, जो कि एक सीमान्त राज्य है, आर्थिक दृष्टि से वा ?

[सरदार हुक्म सिंह]

फ़स्लों में सब तरह से उन्नति हुई है । चीनी, कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है । मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि श्वेत पत्र में यह स्वीकार कर लिया गया है कि १९५२ में, जब लोकप्रिय मंत्रिमंडल कार्य कर रहा था, चहुंमुखी प्रगति हुई थी ।

कुछ लोगों का यह विचार है कि देशी राज्यों में पहले विधान-सभायें नहीं थीं इसलिये वहां का प्रशासन बहुत बिगड़ा हुआ था । परन्तु मैं बतलाना चाहता हूं कि कपूरथला और फरीदकोट के राज्यों में प्रशासन आज के मुक़ाबले कहीं अच्छा था ।

मेरे माननीय मित्र श्री चिनारिया ने कल शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा था । उन्होंने कुछ अपहरण के उदारहण दिये थे । मेरा उनसे इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन है कि पेप्सू की हालत अन्य राज्यों जैसी ही है । सौराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इस प्रकार के अनेक उदारहण दिये जा सकते हैं । हां, यह दूसरी बात है यदि आप किसी राज्य के विरुद्ध प्रचार करके उस को दोषी ही ठहराने पर तुले हों । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब से पेप्सू में सलाहकार की नियुक्ति हुई है तब से शान्ति व्यवस्था में सुधार हुआ किन्तु उस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक प्रचार किया जाता है । यदि आप किसी स्थान पर किसी भी तानाशाह को रख देंगे तो सुधार तो होगा ही किन्तु क्या आप इस प्रकार का प्रशासन पसन्द करेंगे ? यदि आप वर्तमान स्थिति का उस समय की स्थिति से मुक़ाबला करें जब कि लोकप्रिय सरकार थी तो आप देखेंगे कि कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । हत्यायें, डकैतियां, चोरियां आदि अब भी हो रही हैं किन्तु उनकी संख्या पहले से बहुत कम नहीं है । जब कि फ़रवरी १९५२ में ४१ हत्यायें हुई थीं तब फ़रवरी १९५३ में २१ । उसी प्रकार जब फ़रवरी १९५२ में १० डाके पड़े तब फ़रवरी, १९५३ में ५ । फ़रवरी, १९५२ में सेंध लगाने के १३७ मामले हुये जब कि फ़रवरी, १९५३ में ९९ । फ़रवरी, १९५२ में लूटमार के ३५ मामले हुये जब कि फ़रवरी, १९५३ में केवल १२ ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को यह आंकड़े कहां से प्राप्त हुये ?

सरदार हुक्म सिंह : अभिलेखों से । मैं ने आंकड़े रख दिये हैं । यदि सरकार के विचार में वे ग़लत हैं तो वह सही आंकड़े दें । यह पूछने से क्या होगा कि मैं यह आंकड़े कहां से लाया । यदि मैं ग़लत कह रहा हूं तो आप उसे ठीक कर दीजिये ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अपराधों की संख्या इसलिये भी कम है क्यों कि फ़स्लें कट चुकी हैं । अपराधियों को कहीं छिपने का स्थान नहीं है । यही कारण है कि इन दो तीन महीनों में अपराधों की संख्या कम हो जाती है । अतः सरकार यह दावा नहीं कर सकती है कि उसके प्रशासन में सुधार करने के कारण ही ऐसा हुआ है ।

एक दूसरा कारण यह भी है कि कर्मचारियों ने अधिकारियों की निग़ाहों में अपने आप को अच्छा दिखलाने के लिये एक अलग ही रास्ता अपना लिया है । जब कभी भी डकैती का मामला होता है तो वे उसे चोरी या लूटमार के रूप में पंजीबद्ध करते हैं । इस प्रकार वे अपने अधिकारियों को ख़ुश करते हैं । डकैती के मामले कम दिखाये जाते हैं । हो सकता है ऊपर के अधिकारियों का इसमें हाथ न हो । सलाहकार ने यह हिदायतें दी हों कि अपराधों की संख्या

कम की जाये । परन्तु निम्न वर्ग के कर्मचारियों ने उसे अपने लाभ का साधन बना लिया है । मैं ऐसे अनेक उदारहण दे सकता हूं जिनमें डकैती अपहरण आदि हुये हैं किन्तु उन्हें अन्य रूप में प्रगट किया गया है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन] हुये]

पेप्सू मंत्रिमंडल पर एक यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने विधान-सभा को कभी नहीं बुलाया । केवल दस दिन की बैठक हुई थी जिसमें कोई विधान पारित नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि अनुमति के लिये जो तीन विधेयक केन्द्र के पास भेजे गये थे उन्हें आज भी राज्य मंत्रालय दबाये बैठा है । अतः यह आरोप लगाना ग़लत है कि कोई विधान पारित नहीं किया गया ।

उद्घोषणा पर होने वाली चर्चा के दौरान में यह कहा गया था कि वहां के सदस्यों में कोई ईमानदारी नहीं रह गई थी । किसी भी सदस्य को कोई भी दल पैसा दे कर ख़रीद सकता था । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि यह बात कांग्रेसी सदस्यों पर पूरी तरह से लागू होती थी । उन्हें आप पैसे से ख़रीद सकते थे।

यह प्रचार किया जा रहा है कि सलाहकार ने निर्वाचन नामावलियां दो महीने पहले ही तैयार करवा दी हैं परन्तु यह बात ठीक नहीं है । लोकप्रिय सरकार ने जनवरी, १९५३ में नामावलियां संशोधित रूप में प्रकाशित करवाई थीं और वह रहती तो जनवरी, १९५४ में फिर करवाती । अतः इस प्रकार का ग़लत प्रचार करना सरकार को शोभा नहीं देता ।

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, कल से हम पैप्सू के मामलात पर बहस कर रहे हैं और पिछले दिनों वहां अमन और इन्तज़ाम में जो गड़बड़ रही मुख़्तलिफ़ दोस्तों ने उस पर रोशनी डाली है । मैंने कल अर्ज़ किया था कि मैं चूंकि इसी पैप्सू के एक हिस्से में रहता हूं, वहां के मामलात से मुझे बराह रास्त ताल्लुक़ है और हम वहां पिछले सालों में बहुत कुछ गड़बड़ देखते रहे हैं । आज़ादी के बाद जब यह यूनियन बनी इस यूनियन के बनने के बाद वहां के पहले प्रधान मन्त्री ने यह बात कही कि इस यूनियन की शक्ल में हम ने सिक्ख होम बनाया है और इस बात को उन्होंने कई जगह दोहराया, जिसका मतलब था कि हम ने अपने देश के क़ानून की बिना जिस सैक्युलैरिज्म पर रखी है वहां लोग उस के बरअक्स सोचते हैं और दूसरे रास्ते से चलना चाहते हैं । हम ने यहूदियों का वतन, मुसलमानों का वतन और ऐसी कई बातें सुनी और देखी हैं । यहूदियों का जो वतन बना, उस ने मिडिल ईस्ट में जो गड़बड़ की, जो बेचैनी पैदा की, उस पर मुझे यहां बहस नहीं करनी है । मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जो इस देश को बांट कर एक टुकड़ा बनाया गया, वहां की हालत हम रोज़ देखते हैं । ऐसा मालूम होता है कि हिन्दुस्तान का यह टुकड़ा इस क़िस्म का तसव्वुर पैदा कर के एक तबाही के रास्ते की तरफ़ जाना चाहता है । दरअस्ल बुनियादी ग़लती यह हैं कि पैप्सू में जब यह समझ लिया गया कि इस यूनियन की शक्ल में हम ने सिक्ख होम बनाया है तो इस से वहां रहने वालों के एक बहुत बड़े तबक़े के दिमाग़ों में बदगुमानी पैदा होने लगी और इस एक बुनियादी सबब ने इस की सियासत का ऐसा रुख़ कर दिया कि जो तबाही की तरफ़ ले जाता है । मुझे तो यह डर है कि सियायत के इस असर ने सिक्खिज्म के रूहानी तसव्वुर को भी बहुत नुक़सान पहुंचाया है । जहां तक

[डा० सत्यवादी]

मैंने मुताला किया है, स्वाध्याय किया है, मैं देखता हूं कि वह सिक्खिज्म जिस के दामन में बाबा फरीद, भक्त कबीर और भक्त रविदास जैसे महात्माओं के लिये जगह थी, आज यह उस सिक्खिज्म को सियासत के दलदल में डाल कर उस के दामन को तंग करना चाहते हैं और आज इसी वजह से लोग उस को शुबहा की नज़र से देखने लगे हैं। इस पैप्सू की सिक्ख होम करार देने वाले दोस्तों से मैं यह कहूंगा कि वे सारे भारत को सिक्ख होम क्यों नहीं समझते। अगर हम उस के दूसरे पहलू को देखें तो क्यों नहीं उस सिक्खिज्म के सन्देश को, उस के पैग़ाम को ले कर वे भारत के कोनों कोनों में फैलाते। वे क्यों अपने आप को पैप्सू के इन चार ज़िलों की हदों में महदूद कर देना चाहते हैं। तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि आज उस इलाक़े में हर बात में इसी नज़र से देखा जा रहा है और हर मसले को इसी ढंग से हल करने की कोशिश की जा रही है जिस ने वहां के सारे के सारे निज़ाम को गड़बड़ कर दिया है। पिछले दिनों तो हम ने यह देखा कि यह गड़-बड़, सियासत की कशमकश, इतनी गिरावट में चली गयी कि वहां ताक़त हासिल करने के लिये लोगों ने डाकुओं का, राहज़नों का और खूनियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। हम तो यह सुनते रहे हैं कि वहां वहां के लीडर, किसी जमायत के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी लीडरों के लिये यह कहा जा सकता है, कि वे इतनी गिरावट को पहुंच गये कि भटिंडा और दूसरे ज़िलों में जो कुछ हुआ वह आप सब को मालूम है। लेकिन वह जो कुछ हुआ वह डाकुओं का किया हुआ नहीं था। इन डाकुओं के पीछे जो सियासी डाकू बैठे हुये थे वे सब इस के लिये ज़िम्मेवार थे।

तो, बहरहाल, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैप्सू की सियासत में इस बुनियादी ग़लती ने एक अजीब गड़बड़ पैदा कर दी और जितनी जल्दी हम वहां इन हालात को ठीक करें उतना ही हमारे सिक्ख भाइयों के लिये, हिन्दुओं के लिये और तमाम देश के लिये अच्छा और मुफ़ीद होगा। अब हम वहां प्रैसीडेंट का राज्य ले कर गये हैं। अमन और इन्तज़ाम के मामले में कल मैंने अर्ज़ किया था और आज भी कहता हूं कि पिछले दो महीने के तजुर्बे से हमें यह महसूस हो रहा है कि वहां हालात ने बड़ी तरक्क़ी की है, इसलिये कि जिन लोगों के हाथ में अब वह इन्तज़ाम आया है वे तंग ख्यालात के असर से बाहर और आज़ाद हैं। तो मैं वहां की गड़बड़ के हालात की कुछ बातें आप को बताऊं जो कि वहां इस तरह से पैदा हुई। एक पुरानी मसल मशहूर है कि "करेला और नीम चढ़ा"। कुछ तो रियासतों की पोल पहले ही मशहूर थी। पटियाले की बात मैं आप को बता रहा था कि वहां मुक़द्दमात की कैफ़ियत क्या थी? एक मुक़द्दमे का ज़िक्र कल मैं कर रहा था कि २३ साल हो जाते हैं, ज़रा सा ज़मीन का टुकड़ा कि जिसका मालिया कुल चार आने बनता है उस को २३ साल हो जाते हैं। उस अरसे में उस की मजूल तहक़ीक़ात हो कर उसका फैसला नहीं हो पाता है और वह पटवारियों क़ानूनगो और दूसरे ऐसे आदमियों का खिलौना बना हुआ है। इतनी उस ज़मीन की क़ीमत नहीं है कि जितनी उस मुक़दमे के सिलसिले में उस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वालों को खर्च कर देना पड़ा और उन को परेशानी उठानी पड़ी। मुक़द्दमे की बात छोड़ कर मैं दूसरी तरफ जाता हूं। मैंने आप से अर्ज़ किया कि मैं इसी पैप्सू के एक इलाक़े में रहता हूं। यह वह इलाक़ा है जिस को कोहिस्तान का ज़िला कहते हैं। कोहिस्तान का इलाक़ा यों कहिये कि हमारे देश में हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा है।

तो इस पैप्सू का यह वह जिला है कि जिसके मुताल्लिक़ यह आशा की जा सकती थी कि यह यूनियन बन जाने के बाद, देश के आज़ाद हो जाने के बाद, इस पिछड़े हुये इलाक़े की तरफ़ तवज्जह की जा सकेगी । लेकिन हमने देखा कि पिछले चार पांच सालों के अन्दर वह हमारी तवक्क़ात पूरी नहीं हुई, हमारी वह आशायें पूरी नहीं हुई ।

बजट पर सरसरी नज़र डालने से मालूम होता है कि इन पहाड़ों में, ,क्योंकि यह पहाड़ी इलाक़ा है, जो रोज़ मर्राह की ज़रूरत है वह कम्यूनिकेशन के ज़रीये से पूरी होती है और इस की वहां बहुत ही ज्यादा कमी है । इस पर जितना धन वहां दिया जाता उतना ही यह इलाक़ा तरक्क़ी की तरफ जल्दी क़दम उठाता । इस बजट में मेरा ख्याल है कि कंडाघाट, चायल, सड़क को पक्का करने के लिये रक़म रखी गयी है और बाक़ी किसी सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इस सड़क पर भी ध्यान दिया गया तो शायद इसलिये दिया गया कि चायल राजप्रमुख का गर्मियों में सेंटर होता है, पुराना समर सेंटर है । वहां पर उन्हें ही रोज़ाना जाना पड़ता है, उन बड़े आदमियों को जिनकी वहां पर कोठियां हैं । इसलिये वह सड़क जो पहले ही अच्छी हालत में थी, उस पर और रुपये खर्च करने का इन्तज़ाम किया जा रहा है ।

एक दूसरी सड़क है जो शिमला से सुबाथू तक ब्रिडल रूट जाता है । उस का एक टुकड़ा सुबाथू से आगे जा कर मंडप से शुरू हो कर ममलीग तक जाता है । वह तो ऐसा रूट है कि वहां चला ही नहीं जाता । अगर इस सड़क को जो शिमले तक जाती है, मोटर के क़ाबिल बना दिया जाय, तो बहुत सहूलियत वहां के तमाम के तमाम इलाक़े के लोगों को हो जाय । जतोग से लेकर ममलीग तक तो इतना टुकड़ा इस क़ाबिल है कि उस को जारी कर के मोटर के क़ाबिल बनाया जा सकता है । इस से सब से बड़ा फ़ायदा होगा उन ज़मींदारों को जो अपने छोटे छोटे खेतों में सब्ज़ियां पैदा करते हैं और शिमला ले जा कर बेच कर अपनी गुज़र औक़ात करते हैं । वह लोग दो दो मन सब्ज़ी सिर पर रख कर पन्द्रह पन्द्रह और सोलह सोलह मील ले कर जाते हैं, अगर उस रास्ते को मोटर के क़ाबिल बना दिया जाय तो उस इलाक़े के आदमियों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है । सेहत के ऐतबार से और अस्पतालों के इन्तज़ाम के ऐतबार से देखिये तो सैरी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है । मुझे मालूम नहीं वहां अस्पताल में कोई डाक्टर आया भी है कि नहीं, लेकिन अभी दो साल पहले की बात है कि वहां के इंचार्ज एक कम्पाउन्डर साहब होते थे और वह कम्पाउण्डर साहब शराब के इतने आदी थे कि जब तक शराब की दो तीन बोतलें न पी लें, तब तक वह डिस्पेंसरी में नहीं आते थे । मुझे एक बार का वाक़या याद है कि मेरे एक दोस्त कम्पाउण्डर साहब को एक मरीज़ को देखने के लिये ले जाने आये, तो उन्होंने मुझ से फ़ीस पेशगी ले ली । पेशगी फ़ीस ले लेना कोई बुरी बात नहीं थी, चूंकि मरीज़ तक पहुंचने का रास्ता लम्बा था और सफ़र लम्बा था इसलिये उन्होंने पांच बोतलें शराब की अपने साथ रख लीं और कुन्हार तक पहुंचने में जो पांच सात मील का रास्ता तय करना पड़ता है, उस दरमियान में चार, पांच बोतलें उंडेल गये और कुन्हार पहुंचते पहुंचते उन बेचारों की क़ैफ़ियत ऐसी बन गयी कि मुझे उनके लिये डाक्टर बुलाने की ज़रूरत पेश आई, मरीज़ को देखने की कौन कहे ! तो मैं आपको बतलाना चाहता था कि वहां पर लोगों की सेहत का इन्तज़ाम बिल्कुल नाकाफ़ी

[डा० सत्यवादी]

है और उसके प्रति लापरवाही बरती गयी है। मेडिकल के बारे में सब से ज्यादा ज़रूरत जो मैं समझता हूं वह यह है कि वहां पर गर्भवती स्त्रियों के लिये मैटरनिटी सेंटर का प्रबन्ध होना चाहिये।

वहां पर सड़कें भी अच्छी दशा में नहीं हैं। सैरी से कंडाघाट तक का जो क़रीब १२, १३ मील का रास्ता है वह रास्ता इतना खराब है कि उस रास्ते मरीज़ नहीं जा सकते, कोई सड़क नहीं है जिस से उन को ले जाया जा सके। इसके अलावा एक दूसरा इलाक़ा है जो शिमले के कैथू इलाके से मिलता है और जिस को कैमिली परगना कहते हैं। वहां ठीक मेडिकल प्रबन्ध न होने के कारण बहुत सी गर्भवती स्त्रियां गर्भ की स्टेज में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर उन को वक्त पर मेडिकल इमदाद नहीं मिल पाती है, वहां ऐसे सेंटर नहीं हैं जिन में मरीज़ों को ले जाया जा सके, और पन्द्रह मील का यह रास्ता तय करने में ही उन का काम तमाम हो जाता है।

तालीम के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि वहां सैरी में एक प्राइमरी स्कूल है। उस प्राइमरी स्कूल के लिए एक दुकान किराये पर ले रक्खी है। उस दुकान में बच्चे बैठे रहते हैं। वहां न कोई ठीक बैठने का इन्तज़ाम है और न ही फ़र्नीचर कोई ठीक ठाक है। आप अन्दाज़ा कर सकते हैं कि इस पोज़ीशन में बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई कैसी होती होगी ! उस इलाके में प्राइमरी स्कूलों की और आवश्यकता है।

उस इलाके में एक हाई स्कूल भी है। ममलीग में एक मिडिल स्कूल है। मैं चाहता हूं कि आगे गहराई में जा कर शकरा के करीब मिडिल स्कूल बनाया जाय तो वहां के बच्चों को आसानी हो जायगी। इस के अलावा टूटो में एक हाई स्कूल खोले जाने की ज़रूरत है, तो इस से वहां के लोगों को बहुत आराम हो जायगा।

सड़कों की बाबत मैंने आप को बताया कि शिमला से सुबाथू वाली सड़क को मोटरेबल किया जाये, इस के अलावा मंडप से ममलीग तक का रास्ता बहुत खराब है।

वक्त तंग है, अब मैं हरिजनों के बारे में कुछ कह कर बैठ जाता हूं : हरिजनों की दशा पेप्सू में बहुत खराब है और उन के साथ लापरवाही और सख्तियां बर्ती गयी हैं और मालूम पड़ता है कि पिछले चुनावों के दौरान में हरिजनों ने जो रवैया वोट देने का अख्तियार किया था, उसकी उन्हें बड़ी सज़ा मिल रही है। फ़िरकापरस्ती का वहां पर बोलबाला है। और आप को मैं एक किस्सा सुनाऊं जो कि एक बहुत ही अजीबगरीब क़िस्सा है। तमाम भारत में महर्षि बाल्मिकि का जन्मदिवस असौज की पूर्णमासी को मनाया जाता है। लेकिन पेप्सू ने तमाम भारत में चल रही इस चीज़ को छोड़ कर अपने यहां कार्त्तिक की पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी कर दी है। अजीब तमाशा है। इस तरह की और भी कई बातें वहां पर हो रही हैं। पहाड़ी इलाकों में काफ़ी घास होती है जो कागज़ बनाने के लिए बाहर जाती है। उस इलाक़े में कालका के करीब कागज़ के कारखाने बनाये जा सकते हैं और जड़ी बूटियों की रिसर्च के लिए सेंटर्स बनाये जा सकते हैं।

इस के अलावा पहाड़ी इलाके में जितना स्टाफ़ पुलिस का बाहर से जाता है उन लोगों का रहन सहन पहाड़ के रहन सहन से बिल्कुल भिन्न होता है और खासकर पुलिस वालों का अखलाक़ भी जैसा होना चाहिए नहीं होता है। हमारे पहाड़ी इलाक़े में औरतें आज़ादी के साथ अकेली घूमती फिरती हैं और जंगलों से घास काट कर लाती हैं, जो पटवारी और पुलिस

वाले इधर प्लेन्स के जाते हैं उन का अख़लाख काबिले तारीफ़ नहीं होता। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहाड़ पर हम पुलिस और माल के महकमों में ऐसा स्टाफ़ रक्खें जिन का इख़लाक़ दुरुस्त हो। टीचर्स स्टाफ़ में भी पहाड़ी स्टाफ़ रक्खा जाना चाहिए और हमें वहां पर ऐसा स्टाफ़ रखना चाहिए जो,...जंगलों में घास लाती हुई और डंगर चराती हुई हमारी बहू बेटियां फिरती हैं, उन को अपनी मां बेटी समझें। बस मैं और अधिक न कह कर बजट प्रपोज़ल्स को सपोर्ट करता हूं।

श्री रणजीत सिंह (संगरूर) : जो बाहर के परामर्शदाता वहां भेजे गये हैं वह न तो वहां की भाषा समझते हैं और न वहां के रीतिरिवाजों को। पेप्सू के प्रशासन में सभी राजनैतिक दलों तथा अधिकारियों की उपेक्षा की गई। वहां के निवासी समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने उन के साथ अनुचित व्यवहार किया है। परामर्शदाता ने १० मार्च को शासन कार्य अपने हाथ में लिया और १२ मार्च को आदेश पारित किये....

सभापति महोदय : मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य अपने भाषणों में सामान्य प्रकार की बातों का ही उल्लेख कर रहे हैं। अतः मेरा उन माननीय सदस्यों से, जो वाद-विवाद में भाग लें, निवेदन है कि वे विशिष्ट बातों को कहें और उन के तर्कों का सम्बन्ध आय व्ययक के पहलुओं से होना चाहिये।

श्री रणजीत सिंह : परामर्शदाता ने १२ मार्च को आदेश जारी किये कि चार अधिकारियों को अवश्य छट्टी पर चले जाना चाहिये।

सभापति महोदय : बहुत शोर हो रहा है। माननीय सदस्य भाषण को ध्यान से सुनें।

श्री रणजीत सिंह : पिछले सात सप्ताह में उन्हों ने २० अधिकारियों के विरुद्ध कार्य वाही की और प्रशासन में बहुत अधिक परिवर्तन किये। यदि अधिकारियों को इसी प्रकार दण्ड दिया जाय और उन की पद अवनति की जाय और उन्हें निकाल दिया जाय तो कोई भी सरकार अच्छी प्रकार नहीं चल सकती। इन तरीकों से पेप्सू में समस्यायें और भी अधिक जटिल हो सकती है। १९४९ में मालेर कोटला में एक घटना हुई थी। वहां पुलिस का एक सब इंस्पैक्टर दिन दहाड़े मार डाला गया था और पुलिस के चार पांच अधिकारी मुअत्तिल कर दिये गये थे तथा इंस्पैक्टर जनरल आॅफ पुलिस को छै महीने की छुट्टी पर जाने के लिये कहा गया। उच्च न्यायालय ने इन अधिकारियों को बरी कर दिया और उन्हें फिर अपने पदों पर रखा गया। छै महीने बाद इंस्पैक्टर जनरल पुलिस को सेवा से निवृत्त हो जाने के लिये बाध्य किया गया। न्याय प्राप्त करने के लिये पेप्सू निवासी केन्द्रीय सरकार पर भरोसा करते हैं। परामर्शदाता का शासन उन के शब्दों से नहीं बल्कि उन के कामों से परखा जायगा। वहां शान्ति तथा व्यवस्था की दशा संतोष जनक नहीं है। सूर्य छिपने के बाद लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं आ जा सकते। पेप्सू के कई भागों में दिन दहाड़े लूट लेना, बसों को रोक लेना, डकैतियां तथा कत्ल, ये काम खूब हो रहे हैं। पहिले की अपेक्षा लोगों को अब कर अधिक देना पड़ रहा है। दोनों बड़े दलों में अभी आपस में मतभेद है और इन में जब तक झगड़ा चलेगा तथा कृषि सम्बन्धी समस्या हल नहीं की जाती और जब तक पेप्सू में स्थायी सरकार नहीं बन जाती मैं समझता हूं तब तक पेप्सू प्रशासन में सुधार होने की आशा नहीं और यदि इस में सुधार हुआ तो बहुत थोड़े समय के लिये होगा।

पेप्सू कृषि प्रधान राज्य है जहां ८० प्रतिशत व्यक्ति खेती से आजीविका कमाते हैं,

[श्री रणजीत सिंह]

वहां की जमीन अच्छी है और लोग मेहनती ह। यदि वहां दो करोड़ रुपये खर्च कर दिये जायें तो पेप्सू से सरकार को प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये का खाद्यान्न मिल सकता है। भाकरा बांध तथा नहरों के कार्य जल्दी पूरे कर देने चाहिये जिस से राज्य समृद्धिशाली बन सकता है। भू राजस्व सभी जगह एक सा कर देना चाहिये। वहां दो लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो कि बंजर है तथा उस में खेती नहीं होती। वहां नलकूप खोदे जायें जिस से इस भूमि की सिंचाई हो सके। इस भूमि के सुधार हो जाने पर इसे उन मज़दूरों को देना चाहिये जिन के पास जमीन नहीं है, इस से ऐसे लोगों को जमीन मिल जायेगी और उत्पादन भी बढ़ जायगा।

यह अच्छी बात है कि पेप्सू में शिक्षा के लिये एक करोड़ रुपये से अधिक का उपबन्ध किया गया है। शहरों में स्कूल, कालेज, सड़कें तथा अस्पताल हैं और वहां के निवासियों को जीवन की सभी सुविधायें प्राप्त हैं। गांवों के निवासी शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के लिये दिया गया अधिक धन गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलने पर खर्च किया जाना चाहिये। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये ३५ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है। गांवों में बहुत थोड़े अस्पताल हैं वहां और अधिक डिस्पैंसरियां खोलनी चाहियें तथा चलती फिरती डिस्पेंसरियों का भी प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री चिनारिया ने कहा कि पेप्सू में 'काका' शासन है। मैं उन से सहमत नहीं। वहां राष्ट्रपति की ओर से परामर्शदाता शासन कर रहे हैं। ये 'काका' कहे जाने वाले व्यक्ति वहां के निवासी हैं और राज्य की नौकरी में लगे हैं। ये लोग बहुत ही ईमानदार हैं और राज्य के लिये लाभदायक हैं। मैं नहीं समझ पाता कि यदि ये लोग अपने राज्य में नहीं रह सकते तो ये क्या करें और कहां जायें। दूसरी बात उन्हों ने यह कही कि वहां के महाराजाओं ने कुछ लोगों को ज़मीनें दी थीं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ३० या ४० वर्ष पूर्व जमीन की इतनी मांग नहीं थी और ज़मीन बहुत सस्ती बिकती थी। ३० या ३५ वर्ष पूर्व लाँयलपुर में ज़मीन २,५०० रुपये प्रति मुरब्बा बेची गई थी और १९२४–२५ में बीकानेर में २,५०० रुपये प्रति मुरब्बा बेची गई थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

उस समय देश के बहुत से स्थानों पर लोगों को ज़मीन मुफ्त दी गई थी। अतः इस पर महाराजाओं को दोष देने से कोई लाभ नहीं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह पेप्सू में सिक्खों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं सिक्खों से भी यह अपील करता हूं कि वह सरकार को अपना सहयोग दें इसी में उन की भलाई है और सरकार को भी सिक्खों के साथ न्याय करके उन्हें अपने विश्वास में ले लेना चाहिये।

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक पर अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विधि मंत्री का भाषण

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : संविधान के अन्तर्गत धन विधेयक की परिभाषा खण्ड.....

विधि तथा अल्पसंख्यक–कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : पूर्व इस के कि मेरे माननीय मित्र कुछ और कहें मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रीमान जी, मैं समझता हूं कि आप को राज्य-परिषद् के सभापति महोदय का एक सन्देश प्राप्त हुआ होगा। उस में उन्होंने न केवल अपना ही सन्देश भेजा होगा अपितु राज्य-परिषद् नें सर्व सम्मति से पारित एक संकल्प की प्रतिलिपि भी भेजी

होगी। उस संकल्प के द्वारा मुझे यह निदेश मिला है कि मैं इस सदन में न तो विधि मंत्रि की ओर न ही परिषद् के नेता की हैसियत से उपस्थित रहूं। अतएव यदि उसी मामले पर चर्चा की जानी है और यदि मेरे विरुद्ध कोई आरोप प्रस्तुत किया जाता है तो उस दशा में मैं यहां उपस्थित नहीं रह सकता।

श्री फीरोज गांधी (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला राय बरेली–पूर्व) : राज्य-परिषद् में पारित संकल्प को पढ़ दिया जाना चाहिये।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : हमारे सामने असली बात तो यह है कि हम इस सम्बन्ध में विधि मंत्री का वक्तव्य सुनें।

श्री बिस्वास : मैं यह बता दूं कि राज्य-परिषद् के सभापति महोदय से जो संदेश आया होगा उस में आप देखेंगे.....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे वह संकल्प नहीं प्राप्त हुआ। मुझे जो सन्देश प्राप्त हुआ है उसे मैं पढ़ दूंगा।

श्री बिस्वास : यदि आप उस सन्देश को पढ़ दें तो इस से मेरी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, क्योंकि वह परिषद् में पढ़ा गया था और मैं ने यह मान लिया था कि वह ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रति सचिव को दी गई थी। सदन के सूचनार्थ मैं इसे पढ़ दूंगा। मैं समझता हूं कि इसी को सभापति महोदय ने राज्य परिषद में पढ़ा था। जो वक्तव्य राज्य परिषद् में एक बार दिया गया है और उस की एक प्रति हमें मिल जाय तो वह हमारे लिये ठीक है और उस से हमारा काम निकल सकता है। इस में यह लिखा है "किसी शिकायत से राज्य परिषद् के किसी सदस्य के विशेषाधिकार भंग नहीं होते। मैं विशेषाधिकार के इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दे सकता। इस २९ तारीख को परिषद् में जो कुछ हुआ उस के सम्बन्ध में कुछ मिथ्या भ्रांति हो गई है। कुछ सदस्यों ने यह सन्देह प्रकट किया कि अनुच्छेद ११० (१) के अनुसार यह विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किये जा सकते हैं। इस अवस्था पर राज्य परिषद् के नेता ने यह सुझाव दिया कि यदि यह बात निश्चित रूप से बता दी जाय कि अध्यक्ष महोदय ने इस पर खूब विचार करने के बाद प्रमाण पत्र दिया है तो इस से इस सदन को और अधिक आश्वासन मिल जायेगा। जब इस बात से सम्बन्धित वक्तव्य लोकसभा से हमें कल मिला तो यह मामला समाप्त हो गया। यह किसी का भी विशेषकर राज्य-परिषद् के नेता का तो यह बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं था कि अध्यक्ष महोदय की निष्पक्षता पर आक्षेप किया जाय। हम अध्यक्ष महोदय की प्रतिष्ठा तथा दूसरे सदन के विशेषाधिकारों का सम्मान करते हैं जैसा कि दूसरे सदन से हम यह आशा करते हैं कि यह हमारे विशेषाधिकारों का सम्मान करेगा।"

मैं समझता हूं कि जो कुछ इस में कहा गया है उस से माननीय मंत्री सहमत हैं।

श्री बिसवास : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस विषय पर और अधिक चर्चा करना आवश्यक नहीं।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : किन्तु बात तो यह है कि क्या यह सत्य है या नहीं कि दूसरे सदन ने एक संकल्प पारित किया है जिस में विधि मंत्री को यह निदेश दिया गया है कि वह इस सदन में किसी भी हैसियत में उपस्थित न हों। यदि यह पारित किया गया

[श्री गाडगिल]

था तो क्या यह ऐसा मामला नहीं है कि इस पर इस सदन को उचित ध्यान देना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, माननीय विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने हमें यह सब कुछ बताया जो उस सदन में कहा गया था। यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है।

दूसरे मामले के सम्बन्ध में उस संकल्प के मिलने की प्रतीक्षा करनी चाहिये और फिर हम यह देखें कि उस में क्या लिखा है। न मेरे पास और न माननीय सदस्यों के पास ही उस की प्रति है। उस प्रति के मिलने पर ही हम उस पर विचार करेंगे। यह मामला भी समाप्त हुआ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा–पूर्व) : क्या मैं इस बात की ओर आप का ध्यान दिला सकता हूं कि स्वयं विधि मंत्री ने इस सदन में कहा कि धन विधेयक के सम्बन्ध में उन्होंने राज्य परिषद् में जो वक्तव्य दिया था यदि उस पर विचार किया जाता है तो वह उस सदन के संकल्प से बाध्य हैं और वह उन आरोपों का उत्तर देने के लिये यहां उपस्थित नहीं रह सकते।

मौलाना आजाद : दूसरे सदन में जो कार्यवाही हुई वह आप को मेरे माननीय सहकारी ने बता दी है। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य-परिषद् को सभापति के व्क्तव्य को पढ़कर सुना दिया गया। इस प्रकार यह मामला तय हो गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री का वक्तव्य तो नहीं सुनाया गया।

मौलाना आजाद : माननीय मंत्री ने सभापति महोदय के वक्तव्य का समर्थन किया और उसे मान लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है माननीय विधि मंत्री ने कहा कि दूसरे सदन ने एक संकल्प पारित किया था। जब वह पढ़ा गया तो वह उस से पूर्ण रूप से सहमत थे। उन्हों ने यह भी कहा कि उन्हों ने अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। अतः इस मामले को समाप्त समझना चाहिये।

दूसरे मामले के सम्बन्ध में कि दूसरे सदन ने विधि मंत्री को यह निदेश दिया कि वह इस सदन में उपस्थित न हों, मुझे यह कहना है कि दोनों सदन संसद् के अंग हैं और एक मंत्री दोनों ही सदन में मंत्री होता है। इस बात की दृष्टि में मैं किसी विशेष संकल्प के औचित्य पर यथा समय में विचार करूंगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे यथासम्भव ऐसी आलोचना न करें। हमें पता नहीं कि दूसरे सदन ने किस परिस्थिति में वह संकल्प पारित किया। हम उस सदन की कार्यवाहियों का शान्तिपूर्वक अध्ययन करेंगे जिससे कि दोनों सदनों के पारिवारिक सम्बन्ध बने रहें। हमें ऐसी भावना से काम करना चाहिये। जैसा कि दूसरे सदन के सभापति महोदय ने कहा कि "हम अध्यक्ष महोदय की प्रतिष्ठा तथा दूसरे सदन के विशेषाधिकारों का सम्मान करते हैं जैसा कि दूसरे सदन से हम यह आशा करते हैं कि वह हमारे विशेषाधिकारों का सम्मान करेगा" मुझे विश्वास है कि हम भी ऐसा ही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें दूसरे सदन की कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा यदि वास्तव में उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें दिखाई पड़ें तो भविष्य में ऐसी बातों को रोकने के और भी तरीके हैं। परन्तु जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, हमें अब इसे समाप्त समझना चाहिये।

डा० एस० पी० मुकर्जी : श्रीमान्, मैं इस मामले को समाप्त करने के बारे में आप से

सहमत होते हुए भी यह कहना चाहता हूं कि इस से एक मूल महत्व का प्रश्न उठता है। कल्पना कीजिये कि दूसरे सदन में किसी मंत्री या सदस्य द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाता है जो इस सदन के अध्यक्ष का अपमान करता हो तो क्या इस सदन को उस मामले पर विचार करने का अधिकार है ? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपने उठाया है जो राज्य-परिषद् द्वारा उस संकल्प के पारित किए जाने के बारे में है। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इस पर भी विचार किया जाय क्योंकि मेरे मत से यदि अध्यक्ष के अधिकारों को चुनौती दी जाती है तो चाहे वह चुनौती देने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, इस सदन के अधिकार विस्तृत तथा महान हैं कि उस व्यक्ति को इस सदन के सामने उपस्थित करा सके। यह सदन सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न संसद् है। मामले को समाप्त करने के सुझाव से सहमत होते हुए भी मैं समझता हूं कि मूल-महत्व के इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या अध्यक्ष के अपमान की अवस्था में इस सदन को सम्बन्धित व्यक्ति से स्पष्टीकरण के लिए कहने का अधिकार प्राप्त है या नहीं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न को आप के ध्यान में लाना चाहता हूं तथा वह इस सदन और इस के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा और गरिमा के सम्बन्ध में है.....

मौलाना आज़ाद : जनाब, मेरे आनरेबल दोस्त ने तसलीम किया है कि यह मामला खत्म हो गया है तो फिर वह इस पर बहस कर रहे हैं, यह किसी तरह से भी ठीक नहीं है।

श्री बिस्वास : श्रीमान्, आप की अनुमति से, इस प्रस्ताव पर चर्चा के समय मैं सदन से चले जाना चाहता हूं (**अन्तर्बाधा**)

डा० एन० बी० खरे : सदन से चले जा कर मंत्री महोदय ने सदन का अपमान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सचमुच ही खेद है कि माननीय वित्त मंत्री सदन से उठ कर चले गए हैं। स्थिति यह है कि जहां मंत्री महोदय अपना स्पष्टीकरण कर चुके हैं तथा परिषद् के सभापति के वक्तव्य को भी पढ़ कर सुना दिया गया है, वहां पंडित ठाकुर दास भार्गव को इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के बारे में अपने स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया था। इसी कारण अब मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे अब इस घटना के बारे में कुछ नहीं कहना है, परन्तु एक और मामला उठाया गया है। माननीय मंत्री ने अपना भाषण आरम्भ करते समय कहा था कि मैंने उन पर एक आरोप लगाया है। यह कहना नितान्त रूप से ग़लत है। दूसरे सदन में जो कुछ हुआ था, मैं ने इस सदन तथा अध्यक्ष के विचारार्थ केवल उस का वर्णन किया था। मैंने किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया है। दोनों सदनों के बीच बन्धुत्व के सम्बन्ध हैं तथा हम दूसरे सदन के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करते हैं। परन्तु हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि इस सदन और अध्यक्ष की प्रतिष्ठा तथा सम्मान को बनाए रखें तथा उस की रक्षा करें। मामला समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। जब किसी सदस्य द्वारा इसे उपाध्यक्ष के ध्यान में न लाया गया तो मैं ने आप से इस पर विचार करने की प्रार्थना की। मैंने इस में कोई ग़लत बात नहीं की। यह कहना मेरे प्रति अन्याय है कि मैंने माननीय मंत्री पर कोई आरोप लगाया है।

दूसरे सदन के जो मंत्री सदस्य हैं, उन्हें वहां पर बोलने तथा मत देने का निश्चय ही

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अधिकार प्राप्त है तथा इस सदन में भी उन्हें बोलने का अधिकार है। ऐसे मंत्रियों की तुलना में हमें भी ——जो इस सदन के सदस्य हैं——ये अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी अवस्था में जब मैं ने कुछ कहना आरम्भ किया तो क्या माननीय मंत्री के लिए आप से सदन से उठ जाने की अनुमति के मांगने तथा उस के मिलने से पहले उठ कर चले जाना उचित था ? श्रीमान्, सदन इसे सहन नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि भविष्य में इन बातों को रोकने के लिए आप उचित कार्यवाही करें, जो बहुत सख्त न हो। मैं चाहता हूं कि इस मामले को अब समाप्त समझा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मामले को अब समाप्त किया जाता है (**अन्तर्बाधा**)

डा० एस० पी० मुकर्जी : संविधान के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् सांझे रूप से केवल लोक-सभा के सामने ही उत्तरदायी है। कोई मंत्री भी, चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य क्यों न हो, यहां आ कर यह नहीं कह सकता कि वह इस सदन में चल रही कार्यवाही को सुनने को तैयार नहीं है तथा कि वह उठ कर चला जाना चाहता है। मैं समझता हूं कि इस बात को सरकार के ध्यान में लाया जायगा तथा मंत्री महोदय अपनी गलती को अनुभव करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत गम्भीर विषय है। दूसरे सदन ने एक संकल्प पारित किया है जिस में विधि मंत्री को इस सदन से अनुपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। यह एक गम्भीर विषय है। प्रत्येक सदन की अपनी अपनी प्रतिष्ठा है। तथा दोनों की सांझी प्रतिष्ठा भी है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि वित्त मंत्री दूसरे सदन में आवश्यक के प्रस्तुत करते समय वहां एक वक्तव्य देते हैं। इस सदन में स्पष्टीकरण के हेतु उस वक्तव्य का निर्देश किया जाता है। अब चाहे वह मंत्री इस सदन का सदस्य न भी हो, उस मंत्री से स्पष्टीकरण की आशा करता है (अन्तर्बाधा)। मैं यह कहते हुए इस सदन को इस के कुछ अधिकारों से वंचित नहीं करता हूं कि सब मंत्री दोनों सदनों के सामने उत्तरदायी हैं। फिर भी किसी मंत्री को अपने पद पर नियुक्त रखने या पद से हटाने का अधिकार केवल इसी सदन को है। (अन्तर्बाधा) सम्भवतः सदन इस बात से संतुष्ट हो जायेगा कि मंत्रिगण केवल इसी सदन के सामने उत्तरदायी हैं।

पंडित अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया-पश्चिम) : ठीक स्थिति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु मंत्रियों को दोनों सदनों में जाने का अधिकार है। एक सदन में दिये गये वक्तव्य से दूसरे सदन में आशंका के पैदा होने पर मंत्री महोदय को दूसरे सदन में जा कर उस का निवारण करना पड़ता है। इस में गरिमा या प्रतिष्ठा नहीं घटती है। न ही इसे किसी आरोप का लगाना समझा जा सकता है। प्रत्यक्षतः यह विचित्र जान पड़ता है कि कोई सदन अपने किसी सदस्य को जो मंत्री भी है, इस प्रकार का निदेश दे कि वह दूसरे सदन में स्थिति को स्पष्ट करने के लिये उपस्थित न हो (अन्तर्बाधा) यह मामला कुछ अधिक बढ़ता जा रहा है तथा हमें शान्तिपूर्ण वातावरण में सोचना चाहिये कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये। हमें एक दूसरे का दृष्टिकोण समझना चाहिये। तथा इस सदन तथा दोनों सदनों की प्रतिष्ठा से संगत कार्यवाही करनी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य : श्रीमान्, माननीय विधि मंत्री वापस लौट आये हैं।

श्री गाडगिल : श्रीमान्, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह मामला सांवैधानिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर तत्काल चर्चा न करें तथा इस के लिये कुछ समय निश्चित करें। हम इस सम्बन्ध में किसी मंत्री का जो इस सदन का सदस्य नहीं है, पथप्रदर्शन करना चाहते हैं। यदि परिस्थिति और बिगड़ी तो हो सकता है कि इस सदन के सदस्य माननीय श्री चिन्तामणि देशमुख को दूसरे सदन से अनुपस्थित रहने का निदेश दे दें। इन सब बातों की सम्भावना हो सकती है। मेरा निवेदन है कि किसी दूसरे समय मामले के इन सब पहलुओं पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य के कथनानुसार ही किया है। मैंने कहा है कि मैं केवल संकल्प की प्रति को ही पढ़ कर सुनाऊंगा तथा अग्रेतर उपायों के करने के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण विचार के लिये समय दंगा। अब सचिव महोदय उसे पढ़ कर सुनायेंगे।

सचिव महोदय : राज्य-परिषद् से यह संदेश प्राप्त हुआ है :—

> "मुझे निदेश दिया गया है कि मैं आप को उन वक्तव्यों की एक प्रतिलिपि भेजूं जो आज राज्य परिषद् की बैठक में राज्य-परिषद् के सभापति तथा परिषद् के नेता ने राज्य-परिषद् में उठाये गये उस विशेषाधिकार के प्रश्न पर दिये हैं जिसका सम्बन्ध कुछ उन बातों से है जो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, लोक-सभा की ३० अप्रैल, १९५३ की बैठक में उस भाषण के के बारे में उठाई थीं जो परिषद् के नेता ने भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर पृष्ठांकित अध्यक्ष के प्रमाण-पत्र के बारे में दिया था।"

मुझे लोक-सभा को अग्रेतर यह सूचना देनी है कि उसी बैठक में राज्य-परिषद् ने एकमत से निम्न संकल्प पारित किया है :—

> "इस परिषद् का यह मत है कि लोक-सभा में जब भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर पुष्ठांकित अध्यक्ष के प्रमाण-पत्र सम्बन्धी परिषद् नेता के भाषण के बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठाए जाने वाले मामले पर चर्चा हो तो परिषद् नेता वहां किसी भी हैसियत से उपस्थित न हों।"

सचिव महोदय : अब मैं राज्य-परिषद् के सभापति के वक्तव्य की अधिकृत प्रतिलिपि को पढ़ कर सुनाता हूं जो इस प्रकार से है :—

> "एकमात्र शिकायत करने पर कोई बाधा नहीं होती है तथा इससे राज्य-परिषद् के किसी सदस्य से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता। मुझे खेद है कि मैं विशेषाधिकार सम्बन्धी इस प्रस्ताव पर सम्मति नहीं दे सकता।"

वह विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव जिस की वरिष्ठ सदन में सूचना दी गई थी और जिस की एक प्रति सभापति महोदय

[सचिव महोदय]

द्वारा आज प्रातः मुझे दी गई है, इस प्रकार है :—

"मैं राज्य परिषद् के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में एक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं, यह प्रश्न पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा ३०-४-५३ को लोक-सभा में उठाये गये एक प्रश्न से तथा उनके द्वारा कही गई कुछ बातों से और उस के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय की टिप्पणी से जिस में उन्हों ने राज्य-परिषद् के नेता को दूसरे सदन में १-५-५३ को उपस्थित हो कर लोक सभा में उन के द्वारा परिषद् में दिये गये कुछ वक्तव्यों के प्रति लगाये गये आरोपों का उत्तर देने के लिये कहा गया है, उत्पन्न होता है ।"

आपका शुभचिन्तक
हस्ताक्षर—बी०सी० घोष
सदस्य राज्य-परिषद्"

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य-परिषद् के सभापति ने यह वक्तव्य दिया :—

"केवलमात्र शिकायत सेही राज्य-परिषद् के किसी सदस्य के विशेषाधिकार भंग नहीं होते हैं । मुझे खेद है कि मैं विशेषाधिकार सम्बन्धी इस प्रस्ताव के लिये अपनी सहमति देने में असमर्थ हूं । २९ तारीख को राज्य-परिषद् में हुई घटना के सम्बन्ध में बहुत भ्रान्ति है । कुछ सदस्यों को यह सन्देह था कि क्या उक्त विधेयक अनुच्छेद ११०(१) के अन्तर्गत धन विधेयक था । अध्यक्ष महोदय के प्रमाण-पत्र के बाद यह सन्देह और भी बढ़ गया । इस सम्बन्ध में परिषद् के नेता ने सदन को यह आश्वासन दिया कि यह प्रमाण पत्र मामले के सभी पहलुओं पर भली प्रकार सोच विचार करने के बाद दिया गया था । जब कल लोक सभा से उक्त वक्तव्य प्राप्त हुआ तो मामला समाप्त हुआ । अध्यक्ष महोदय की अपक्षपातपूर्ण नीति तथा सत्यता पर किसी को भी सन्देह नहीं था । लोक सभा के अध्यक्ष की मानरक्षा तथा उस के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये हम भी अत्यधिक इच्छुक हैं ।"

परिषद् के नेता का वक्तव्य इस प्राकार है :—

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर आप अपना विनिर्देश तो देंगे ही परन्तु मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । प्रथम बात तो यह है कि मैंने अध्यक्ष महोदय के प्रति कोई आरोप नहीं लगाये थे । यदि मैं अध्यक्ष महोदय पर कोई आरोप लगाऊं तो जिस पद पर मैं हूं उस के लिये मैं सर्वथा अयोग्य हूं । उस के प्रति जो आदर भाव प्रकट किया जाना चाहिये उस के प्रति मैं पूर्ण रूप से सचेत हूं । इस के, क्या मुझे उपाध्यक्ष महोदय के निमंत्रण पर लोक सभा में जाना चाहिये या नहीं, इस के सम्बन्ध में कोई सांवैधानिक प्रश्न खड़ा करने की

विधेयक पर अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विधि मंत्री का भाषण

मेरी कोई इच्छा नहीं है । मैं वहां जाऊंगा । जब मैं वहां था तब तक उन्हों ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था परन्तु बाद को उन्हों ने मुझे बताया कि उन्हों ने मुझ से उपस्थित होने की प्रार्थना की । यह निमंत्रण किसी सांवैधानिक आधार पर नहीं है अपितु केवलमात्र सद्भावना ही है जिससे कि मैं वहां उपस्थित हो कर उत्तम व्यवहार का एक दृष्टान्त प्रस्तुत करूं ।"

डा० एन० बो० खरे (ग्वालियर) : स्पष्टीकरण के हेतु । यह कहा गया है कि उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया था । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि माननीय विधि मंत्री भी उस से सहमत हैं ।

मौलाना आज़ाद : कौंसिल आफ स्टेटस (राज्य-परिषद्) में जो कार्यवाही हुई उस की वजह से बिलशुबहा बाज़ अहम सवाल पैदा हो गये हैं और उन की वजह से मुझे इन्कार नहीं है । बिला शुबहा उन पर गौर करना चाहिये, लेकिन आप इत्तिफाक करेंगे कि इस वक्त इस बहस को और बढ़ाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है । हाउस की कार्यवाही रुक चुकी है, उस को फिर से जारी करना चाहिये । आप बइत्मीनान इस पर गौर कर लेंगे कि इस सिलसिले में और क्या कार्यवाही करनी चाहिये :

श्री बी० एस० मूर्ति (इलूरू) : हम यह जानना चाहते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय का क्या कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे सदन से प्राप्त हुए सन्देश को पढ़ कर यह निश्चय करूंगा कि हमें क्या करना चाहिये : मैं आश्वासन दे सकता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने में कोई कसर उठा नहीं रखूंगा । मैं यह भी प्रयत्न करूंगा कि संसद् के दोनों सदन परस्पर मैत्री भाव रखें और एक दूसरे की प्रतिष्ठों की रक्षा करें । अतः इस मामले को स्थगित कर देने में कोई हानि नहीं है । मैं विभिन्न दलों के नेताओं के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करूंगा और यह निश्चय करूंगा कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

पैप्सू बजट पर सामान्य चर्चा

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) कुछ दिन पूर्व कांग्रेस ने पैप्सू पर जय-यात्रा की वैसी ही जैसी मुसोलिनी ने रोम पर की थी । जिस कारण पैप्सू मंत्रि मंडल को त्यागपत्र लेना पड़ा वह यह था कि उस के अधिकांश सदस्यों के विरुद्ध चुनाव याचिकायें दी गईं थीं और स्थिति बहुत बुरी थी ।

मेरे विचार से भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी भूल की है । यह मैं मानता हूं कि पैप्सू में शासन व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी परन्तु अन्य राज्यों में भी तो ऐसी ही स्थिति है । कुछ राज्यों में सरकारों की स्थिति बहुत दृढ़ नहीं है । राजस्थान में पहले कांग्रेस दल को १० को बहुमत प्राप्त था, बाद को अन्य सदस्यों को, न जाने किस किस तरह, कांग्रेस में मिलाया गया ।

पंडित के० सी० शर्मा (मेरठ ज़िला-दक्षिण) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में । माननीय सदस्य के पास कौन सी सूचना है जिस के आधार वह यह कहते हैं दुरामिसंधियों से बहुमत बनाया गया है ? यह एक सदन के प्रति आक्षेप है । माननीय सदस्य से प्रमाण देने को कहा जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरे अपने दल के सदस्यों ने यह सूचना मुझे दी है ।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

यह बात राजस्थान तक ही सीमित नहीं अपितु .....

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया प्रत्येक कथन के लिय सदस्य स्वयं जिम्मेदार होता है । अकाट्य प्रमाणों के अभाव में ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिय । इस सदन में सद भावना बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है : अतः इस प्रकार के वक्तव्य यथा संभव नहीं दिये जाने चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमान् । आज प्रातः जो भाषण दिये गये उन से यह ज्ञात होता था कि चर्चा बजट की विशिष्ट मदों पर नहीं अपितु देश की सामान्य स्थिति पर की जा रही थी । मेरे माननीय मित्र पैप्सू के सम्बन्ध में राजस्थान का निर्देश कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप अपना विनिर्देश दें कि क्या बजट सम्बन्धी सामान्य चर्चा में इन विषयों को उठाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक बजट का सम्बन्ध है चर्चा मांगों तक सिमित रहती है । परन्तु वित्त विधेयक सम्बन्धी चर्चा में प्रशासन के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है । मुझे ज्ञात नहीं कि पैप्सू के लिये भी कोई वित्त विधेयक है या नहीं । उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है । मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि राज्य विधान सभा में वित्त विधेयक पर इसी प्रकार चर्चा होती है या नहीं ।

श्री सी० डी० देशमख : जी नहीं, केवलमात्र विनियोग होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवलमात्र विनियोग विधेयक होता है । विनियोग विधेयक पर चर्चा बहुत ही सीमित रहती है । संसद् में वित्त विधेयक पर समस्त प्रशासन की आलोचना की जा सकती है परन्तु बजट सम्बन्धी चर्चा सीमित होती है : पैप्सू राज्य विधान सभा में वित्त विधेयक न होने के कारण बजट के अतिरिक्त प्रशासन पर आलोचना करने का कोई अवसर नहीं होता है । अतः मैं पैप्सू के बजट पर हो रही चर्चा में थोड़ी सी छट दे रहा हूं । राजस्थान के सम्बन्ध में को निदश किया गया था वह असंगत था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं केवल यही निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस सरकार प्रजातन्त्रात्मक होने का दावा करती है यद्यपि उस में जनतंत्रीय भावना का लेश भी नहीं है । पैप्सू में आज जो शासन स्थापित किया गया है वह वहां के भूतपूर्व शासन से कहीं अधिक क्रूर तथा प्रतिक्रियावादी है । यही मेरी शिकायत है । कांग्रेस की इस परामर्शक शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं ने यह शिकायतें सुनी हैं कि वह पैप्सू के अतिशय भ्रष्ट तथा अवांछनीय व्यक्तियों का पृष्ठपोषण कर रहा है और भूमिसुधार, राजप्रमुख के पद की समाप्ति तथा राज्य के पड़ौसी राज्य में संविधान के सम्बन्ध में जो लोकप्रिय भावना वहां बनती जा रही है उस के विरुद्ध यह परामर्शक महोदय एक प्रतिक्रान्ति का नेतृत्व कर रहे हैं । परामर्शक महोदय द्वारा प्रोत्साहित इस प्रतिक्रान्तिमय आन्दोलन का हम विरोध करते हैं । वहां की शासन व्यवस्था एकबारगी ही अप्रजांतत्रात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक है तथा नौकरशाहीकी भावना पर आश्रित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने कथन को तथ्यों पर आधारित कर सकते हैं । आरोप लगाना बहुत सरल है । उन्हें पैप्सू के शासन प्रबन्ध के सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने चाहियें । सा ही किसी प्रकार की संअसदीय भाषा तथा अशोभनीय अथवा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है । नियमों के अनुसार न केवल असंसदीय शब्द ही वर्जित है अपितु सभी

प्रकार की अशोभनीय भाषा भी वर्जित है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वहां की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें कहनी हैं । सन् १९५३-५४ में इन पर ८२२ लाख रुपया व्यय किया जायेगा। बजट के साथ दिये गये व्याख्यात्मक ज्ञापन से मुझे ज्ञात हुआ है कि यह विकास कार्यक्रम सन् १९५०–५१ में प्रारम्भ किया गया था और अभी भी चल रहा है । यह योजना पंच-वर्षीय योजना का ही एक भाग है, परन्तु श्वेत पत्र के पृष्ठ १० पर यह दिया हुआ है कि पैप्सू में पंच वर्षीय योजना सन् १९५२-५३ से प्रारम्भ की जायेगी । यदि श्वेत पत्र की सूचना ठीक है तो पंचवर्षीय योजना सन् १९५२-५३ से १९५७-५८ तक चलेगी। अतः दोनों विवरणों में स्पष्ट असंगति है । माननीय मंत्री इस का स्पष्टीकरण करें । भाखड़ा नांगल तथा नलकूप परियोजनायें इस ८२२ लाख रुपये में शामिल नहीं है । भाखड़ा के सम्बन्ध में इस सदन में बहुत कुछ कहा गया है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। इस अवसर पर पैप्सू के सदस्यों को जिन को वहां की परिस्थिति का अधिक ज्ञान है, अपने विचार प्रकट करने चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : नलकूप परियोजना पर दो करोड़ रुपया खर्च किया जाने को है । यह कहा गया है कि यह परियोजना लाभप्रद नहीं है तो भी एक अमरीकन सार्थ के साथ ठेका किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इन नलकूपों के गलाने तथा काम में लाये जानें में क्या कठिनाइयां हैं । ठेका अमरीकन सार्थ को क्यों दिया गया है । मुझे ज्ञात हुआ है कि नलकूप लगाने की प्रगति बहुत धीमी है और इस कारण धन का बहुत अपव्यय हो रहा है ।

बजट को देखने से मझे ज्ञात होता है कि समय समय पर प्राकल्लित आंकड़ों में बहुत बार हेर फेर किया गया है । प्राकल्लित आंकड़ों से पैप्सू की आर्थिक स्थिति बहुत डांवाडोल मालूम होती है परन्तु पुनरीक्षित आंकड़ों से स्थिति अच्छी मालूम होती है । यह स्पष्ट है कि बजट ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया है ।

जहां तक नकद रोकड़ का प्रश्न है, वह बहुत तेजी से कम होती जा रही है और भय है कि बहुत शीघ्र ही वह समाप्त हो जायेगी। । साथ ही सरकार भाखड़ा परियोजना के लिये दी गई धन राशि पर ४ १/८ प्रतिशत की ब्याज ले रही है। ब्याज की यह दर बहुत अधिक है । पैप्सू की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ न होने के कारण मेरा निवेदन है कि इस दर को कम कर दिया जाये ।

सरकार पैप्सू को पंजाब में संविलीन करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निश्चय कर लेना चाहिये , यदि ऐसा किया गया तो वहां की जनता सन्तुष्ट हो जायेगी । अन्त में मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह उन राजनैतिक पैन्शनों तथा भत्तों को, जिन्हें पैप्सू सरकार इस समय दे रही है, एक दम बन्द कर दे ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर बोलने के लिये सिर्फ इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मेरी कांस्टीट्यूऐन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में एक छोटी सी रियासत है जो कि पिता जी की तरफ से मेरा जन्म स्थान है । वह रियासत, यह एक मेरी खुशकिस्मती थी और हमारे इलाके वालों की खुशकिस्मती थी, कि वह पैप्सू में जाते जाते रह गयी और पंजाब में वह मिला दी गयी । इसीलिये मैं इस

[श्री बंसल]

बजट पर बोलने के लिये आज खड़ा हुआ हूं ।

यह जो पैप्सू की रियासत है वह बहुत टकड़े टुकड़े कर के सारे पंजाब में फैली हुई है । इसका धड़ तो बीच में है और इसका सिर कहीं पैर कहीं और हाथ कहीं हैं इस के पैर का जो इलाका है महेन्द्र गढ़, वह इलाका मेरी कांस्टीट्यूऐंसी के बिल्कुल करीब है और उस के जो मसले हैं वे बिल्कुल वही हैं जो कि मेरे इस इलाके के हैं, यानी गुड़गांव और रोहतक के जो जिले हैं और उन में जो तहसीलें हैं झज्जर और रिवाड़ी की । वह महेन्द्र गढ़ से बिल्कुल मिली पड़ी हैं और उन की भौगोलिक सीमा बिल्कुल महेन्द्रगढ़ के पास पड़ती है । मैं ने कुछ दिन हुए अपने सिंचाई मिनिस्टर साहब को बताया था कि इस इलाके के पानी का मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक कि सारे इलाके को वह एक इंटीग्रेटेड इलाका नहीं समझते । अगर पैप्सू के इस हिस्से के नक्शे को देखें तो आप को मालूम होगा कि वह एक ऐसे वाटर शड में ह जिसका बहाव उत्तर की तरफ है । अभी तक जितनी भी नहरें हिन्दुस्तान की पंजाब की तरफ बहती हैं वह उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं लेकिन जब वे झज्जर और रिवाड़ी की तहसील के पास आती हैं तो उन का बहाव उल्टा होने लगता है । इसलिये भाखड़ा और नांगल का जितना पानी आवगा वह हमारे इलाके को नहीं मिलेगा, न वह महेन्द्रगढ़ को मिलेगा और न वह झज्जर और रिवाड़ी की तहसीलों को मिलेगा और वह उत्तर की तरफ ही रह जायेगा । मेरे भाई श्री चिनारिया ने बताया है कि भाखड़ा का पानी इधर आ सकता है । मेरे ख्याल से वह कुछ गलती कर गये । मैं समझता हूं कि भाखड़ा का पानी सरकार कितनी ही कोशिश करे हमारे इधर मामूली तौर पर जरा भी नहीं आ सकता । मैं समझता हूं कि यह पानी लिफ्ट चनल से ही इधर आ सकता है । अभी भी हमारे इस इलाके में दो लिफ्ट चैनल्स बने हुए हैं और इस मेरे इलाके में लिफ्ट चैनल्स के जरिये ही पानी थोड़ा बहुत इधर फेंका जा सकता है ।

तो इस इलाके के जो मसले हैं, खास तौर पर सिंचाई के, वे सब मिले जुले हैं और एक से हैं । इसलिय मेरी अपील है फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से कि इस इलाके को वह एक इंटीग्रेटड होल समझें और वहां एक इरिगेशन कमीशन भजें जो वहां जा कर वहां की टोपोग्राफी को पहले देखे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे और वहां की जमीन का उतार चढ़ाव देखें, टोपोग्राफिकल सर्वे करे ताकि वास्तव में मालूम हो सके कि सिंचाई कैसे सस्ती हो सकती है । मुझे हैरानी हुई देख कर जब मैंन सिंचाई डिपार्टमेंट वालों से मालूम किया कि इस इलाके का अभी तक कोई भी भौगोलिक सर्वे नहीं हुआ है । लोगों के दिल में इस इलाके के प्रति एक खास ख्याल है कि यहां नहर की स्कीमें नहीं बन सकती हैं । मैंने इस बारे में खोज बीन की और यह मालूम किया कि कुछ बरसाती नाले इस इलाके में अलवर और महेन्द्रगढ़ जिले से होते हुए हमारे जिले तक आते हैं, अगर इन बरसाती नालों के बांध बनाये जायें, तो यह मुमकिन है कि कम से कम दो तीन महीने के लिये इस सारे इलाके को पानी मिल सकेगा और अगर रबी की फसल को नहीं, तो खरीफ की फसल को काफी पानी मिल सकता है । हमारे इस इलाके की खास तकलीफात इस लिये हैं कि यहां पानी बरसात के दिनों में सिर्फ आठ या दस इंच बरसता है और जब तक किसी और जरिये से यहां सिंचाई नहीं की जायेगी, यह इलाका पिछड़ा का पिछड़ा रह जायेगा ।

कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स की स्कीमों के बारे में हम ने कई मर्तबा सवाल उठाये, हमारे श्री चिनारिया जी न आप को बतलाया कि कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स जब बांटे जायें, तब खास तौर से इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि वह ऐसे इलाकों को दिये जांय जहां पर बारिश बहुत कम होती है और खुश्क इलाका है। मेरी कांस्टीट्यूऐंसी में सोनीपत को एक कम्युनिटी प्रोजैक्ट मिला है, उस की प्रगति को जब मैं देखता हूं तो कहे बगैर नहीं रह सकता कि उस इलाके के लोगों में कोई खास जोश या दिलचस्पी कम्युनिटी प्रोजैक्ट के मामले में नहीं है और इस की वजह बहुत साफ है, क्योंकि उस इलाके में उन को अपने काम से फुरसत ही नहीं मिलती कि वह कम्युनिटी प्रोजैक्ट की स्कीमों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहां पर उन को पानी अपनी खेती को सैराब करने के लिये मिल जाता है। इसलिए अगर आप यह कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स ऐसे खुश्क एरियाज़ में जहां पर बारिश नहीं होती, है, लगायें तो आप देखेंगे कि लोग कितने जोश खरोश के साथ इन में काम करेंगे और जितना रुपया आप वहां लगायेंगे, बहुत जल्द ही उस की कीमत आप को वापिस मिल जायेगी।

दूसरी बात जो अमनोअमान से ताल्लुक रखती है, मैं अर्ज करना चाहता हूं और मैं बतलाऊं कि इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी से मिला था और उन का ध्यान अमनोअमान की परिस्थिति की ओर खींचा था। मेरे इलाके में अमन चैन की हालत इधर कुछमहीनों में बिगड़ गई है और जब मैंने इस बारे में जांच की तो मुझे पता लगा कि चूंकि यह इलाका पैप्सू से मिला हुआ है, इसलिये वहां के अमनोअमान की हालत बहुत खराब है और पैप्सू के बहुत से मफ़रूर लोग यहां आ जाते हैं और यहां पहुंच कर अपराध करते हैं और आतंक मचाते हैं। एक मर्तबा जब मैं अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में गया तो मुझे बतलाया गया कि सिर्फ एक थाने में १५-२० खून एक महीने में हुए, जब मैंने उन से तफसील मांगी तो मुझे दस आदमियों के नाम बतलाये गये जिन का सिर्फ एक थाने में कत्ल किया गया था। मैंने कातिलों का पता लगाने के लिये डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा तो मुझे बताया गया कि अभी तक हम बहुत कम कातिलों को पकड़ सके हैं और उस की वजह यह है कि हमारे पास जो इलाका लगता है वह ऐसा है जिस के ऊपर हमारा कोई कब्ज़ा नहीं है।। इस नुक्ते निगाह से मैं यह चाहता हूं कि इस सारे इलाके को रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ का जो इलाका है, उस को एक अलग इलाका समझा जाये और उस के लिये खास तौर पर प्यूनिटिव पुलिस फोर्स या एक हाई लैवल का पुलिस अफसर तैनात किया जाय और उस को पूरा अख्तियार हो कि जितने भी इस तरह के जरायम यहां होतें हैं उन की पूरी तौर से देख भाल की जाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पंजाब ने ऐसी पुलिस अपने बार्डर पर मुकर्रर कर रक्खी है।

श्री बंसल : अभी तक कोई तसल्लीबख्श नतीजा सामने नहीं आया है। एक हैरत अंगेज़ खून जो मेरे इलाके में हुआ और जिस का जिक्र मैंने माननीय मंत्री से किया था, मैं बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि अमनोअमान के बारे में जो मैंने उन से बातचीत की थी, उस के बारे में उन्होंने क्या तजवीज की और उन्होंने क्या ऐक्शन उन चीज़ों पर लिया है।

दूसरी चीज बार बार यह भी उठती है कि जो हिन्दी भाषी पंजाब है, जिससे मैं आता हूं, वहां यह आवाज उठती है कि हम को उत्तरी पंजाबी से अलग हो जाना चाहिये, इस बात से भी गृह मंत्री अच्छी तरह से वाकिफ हैं, कि यह आवाज क्यों उठती है कि दक्षिणी पंजाब का जो हिस्सा है, जिस में

[श्री बंसल]

करनाल रोहतक महेंद्रगढ़ आदि हैं इन को पैप्सू में मिला देना चाहिये। इस इलाके को आज तक बिल्कुल स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिला है। उस को पंजाब ने पंजाब नहीं समझा यहां तक कि हम नहर का पानी सौ करोड़ रुपये में भाखड़ा नांगल को दे रहे हैं लेकिन हिसार को हम कोई पानी नहीं देते, कोई तजवीज ऐसी नहीं बनाते जिस से नहर का पानी हिसार के इलाके में आ सके, क्या वजह है कि हिसार को पानी पहुंचाने के लिये कोई तरकीब, नहीं सोची गई। ट्यूबवैल हम लगा नहीं सकते मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि जिस को अपना कर हम इस एरिया को सैराब कर सकें ? मुझे कोई शक और शुबहा नहीं है कि इस एरिया के प्रति अगर इसी तरह का आप को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट चलता रहा, तो वह भी इस बात की आवाज बुलन्द करेगा कि उस को पंजाब से अलग कर दिया जाय। मैं इस बात को मानता हूं कि पजाब से अलग हो कर इस को कोई फायदा नहीं होगा। यह बीच में एक अलग सा टुकड़ा बन कर रह जायगा जिस में न तो राजस्थान का चम्बल नदी का पानी आयगा और न ही भाकरा नंगल का पानी आयेगा और बीच में हम रह जायेंगे। लेकिन जब आदमी फ्रस्ट्रेड (निराश) हो जाता है और कहीं से मदद मिलने की गुंजाइश नहीं दीखती तब इधर ही उस का ध्यान जाता है। इसलिये मैं एक बार फिर अपने फाइनैंस मिनिस्टर साहब से, जिन के हाथ में आज कल पैप्सू के सारे फाइनैंसेज हैं और अपने गृह मंत्री से अपील करूंगा कि यह जो सवाल बार बार उठाये जाते हैं, वह इन की तह में जायें और इस बात को समझें कि उन की एकानामिक हालत कितनी पिछड़ी हुई है और आज उन में इतना फ्रस्ट्रेशन फैल गया है कि वह अब इस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट उन के साथ बंद किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत जल्द इस तरह का मिला जुला कमीशन बना दे जो हमारे काश्त और सिंचाई और दूसरे मसलात हैं उन को देखे और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को दे।

श्री आर० पी० गर्ग (पटियाला) : पेप्सू का यह आयव्ययक कुछ अव्यवस्थित सा प्रतीत होता है। इस राजस्व का २५ प्रतिशत भाग शराब अफीम जैसी आबकारी की चीजों से प्राप्त होता है। मुझे यह देख कर खेद होता है कि इस के राजस्व में जनता से लिये गये ३८ लाख रुपये राजप्रमुख तथा राजाओं की निजी थैलियों पर तथा उन के परिवारों के पालन पोषण पर व्यय किये जाते हैं।

हमारे राज्य के एकीकरण के समय स्वर्गीय सरदार पटेल ने यह समझा था कि ये महाराजे आराम की जिन्दगी बितायेंगे अतः इन्हें बड़ी निजी थैलियां दीं। किन्तु इन राजाओं को जो धन मिलता है तथा जो अधिकार प्राप्त हैं उस से वे वहां के राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवन में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी संस्थाओं को सहारा दे रहे हैं। हमारे राजप्रमुख ने संविधान सम्बंधी सभी बातों को छोड़ रखा है। विधान सभा के गत सत्र में राजप्रमुख ने अपने धन से विधान सभा के सदस्यों को खरीदने का प्रयत्न किया। राजप्रमुख के मामा सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला ने राष्ट्रीय दल (नेशनल फ्रन्ट) नामक एक नया दल बनाया। इस के सदस्य राज प्रमुख तथा वहां के महाराजाओं तथा बिश्वेदार के सम्बंधी हैं। इस को इन महाराजओं के निजी थैलियों तथा रिस्तेदारों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती हैं मैं सदन को यह चेतावनी देना

चाहता हूं कि यह वहां जनता तथा प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं के विरुद्ध षड़यंत्र है। यदि आप चाहते हैं कि वहां प्रजातन्त्र पनपे और जनता इन महाराजाओं तथा बिस्वेदारों के बुरे प्रभाव से बची रहे तो राजप्रमुख पद को समाप्त कर दीजिये और न इन महाराजाओं को ये निजी थैलियां दीजिये। इन लोगों ने जनता के विरुद्ध जो अपराध किये हैं उस के लिये इन पर मुकदमा चलाया जाय। काश्मीर सरकार तथा वहां की जनता को मैं इस काम के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां राजप्रमुख पद तथा महाराजा की निजी थैली दोनों समाप्त कर दिये।

हमारे राज्य में लोक सेवा आयोग के लिये १०७,००० रुपये की राशि का उपबंध किया गया है। किन्तु इस पर भी वहां महाराजा का कुप्रभाव है। राड़ेवाला शासन काल में इस आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया जाता था और रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के समय साम्प्रदायिक भावना से काम किया जाता था। पद नियुक्तियों के मामले लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट नहीं किये जाते थे। लोक सेवा आयोग में इन सब अनियमितताओं के विरुद्ध विरोध किया। लोक सेवा आयोग में तीन सदस्य होने चाहियें। पिछले दो वर्षों से इस का एक स्थान रिक्त रहा जिस पर राड़ेवाला मंत्रिमंडल ने किसी को नियुक्त नहीं किया। कांग्रेस ने अपने शासन काल में इस की सिफारिश भी की किन्तु राड़ेवाला मंत्रिमंडल बनने तक राजप्रमुख ने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की। इस लोक सेवा आयोग में बहुत पक्षपात होता है। अयोग्य व्यक्ति भी चुने गये हैं और इस पर महाराजा का बहुत प्रभाव रहा है। इसे समाप्त क्यों न कर दिया जाय और इसे पंजाब लोक सेवा आयोग में मिला कर १०७,००० रुपयों की बचत क्यों न की जाये ?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पर आसीन हुए]

हमारे राज्य में उच्च न्यायालय के लिये ३३४,००० रुपयों का उपबंध किया गया है। पैप्सू बहुत छोटा राज्य है यहां उच्च न्यायालय रखने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली इससे अधिक महत्वपूर्ण है वहां उच्च न्यायालय नहीं है। वहां चक्रमी न्यायालय रखा जा सकता है और इस में ३३४,००० रुपये की बचत हो सकती है। जिला प्रशासन के लिये १८ लाख रुपयों का उपबंध किया गया है। कई जिलों में संख्या बहुत कम है। जिला प्रशासन की भी कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे जिले हैं जिन की आबादी पूरे पैप्सू से ज्यादा है। मेरा सुझाव यह है कि आठ जिलों की संख्या को कम कर के इन जिलों की संख्या पांच कर देनी चाहिये। इस से जिला प्रशासन में सात लाख रुपये की बचत हो जायेगी। जिला उत्पादन शुल्क विभाग के लिये १४,३८,००० रुपये का उपबंध किया गया है किन्तु जिलों की संख्या कम हो जाने से इसमें भी ५,५०,००० रुपये की बचत की जा सकती है। नागरिक रसद विभाग के लिये ७,०७,००० रुपयों का उपबंध किया गया है। खास स्थिति में सुधार हो जाने से इस विभाग को अधिक काम नहीं करना पड़ता। इसे उद्योग विभाग में मिला कर इस में भी ३,५०,००० रुपये की बचत की जा सकती है।

हमारे राज्य के पुलिस दल के लिये ८७,२०,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है। पुलिस पर किये जाने वाले व्यय से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुलिस राज्य है कल्याणकारी राज्य नहीं। पुलिस पर व्यय इन आठ महाराजाओं तथा बिस्वेदारों के २०० परिवारों को बचाने के लिये किया जा रहा है। बिस्वेदारों का संक्षिप्त इतिहास

[श्री आर० पी० गर्ग]

यह है कि बिस्वेदारी की प्रथा राजा गुरदित सिंह के समय से चलाई गई थी और कुछ व्यक्तियों को भूमि पर अधिक अधिकार दिये गये । राजा लोग ये अधिकार शादी के बदले में दिया करते थे। यद्यापि बिस्वेदार ज़मीन के मालिक तो हो गए किन्तु इस जमीन पर किसानों का कब्जा रहा। किसानों ने उन्हें अपने उपज में से हिस्सा देने से मना कर दिया । बिस्वेदारों ने उपज के हिस्से को लेने के लिये तथा किसानों को आतंकित करने के लिये गुंडों तथा पुलिस की सहायता ली । किसान आन्दोलन देखने से आप को मालूम होगा कि वहां फसल के समय हर वर्ष किसानों के कत्ल होते रहे हैं एक या दो पुलिस सुपरिंटेंडेंट को छोड़ कर बाकी सभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट बिस्वेदारों या बड़े जमींदारों के लड़के हैं । राड़ेवाला शासन काल में बिस्वेदारों ने शक्ति प्राप्त की। उन के गुण्डों ने डकैतियां और कत्ल करने आरम्भ कर दिये और इन्होंने धनी लोगों के लड़के, लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, और उन को छोड़ देने के लिये वे धन मांगते थे । पुलिस भी इस लूट में हिस्सा लेती थी । बिस्वेदारों के घरों पर ये डकैत पुलिस अधिकारियों के साथ शराब आदि पीते थे। पुलिस रिकार्ड से यह भी मालूम हो जायेगा कि राड़ेवाला शासन काल में ये डकैत मंत्रियों के निवास स्थान पर ठहरते थे और वहां अपना इलाज करवाते थे ये। बिस्वेदार डकैतों को शराब, खाना तथा हथियार दिया करते थे। तो फिर बिस्वेदारी को क्यों न समाप्त कर दिया जाये ? बिस्वेदारी को समाप्त कर देने से पुलिस पर इतना व्यय नहीं करना पड़ेगा । और पुलिस राज्य से हम इसे कल्याणकारी राज्य में बदल सकते हैं ।

श्री बीरेन दत (त्रिपुरा पश्चिम) : सभी सामन्तवादी राज्यों में राजस्व मुख्य रूप से सामान्य व्यक्ति से प्राप्त होता है । इस वर्तमान आयव्ययक में किसानों पर पुराने कर उसी प्रकार से लगे हैं । पैप्सू के एकीकरण के बाद इन गरीब आदमियों पर कुछ नये कर लगाये गये । कपूरथला में पंजाब के साथ वाल क्षेत्रों की अपेक्षा भूराजस्व चौगुना है। आवश्यक वस्तुओं पर भी विक्रय कर लगाया गया है । यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने यह प्रस्ताव रखा कि यह कर न लगाया जाय किन्तु यह विक्रय कर सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगाया जाता है । और इस कर की राशि राजप्रमुख को दी जाने वाली निजी थैली के बराबर है । सरकार ने किसी सामन्तशाही से लगे हुए कर को तो हटाया नहीं किन्तु राजप्रमुख को देने के लिये यह विक्रय कर लगा दिया। पैप्सू में ठेकेदार सरकार से तेरह रुपया प्रति तोला अफीम खरीद कर बाजार म सात रुपया प्रति तोला बेचते हैं और पास के स्थानों से भी वे बाजार में बेचने के लिये चोरी छिपे कुछ अफीम ले आते हैं । पैप्सू में शायद आबकारी से ही सब से ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है । योजना आयोग ने यद्यपि नशीली चीजों को बन्द करने की सिपारिश की है किन्तु कई स्थानों पर सरकार इन नशीली चीजों के बारे में सहायता करती है क्योंकि इन से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है ।

एक और बात, फरीदकोट के राजा साहब को १५ लाख रुपये देने थे किन्तु उनसे ८ लाख रुपये ही मांगे जा रहे हैं ।

कुल राजस्व में से ३२ प्रतिशत सुरक्षा सेवा पर व्यय किया जाता है । वहां क्या सुरक्षा कार्य किये जाते हैं । मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूं अतः जानता हूं कि वहां क्या किया जाता है । कुछ दिन पूर्व यहां यह कहा

गया था कि त्रिपुरा में सदा धारा १४४ लगाने की कोई प्रथा नहीं है किन्तु कल मुझे तार मिला कि वहां दो महीनों के लिये फिर यह धारा १४४ लगा दी गई है। हम जानते हैं कि पैप्सू में गांव वालों से बेगार में काम लिया जाता है। पुलिस अधिकारियों को घी आटा सब मुफ्त मिलता है। सिपाही भी मुफ्त में सामान लेते हैं। वहां इस प्रकार के सुरक्षा प्रबन्ध हैं। यह कहा जाता है कि वहां जंगा नामक डाकू का पीछा किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि उन के गुप्तचर विभाग ने यह रिपोर्ट दी है कि ये डाकू महारानी के फार्म में रहते हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : मैं इस बात का खण्डन करता हूं।

डा० काटजू : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य अपना वक्तव्य देने से सूर्व इस बात की जांच कर लिया करें कि वह ठीक है।

श्री बीरेन दत्त : मेरा कहना यह है कि इस समय व्ययक को स्वीकार कर लेने के बाद पैप्सू की जनता को लाभ होगा या नहीं। एक पहिले अवसर पर एक लिखित उत्तर में स्वयं माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा में धारा १४४ नहीं लगाई जायगी किन्तु अगरतल्ला में किसानों की एक बैठक होगी और धारा १४४ फिर लगा दिया गया। इस प्रकार आप पैप्सू में किसानों को सहायता नहीं दे रहे हैं।

डा० काटजू : यह किसने कहा ?

श्री बीरेन दत्त : आप ने किसानों के भार को कम नहीं किया : पैप्सू में आवश्यक वस्तुओं पर विक्रय कर लगा दिया जो किसी अन्य राज्य में नहीं है। वहां के सुरक्षा कार्य देखिये। एक आदमी बैल खरीदने जा रहा था। उसे डाकओं ने पकड़ कर एक कमरे में हाथ पैर बांध कर डाल दिया। पुलिस वहां आई और डाकू पकड़ लिये गये। किन्तु चूंकि उस के पास रुपये थे इसलिये उसी हालत में फिर कर दिया गया अर्थात् उसे खम्भे में बांध दिया गया। एक गांव में वहां के बिस्वेदार स्थानीय पंचायत के लिये नहीं चुने गये थे। इस कारण पंचायत के लिये चुने गये सभी सदस्य पीटे गये। इस की अधिकारियों से शिकायत की गई। अधिकारियों ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उन्हों ने क्या कार्यवाही की ? वे सब जेल में ठूस दिये गये।

तो क्या ऐसे कार्यों से पैप्सू की जनता की सहायता की जा रही है ? मनीपुर तथा त्रिपुरा के विषय में आप ने बहुत सी बातें सुनी और मुण्ड भेदन के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि उन्हें मनीपुर के सामान्य लोगों की अपेक्षा आदिम-जाति के प्रधानों के हितों का अधिक ख्याल है। अतः यदि आप चाहते हैं कि वहां प्रगति हो तो आप को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि आप किस का समर्थन करें। यदि बिस्वेदार ये सब शरारतें कर रहे हैं, और यदि बिस्वेदार तथा राजप्रमुख ही इन डाकुओं को पाल रहे हैं तो आप इस बिस्वेदारी प्रथा तथा राजप्रमुख पद को समाप्त कर सकते हैं। तब आप वहां ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि वहां प्रजातन्त्र पनप सकता है। गांव [redacted] से बेगार में काम लेने जैसी बातों के चलते रहने से कम से कम इस सदन का तो सम्मान बढ़ेगा नहीं। इसीलिये मैं यहां सब सदस्यों से कह रहा हूं कि इस आयव्ययक को स्वीकार कर लेने से आप वहां के भ्रष्टाचार के कामों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर) : माननीय सभापति जी, पैप्सू का मामला इस वक्त एक नाजुक मरहले में से गुजर रहा है

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

और जिस प्रकार से वहां पर लोकतन्त्र शासन को स्थगित करना पड़ा है उन हालात में मैं अनुभव करता हूं कि इस हाउस को पैप्सू के मामले पर बहुत संजीदगी से और बहुत ज़िम्मेदारी से ग़ौर करना चाहिये । बजाय इस के कि हम पैप्सू के सम्बन्ध में और वहां के शासन के सम्बन्ध में कुछ सुनी सुनाई बातें कह दें, हम को ज़िम्मेदारी के साथ हर चीज़ पर विचार कर के और तहक़ीक़ात कर के वहां के सम्बन्ध में बातें कहनी चाहियें । जहां तक पैप्सू में इस वक्त एक एडवाइज़र के शासन का प्रश्न है मैं समझता हूं कि यह बहस इस हाउस में ख़त्म हो चुकी है जब कि प्रैसीडेंट के रूल को इस हाउस ने स्वीकार किया और इस बात का फ़ैसला किया कि प्रैसीडेंट वहां के शासन को चलावें । यद्यपि मैं जाती तौर पर यह अनुभव करता हूं कि जहां तक हो सके हमें कहीं भी, किसी भी एरिया में, किसी भी इलाक़े में, जनतन्त्र शासन स्थगित नहीं करना चाहिये । जिस तरह कि जान स्टुअर्ट मिल ने एक जगह कहा है कि "पिपुल लर्न टु वर्क दी रिप्रैज़ेंटेटिव इंस्टीट्यूशन्स बाई वर्किंग दैम" । तो मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके हमें जनता को मौक़ा देना चाहिये कि वह उस शासन को वर्क करे । लेकिन पैप्सू में अजीब किस्म के हालात पैदा हो गये थे और जब कि हम पैप्सू पर डिस्कशन करते हैं तो हमें इस के बैकग्राउंड को नहीं भूलना चाहिये कि पैप्सू के अन्दर इस तरह के हालात पैदा हो गये थे कि वहां की जनता बिल्कुल उस शासन को पसन्द नहीं करती थी जिस को गलती से डिमाक्रैटिक शासन का नाम दिया जा रहा था । अब चाहे ज़िम्मेदारी कांग्रेस के मैम्बरों की हो या दूसरों की हो, मैं इन में कोई भेदभाव नहीं करता । लेकिन मैं समझता हूं कि जो मैम्बर थे, उन के चनाव के सम्बन्ध में उस नोट में लिखा हुआ है जो कि बजट के साथ हमें दिया गया है । उस में लिखा गया है कि किस तरह एक्साइज की, लिकर की, अफीम की आमदनी बढ़ गयी । शराब के बारे में लिखा है कि शराब का कंजम्पशन, इलैक्शन की वजह से बहुत बढ़ गया । तो इस से मालूम होता है कि इलैक्शन किस तरह से हुआ और किन हालात में हुआ । इसलिये ज़रूरी हो गया कि असैम्बली को सस्पैंड किया जाय ।

तो आज जब हम इतना आगे बढ़ आये हैं और इस थोड़े से अरसे में वहां के शासन को हमें सुधारना है तो हमें सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिये और सारी स्थिति पर एक आब्जैक्टिव तरीक़े से सोचना चाहिये सब्जैक्टिव तरीक़े से नहीं । मुझे अफ़सोस है कि इस हाउस में जो अब तक बहुत से वक्ता, बोले हैं उन्हों ने सब्जैक्टिव तरीक़े से देखने की कोशिश की । उन्हों ने अपनी पार्टी की नज़र से इस को सोचा और किसी ने कहा कि कांग्रेस का शासन ख़राब था और दूसरों ने कहा कि दूसरा शासन ख़राब था । लेकिन आब्जैक्टिव तरीक़े से, कि वहां की जनता को क्या अनुभव हो रहा था इस बात को उन्हों ने नहीं देखा । अगर इस को हम नज़रअन्दाज़ करेंगे तो आगे जो सुधार हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकेंगे । पैप्सू की समस्या का पंजाब के हालात पर सीधा असर पड़ता है और इसी तरह पंजाब के हालात का सीधा असर पैप्सू पर पड़ता है । इस वक्त तक पैप्सू का जो शासन रहा उस को हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उस में दो खराबियां थीं जिस से कि पैप्सू का शासन ख़राब हुआ और उन खराबियों को हमें इस अरसे में दूर करना है । एक कारण तो यह है कि वहां पर रजवाड़ेशाही का दौर-दौरा था जो कि वहां पर अंग्रेज़ी जमाने में रियासत रहने की वजह से हुआ । वहां पर आजादी आने के बाद जिस तरह से हालात तबदील हुए उन हालात की वजह से थोड़ा असर पड़ा

और दूसरे उस वजह से कि सारे देश के अन्दर जितने भी रीएक्शनरी, और फ्यूडिल अन्सर थे, सामन्तशाही अन्सर थे, फिरकापरस्ती के अन्सर थे, उन्होंने ख़राबी पैदा की। यह दो कारण थे जिस से पैप्सू का शासन ख़राब हुआ। इस बात को हम बिल्कुल आब्जैक्टिव तरीक़े से देखें और जनता के दृष्टिकोण से देखें। हालत यह थी कि एक तरफ़ तो रजवाड़े-शाही की जो अहमियत थी और जो फ्यूडल अन्सर मौजूद थे, वे सब तो इस बात के लिये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से डेमोक्रैसी का वहां विस्तार न हो सके, जनतन्त्र का फैलाव न हो सके। दूसरी तरफ़ जनता में ऐसे अन्सर न थे कि जो वहां पर पूरी तरह से डेमोक्रैसी की तरक्क़ी करे इस को चाहते थे। बदक़िस्मती यह हुई, मैं इस बात को मंज़ूर करता हूं कि, कांग्रेस के काम करने वालों का जहां तक ताल्लुक़ था, उन्हों ने बजाय इस के कि जनता के अन्दर ज़्यादा से ज़्यादा जाते, वह दिल्ली की तरफ़ ज़्यादा देखते रहे और इस बात की कोशिश करते रहे कि स्टेट मिनिस्ट्री या कांग्रेस हाई-कमांड उनमें से किसी को गद्दी पर बिठा दे। उन्हों ने इस बात की कोशिश नहीं की कि जनता की तरफ़ जायं। इसलिये यह लाज़मी हो गया कि, मैं इस में यह रिआयत नहीं करता कि आया कांग्रेस के लोग ज़िम्मेदार थे या दूसरे लोग, मैं किसी को भी ज़िम्मेवारी से बरी नहीं करता, वहां के शासन को समाप्त किया जाय। मैं चाहता हूं कि सही तौर पर डिमोक्रैसी की नीव वहां रखी जाय। हम यह नहीं चाहते कि फिर इलैक्शन होने के बाद हालत बिगड़े और डिमोक्रैसी फेल हो। जनता की दृष्टि से देखना चाहिये और सोचना चाहिये कि जो अन्सर इस डेमोक्रैसी के फेल होने के लिये ज़िम्मेदार थे, फ्यूडल और फिरकापरस्ती के अन्सर, उन को इस इलैक्शन में ख़त्म किया जाय और उन को अहमियत न पकड़ने दी जाय।

मैं इस बात को तसलीम करता हूं जिस की तरफ़ मेरे माननीय दोस्त हुक्म सिंह जी ने इशारा किया है और कुछ और भाइयों ने भी, हमारे मैम्बर्स ने इशारा किया है कि जो पैप्सू के अन्दर हालात हैं, उन में सिक्खों का और हिन्दुओं का प्रश्न है या यह कि पंजाबी और गुरमुखी और हिन्दी का प्रश्न छिड़ा हुआ है। पिछली मर्तबा जब बहस हुई थी और जो स्टेटमेंट पेश किया गया था तो उस में इस बात का सवाल उठाया गया था कि पंजाबी शिक्षा को काफ़ी मौक़ा नहीं दिया जा रहा है। मैं इस बात को बहुत बड़ी बदक़िस्मती समझूंगा अगर हमारा कोई भी मैम्बर इस हाउस के अन्दर पंजाबी और हिन्दी के झगड़े को छेड़े। मैं अनुभव करता हूं कि पंजाबी और हिन्दी में कोई बहुत अन्तर नहीं है और हिन्दी वालों का तो सारा क्षेत्र विस्तृत है। तमाम देश में उन का क्षेत्र विस्तृत है। इसलिये उन को ज़्यादा सहिष्णुता और टालरेशन से काम लेना चाहिये और मौक़ा देना चाहिये कि जो रीजिनल लैंग्वेजेज़ हैं, जो इलाक़ों की ज़बानें हैं, वे बढ़ें। उन को उन्हें आगे बढ़ने का मौक़ा देना चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि फौरन् तो हम भाषावार प्रान्तों का विभाजन नहीं कर सकते, उस में कई मुश्किलात हैं और कई पेचीदा मामले हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस बात का तुरन्त ऐलान करे कि जब दूसरे स्थानों पर भाषावार प्रान्त बनेंगे तो इस बात को भी पूरी तरह नज़र में रखा जायगा कि पंजाब और पैप्सू में रहने वाले जो पंजाबी भाषा-भाषी हैं उन को भी भाषा के अनुसार अपने को अलहदा प्रान्त बनाने का पूरा मौक़ा दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस में जो हिन्दी के हिमायती हैं उन को टालरेशन से काम लेना चाहिये। दरअसल मैं समझता हूं कि जो पंजाबी और हिन्दी जानते हैं उन को मालूम है कि पंजाबी और हिन्दी में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। और हो भी तो हम को उसे टालरेत

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

करना चाहिये । और इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिये ।

दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक फ्यूडल अन्सर का ताल्लुक है कल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वह क़ानून पास करना चाहते हैं, जिस के ज़रिए वहां पर ज़मीनों की तक़सीम का मामला ठीक हो जायेगा और वहां पर जो बिस्वेदारी वग़ैरह के अन्सर हैं वह खत्म होंगे । उन को वे क़ानून जल्दी लागू करने चाहियें । तो इन दो बातों का ख्याल कर के और जनता की भावनाओं को समझ कर हम आगे बढ़ें और जनता के फायदे की नज़र से काम करें तो पैप्सू के अन्दर ऐसा शासन स्थापित होगा जिस से आयन्दा के लिये डेमोक्रैसी की नींव मज़बूत हो जायगी ।

दो तीन बातों के बारे में मैं और कहना चाहता हूं । वहां पैप्सू के अन्दर मज़दूरों का बड़ा सवाल है । मज़दूरों के सवाल पर अभी पिछले दिनों कई दफ़ा ट्रिब्यूनल बैठे उन्हों ने फ़ैसले किये । लेकिन पैप्सू गवर्नमैंट उन को अमल में नहीं ला सकी । फगवाड़ा में वहां ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला किया मज़दूरों के हक़ में । लेकिन वहां पर गवर्नमेंट इस को अमल में नहीं ला सकी और उस फ़ैसले को वहां की शुगर मिल वालों से नहीं मनवा सकी । नतीजा यह हुआ कि फैक्टरी बन्द कर दी गयी और मज़दूर बैठे रहे और जितना गन्ना था वह सारा खराब हुआ और ज़ाया हुआ ।

इस वक्त जो हमारी इकोनामिक हालत है, आर्थिक दशा है, उस के होते हम एफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी लेबर बेकार रहे और, हमारा जो यह बहुत सारा मैटीरियल है वह ज़ाया हो । मैंने इस मामले में बहुत कोशिश की कि हमारे फूड मिनिस्टर या लेबर मिनिस्टर साहब कोई इस मामले में दखल दें, लेकिन उन्हों ने ऐसा करने में अपनी मजबूरी और असमर्थता बतलाई कि कोई क़ानून ऐसा नहीं जिस से वह मिल को खुलवा सकें । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक क़ानून इस हाउस के सामने बनने के लिए आना चाहिए । हमीरे के मिल वालों ने जहां पर कि काफ़ी मज़दूर लगे हुए थे, गवर्नमैंट आफ़ इंडिया को केवल एक अर्ज़ी दे दी, पूरे हालात उन के सामने नहीं रक्खे । हमीरे मिल के आसपास काफ़ी गन्ना पैदा होता है, और पैप्सू की गवर्नमेंट ने और खासतौर से पंजाब सरकार ने गन्ने की काफ़ी पैदावार इस क्षेत्र में बढ़ाई है, लेकिन हमीरे मिल की सारी मशीनें उठा कर दूसरी जगह भेजने का नतीज़ा यह हो रहा है कि बहुत सा गन्ना उस इलाक़े में भी ज़ाया हो रहा है मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इन सब बातों को सामने रखना चाहिए । एक बात और कह कर मैं ख़त्म करता हूं और वह तालीम के सम्बन्ध में है । बेसिक स्कूल खोलने का जो प्रस्ताव है उस को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी टीचर्स नहीं मिलते हैं, मैं समझता हूं कि शिक्षा पद्धति में बेसिक शिक्षा का बहुत महत्व है और अगर उस के लिए हम को टीचर्स नहीं मिलते हैं तो पैप्सू प्रदेश में टीचर्स को ट्रेन्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें वहां पर बेसिक शिक्षा का प्रसार करना चाहिये ताकि एज्यूकेशन सही रास्ते पर चल सके ।

श्री अजीत सिंह (कपूरथला–भटिंडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मेरे कई आनरेबुल दोस्तों ने पैप्सू की हालत को सुधारने के लिए सरकार का ध्यान खींचा है । मुझे उस सम्बन्ध में कहना है कि पैप्सू की तरफ़ तो यह रेलवे वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते । आप जानते हैं कि जो गाड़ी लुधियाना से चलती है, अम्बाला आकर ठहर जाती है । पैप्सू का राजपुरा स्टेशन है, जंक्शन है, वह बीच में रह जाता है, उस की

तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता । रेलवे के मामले में ही नहीं दूसरे मामलों में भी पैप्सू को छोड़ दिया जाता है ।

अब मैं थोड़ा ऐज्यूकेशन पर आप से अर्ज़ करना चाहता हूं । बजट में यह लिखा है कि फ़ाइव ईयर प्लान के मातहत साठ प्राइमरी स्कूल बनाये जायेंगे, जब कि इस के बरअक्स जो इस से पहले गवर्नमेंट थी उस ने पिछले साल दस महीने में १२० स्कूल बनाये और चूंकि यह फाइव ईयर प्लान में सिर्फ़ ६० स्कूल बनायेंगे, इसलिए मेरे ख़्याल में यह डिक्रीज़ हुई है । पेप्सू में हम देखते हैं कि झगड़े, अपराध और डकैतियां बहुत होती रहती हैं और इसको अगर कोई सिर्फ़ मिटा सकता है तो वह राइट टाईप आफ़ एज्यूकेशन ही मिटा सकती है, सरकार अकेले इस को नहीं मिटा सकती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्राइम को रोकने के लिए उन के बीच में ज्यादा से ज्यादा एज्यूकेशन को फैला देना चाहिए और पुलिस बजट पर जो आप इतना ज्यादा ख़र्च कर रहे हैं, उस में कुछ कमी कर के अगर वह रुपया एज्यूकेशन के काम में लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के प्रचार से उन में अक्ल और योग्यता आयेगी और जैसा डाक्टर काटजू ने उन के बारे में कहा था, उन को ऐसा कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि वे लोग असभ्य हैं और प्रजातंत्र की भावना से शून्य हैं ।

डा० काटजू : यह किसने कहा ?

श्री अजीत सिंह : आपने कहा था ।

डा० काटजू : मैं ने ऐसा कभी नहीं कहा ।

श्री अजीत सिंह : पैप्सू के लोग अन-डेमोक्रेटिक हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन का क़सूर क्या है, बेचारे अनपढ़ हैं, वहां पर बेसिक स्कूल, मिडिल स्कूल और कालिजेज़ खोलने के लिए सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए ताकि लोग शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकें । लेकिन जब यह वहां पर काम करने की बात आती है तो हमारे स्टेट्स मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स कह देते हैं कि चलो छोड़ो, सिक्खों की स्टेट है, हमें क्या ज़रूरत है वहां कुछ करने की । तो ज़रूरत यह है कि सरकार को अपनी इस उपेक्षा की नीति को बदलना चाहिए । जहां तक प्रोपेगैन्डा करने का सवाल है, आज के युग में रेडियो उसके लिये सबसे उत्तम साधन है । लेकिन यह खेद की बात है कि हमारे पैप्सू राज्य में एक भी रेडियो स्टेशन नहीं है, लेकिन रेडियो स्टेशन बहुत सी दूसरी स्टेट्स में विद्यमान हैं । मैं चाहता हूं कि आप को इन सब बातों पर ग़ौर करना चाहिए । फूडग्रेन सिचुएशन के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां कोई बीस परसेंट आदमी हैं जिन के पास बहुत ज्यादा ज़मीन है । उन लोगों को पता भी नहीं कि हमारी कौन सी ज़मीन में क्या कुछ उगा हुआ है और हमें उस में क्या उपजाना है । मज़े करते हैं और सोते रहते हैं मगर जो लोग ग़रीब हैं अगर उनको ज़मीन दी जाय तो वह उस ज़मीन को अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं । कुछ आदमियों को ज़मीन दी भी जाती है, लेकिन उन को तकावी नहीं देते जिस के कारण वह बेचारे पहले भी ज्यादा ग़रीब हो जाते हैं और भूखे मरते हैं । न तो वह कोई मवेशी ख़रीद सकते हैं और न ही कोई औज़ार वग़ैरह ख़रीद सकते हैं । इस प्रकार की उन लोगों को तक़लीफ़ें हैं । बजट में अगर आप कुछ रक़म उन को ज़मीन देने के लिए निकाल देते हैं तो साथ ही आप को उन को तक़ावी भी देनी चाहिये । इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पैप्सू में फूडग्रेन्स की सिचुएशन अच्छी है । लेकिन मैं तो अख़बारों में पढ़ता रहा और लोगों से भी सुनता रहा कि मेहन्द्र गढ़ के इलाक़े में क़हत पड़ा हुआ है, पता नहीं

[श्री अजीत सिंह]

कि फूडग्रेन्स सिचुएशन कैसे अच्छी कही जा रही है ?

बैकवर्ड क्लासेज़ को सरकार द्वारा जो स्टाइपेंड और पैसा देने के बारे में लिखा हुआ है, उस की थोड़ी कलई मैं खोलना चाहता हूं कि एक रुपया आप पहली जमात वालों को देते हैं, दो रुपया दूसरी जमात वाले को, तीन रुपया तीसरी जमात वाले को और चार रुपया चौथी जमात वाले लड़के को स्टाइपेंड के रूप में देते हैं। इस हार्डशिप्स के ज़माने में यह स्टाइपैंड जो है, वह निहायत नाकाफ़ी है और कम है। उन लड़कों के घरवाले जब मास्टर जी के पास जाते हैं कि हमारे बच्चों को यह किताबें चाहिएं, तो आप वह स्टाइपेंड दिला दें, वह स्टाइपेंड मानों कोई बुरी चीज़ है, पहले तो उनकी बात ही नहीं सुनी जाती। पांच, छै मर्तबा अर्ज़दाश्त करने पर यह कहा जाता है कि स्टाइपेंड के लिए जिस पर दरख़्वास्त करनी होती है, वह पेपर हमारे पास नहीं आया है और जब उस के लिए बहुत इंसिस्ट किया जाता है तो उस पेपर को लाने के लिए किराये के पैसे मांगे जाते हैं, और उस एक या दो रुपये के स्टाइपेंड को हासिल करने के लिए पांच पांच दस दस, रुपये किराये की शक्ल में उन बेचारों को ख़र्चने पड़ते हैं। तो यह आप के स्टाइपेंड की सिचुएशन है।

दूसरी बात यह है कि भाखड़ा-नांगल योजना के मातहत बहुत से ज़मींदारों की ज़मींन उस में आ चुकी है, किसी की तो थोड़ी सी दो, चार बीघे या दो, तीन घुमाव उस में आ गये तो उस के दस से सात रह गये, उस का बेशक फ़ायदा है। अकेले ज़मींदार पर इतना बोझ पड़ जाता है कि वह ऊपर नहीं उठ सकता, इसलिए उस को कम्पेन्सेशन देना चाहिए।

सभापति महोदय : कम्पेन्सेशन सरकार देती है।

श्री अजीत सिंह : यह क्या कम्पेन्सेशन देना है कि आप ने दो बीघे का साठ रुपया दे दिया, ज्यादा मुआवज़ा उन को देना चाहिए, यह बहुत थोड़ा है।

अभी यह जो आप ने प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट पास किया, तो उस का असर हमारे ग़रीब लोगों पर बैकवर्ड क्लासेज़ के लो पर ज्यादा पड़ा है, मुझे पैप्सू से रीसेंटली रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है कि अपर क्लासेज़ के लोगों के बारे में कोई नहीं पूछता और वह पार्टी पालिटिक्स में फंसे हुए हैं।

वहां के जो ग़रीब लोग हैं उन को पार्टी पालिटिक्स में ला कर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के मातहत कई कई रोज़ तक जेलखानों में रक्खा जाता है और तब कहीं छोड़ा जाता है। फिर उन बेचारों को थानेदार पकड़ लेता है और उन का बुरा हाल करता है। इस पर भी ख़याल करना चाहिये।

अभी मेरे एक दोस्त बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां कोई भी गवर्नमेन्ट हो, आप कोई भी ऐडमिनिस्ट्रेटर भेज दें, लेकिन बिना सिखों के साथ कम्प्रोमाइज किये हुए कोई भी गवर्नमेन्ट नहीं चल सकती। मैं इस बात की पूरी ताईद करता हूं। यह बात बिल्कुल सच है कि जहां भी कोई मैजारिटी में है उस के साथ कम्प्रोमाइज करना ही चाहिये और वहां के एक सेक्शन को ही ले कर काम नहीं चल सकता। सारी क्लासेज़ को बीच में लाना होगा और सब के साथ समझौता करने के बाद फिर पैप्सू की हालत को सुधारा जा सकता है।

आखीर में मैं फिर दो बातों पर जोर देता हूं। एक तो यह कि वहां आल इंडिया रेडियो का ट्रान्समिटर चलाना निहायत ज़रूरी है। दूसरे यह कि ज़मींदारों को

कम्पेन्सेशन ठीक से दिया जाय, उन ज़मींदारों को जिन की जमीनें भाखरा डैम के लिये ली जाती हैं ।

इतना कहने के बाद मैं खत्म करता हूं ।

श्री कजरोलकर (बम्बई शहर–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : चेअरमैन महोदय, पैप्सू के बजट का जो कि सभागृह के सामने आया है मैं समर्थन करता हूं । लेकिन समर्थन करते हुए भी मैं पैप्सू की हरिजन समस्या सभागृह के सामन रखना चाहता हूं । पैप्सू की जन संख्या तो ३५ लाख की है, लेकिन उन में से हरिजनों की संख्या सात लाख है । उन के पास ज़मीन नहीं है, और ये लोग ज़मींदारों की ज़मीन में खेती का काम करते हैं उन को जो तन्ख्वाह ज़मींदार लोग देते हैं वह बहुत कम है । दूसरे वहां हरिजनों की सर्विस में हालत ऐसी है कि पैप्सू सरकार ने साढ़े बारह परसेन्ट हरिजनों को सर्विसों में रखने की जो बात की हुई है वह सिर्फ कागज़ पर ही रक्खी गई है । मैं ने छान बीन की तो कभी भी एक परसेन्ट से ज्यादा हरिजन भाई सर्विसेस में नहीं दिखाई पड़े ।

दूसरी बात यह है कि पैप्सू में प्रेसीडेंट के रूल के होने के पहले हरिजनों को बड़ी दिक्कत थी । हां, ऐडवाइज़र, मि० राव के जाने से थोड़ा सुधार अवश्य हुआ है । लेकिन फिर भी पुलिस का जो रवैया है वह अच्छा नहीं है । मेरे पास जो शिकायतें आती हैं उन को देख कर मुझे अफसोस होता है । मेरी समझ में नहीं आता कि पैप्सू में भी प्रेसीडेंट रूल है या कि पुलिस रूल है ।

इस बारे में 'टाइम्स आफ़ इंडिया' में २५ मार्च को एक स्टेटमेन्ट निकला है जिस में कहा गया है कि तल्लानियां गांव के हरिजन शरणार्थियों ने पैप्सू सरकार से बस्सी पुलिस के स्टेशन हाउस आफ़ीसर के विरुद्ध एक अभिवेदन किया है कि उस ने उन की स्त्रियों के साथ बड़ा अमानुषी व्यवहार किया । चूंकि चुनाव में इन हरिजनों ने सरदार जोगेन्द्रसिंह मान की इच्छा के विरुद्ध वोट दिये, इसलिये वे इन लोगों को गांव से निकालने के लिये हर तरह से उपाय कर रहे हैं । २१ मार्च को बस्सी पुलिस का स्टेशन हाउस आफ़ीसर, कुछ सिपाही और मिस्टर मान के गुट के कुछ लोग गांव में गये और उन्हों ने इन हरिजन औरतों के साथ कड़ा, गन्दा और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया । यह सारी रिपोर्ट 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की है-। वहां यह हालत है । एक दूसरा रिप्रेज़न्टेशन मेरे पास आया है पैप्सू स्टेट डिप्रेस्ड क्लासेज़ लीग की तरफ़ से । इस बारे में आज के पेपर में मैं ने पढ़ा कि उस के बारे में एन्क्वायरी हो चुकी है और आफ़िसर सस्पेंड हो चुका है । जो रिप्रेज़न्टेशन भेजा गया था उस में कहा गया है कि हरिजनों के साथ अधिकारियों का व्यवहार बहुत बुरा है । यह ख्याल था कि राष्ट्रपति के शासन से इन लोगों की हालत सुधरेगी परन्तु अब भी डाकुओं और लुटेरों को मार भगाने के नाम में इन बेचारे ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है । अभ्यावेदन में एक घटना का बयान किया गया है कि १९ अप्रैल को घग्गा पुलिस चौकी के स्टेशन हाउस आफीसर ने समाना के इन्दर सिंह नाम के एक हरिजन को हिरासत में लिया । यह एक मामूली काश्तकार है और चमड़े का धंधा भी करता है । एस० एच० ओ० ने उस के घर की तलाशी ली और वहां से २३ तोला सोना, १५८ तोला चांदी, चांदी के १४१९ रुपये तथा ६४८५ रुपये के नोट लेकर चलता बना । इन्दर सिंह के लड़के ने उच्चन्यायालय में इस के खिलाफ़ दरख़्वास्त दी । वहां एस० एच० ओ० ने अपने बयान में कहा कि इन्दर सिंह को उस ने गिरफ्तार ज़रूर किया था परन्तु बाद में छोड़ दिया था । जो भी हो, इन्दर सिंह का आज तक पता नहीं । यह सारी घटना अभ्यावेदन में की गई थी । मुझ

[श्री कजरोलकर]

आज यह कहते हुए खुशी होती है कि मैं ने आज के पेपर में पढ़ा कि मि० राव जो कि एडवाइज़र हैं उन के पास जो रिप्रेजेन्टेशन भेजा गया था उस की एन्क्वायरी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कराई और ज़िम्मेदार पुलिस अफ़सर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन ऐसी बातें कितने दिन तक चलती रहेंगी ?

दूसरी बात यह है कि जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर श्री चिन्तामणि राव देशमुख हैं उन के हाथ में बजट है। उन्हों ने हम हरिजनों की शिक्षा के लिए स्टाइपेंड के लिए ज्यादा रकम दी थी। वैसे ही वह पैप्सू के हरिजनों के लिए भी स्टाइपेंड के लिये रकम बढ़ा देंगे और पैप्सू के हरिजनों की भी चिन्ता दूर करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : श्रीमान्, पैप्सू बजट पर बोलने का अवसर दे ने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैंने कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने और उनसे जो बात स्पष्ट रूप से प्रगट हुई है वह यह है कि पैप्सू में बहुत गड़बड़ फै ली हुई है वह कल माननीय गृहमंत्री ने श्री पी० एस० राऊ के बारे में जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। पैप्सू के लोगों से मिल कर और समाचार-पत्रों को पढ़ करमैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि श्री पी० एस० राऊ अपने कार्य में सफल हुए हैं। एक अकाली नेता से मैंने भी राव के शासन के बारे में पूछा तो उन का उत्तर यही था कि श्री पी० एस० राऊ बहुत सफलता पूर्वक कार्य चला रहे हैं और राज्य में से भ्रष्टाचार हटा कर स्थिरता और व्यवस्था लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हों ने जो कहा उस के एक एक शब्द का मैं विश्वास करता हूं।

पैप्सू में अव्यवस्था होने के कारण हमें श्री अजीत सिंह तथा अन्य कुछ मित्रों ने बताये। पैप्सू में पार्टीबाज़ी, गृहबन्दी और गुंडागर्दी का राज रहा है। पैप्सू विधान सभा के सदस्य अपनी पार्टियां बदलते रहे हैं। उन का नैतिक स्तर बहुत अधिक गिर गया है। पैप्सू राज्य पुरानी आठ देसी रियास तों को मिला कर बनाया गया है और मैं समझता हूं कि आठों रियासतों में जितना भ्रष्टाचार और कदाचार था वह सब अब पैप्सू में आ गया है। लोग कहते हैं कि पैप्सू में प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया गया है। परन्तु कैसे? पंचायत स्तर पर प्रजातंत्र अभी क़ायम है। नगर-पालिका में तथा संसदीय स्तर पर प्रजातंत्र अभी बना हुआ है। हां, प्रांतीय स्तर पर प्रजातंत्र जरूर ख़त्म कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं दो बातों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो यह कि स्थानीय स्वायत्त शासन पर, जो कि प्रजातंत्र का आधार है, अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये। समाचार पत्रों से पता चला है कि पैप्सू में नगरपालिकाओं में कार्यपालिका अधिकारियों की जगह लॉ कालिज के विद्यार्थियों को नियुक्त किया गया है। वहां पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। मैं परामर्श-दाता महोदय तथा गृह मंत्री जी से यह कहूंगा कि सब से पहले वे वहां के स्थानीय स्वायत्त शासन की ओर ध्यान दें।

जहां तक हरिजनों का प्रश्न है, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि पैप्सू में हरिजनों की दशा जितनी बुरी है उतनी कहीं नहीं। क्या आप बीसवीं शताब्दी के हरिजनों से बेगार की उम्मीद कर सकते हैं ? आज उन के साथ वही बर्ताव किया जा रहा है जो ५० वर्ष पूर्व किया जाता था। उन की कोई परवाह नहीं करता, उन के उद्धार व उन्नति की किसी को चिन्ता नहीं। मैं परामर्श दाता महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दें।

कुछ माननीय मित्रों ने बिस्वेदारों का जिक्र किया। ये बिस्वेदार कौन हैं? बिस्वेदार एक बहुत अधिक प्रतिक्रियावादी वर्ग है। जहां तक बुद्धिमत्ता का प्रश्न है यह लोग बहुत पिछड़े हुए हैं परन्तु पैप्सू में उन्होंने अपने पांव बड़े मज़बूत जमा रखे हैं। शासन में भी छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़े पद तक इन लोगों का ज़ोर है। जो कोई भी बिस्वेदारों को ठीक कर सकता है मैं कहता हूं वह पैप्सू का ही नहीं मानव जाति का भी भला करेगा।

जहां तक राष्ट्रपति के शासन का सम्बन्ध है, सदस्यों ने अपनी अपनी राय प्रगट की है। विरोधी दल तो यह कहेगा ही कि इस शासन से किसी का भला नहीं हो सकता। मेरा कहना है कि जिस तरह राष्ट्रपति के शासन से पंजाब की हालत ठीक हुई उसी तरह परामर्शदाता के शासन से पैप्सू में भी शान्ति एवं व्यवस्था क़ायम हो सकेगी।

बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री बहादुर सिंह (फ़ीरोज़पुर-लुधियाना–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, आज जब हम पैप्सू बजट पर बहस कर रहे हैं तो इस पर बहुत कुछ कहा गया है। यह व्हाईट पेपर रिपोर्ट जो हम को दी गई है इस में लिखा हुआ है कि पैप्सू की जो स्टेट है यह हर तरह से तरक्की की तरफ जा रही थी, क्योंकि थोड़ा अरसा हुआ वहां पर जो मिनिस्ट्री थी उस को ससपेंड किया गया। यह बजट मेरा ख़याल है इस मिनिस्ट्री ने बनाया था। उस मिनिस्ट्री को बाद में ४ मार्च को ससपेंड किया गया और १५ मार्च को उन्हें बजट पेश करना था। इस में लिखा है कि एजूकेशन पर, मैडिकल पर, पब्लिक हैल्थ पर और सिविल वर्क्स पर जितना रुपया खर्च किया जा रहा है यह सब का सब बाकी हिन्दुस्तान की जितनी स्टेटें हैं, ए और बी, सब को मिला कर अगर परसेंटेज के हिसाब से लिया जाये तो यह सब से ज्यादा है। इस का मतलब यह है कि एजूकेशन, पब्लिक हैल्थ और मैडिकल और सिविल वर्क्स पर जो रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है यह पब्लिक बेहतरी के लिए है। लेकिन यहां पर बहुत कुछ कहा गया है कि पब्लिक बेहतरी के लिए इस मिनिस्ट्री में कुछ नहीं किया जा रहा था। यह मिनिस्ट्री तकरीबन ८ महीने पावर में रही थी। इस से पहले स्टेट्स का इन्ट्रीगेशन हुआ तो उस वक्त २० अक्तूबर को पहली गवर्नमेंट बनी। उस के बाद २० जनवरी ४९ को एक बड़ी मिनिस्ट्री बनाई गयी जिस में सात मिनिस्टर लिए गये और १८ फरवरी को फिर एक गवर्नमेंट बनाई गई और २३ मई को पैप्सू में कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनाई गयी। करनल रघबीर सिंह जो एक महीने पहले म्युनिसिपल एलेक्शन में हार चुके थे उन को चीफ़ मिनिस्टर बनाया गया। शायद उन की पापूलैरिटी का एक महीने पहले काफी सबूत मिल चुका था। इलैक्शन तक यही मिनिस्ट्री जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी पावर में रही। तो इतनी देर जो मिनिस्ट्री पावर में रही है और सेंटरल-गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वहां मिनिस्ट्री बनाई गयी हैं वह तकरीबन ४ या ५ साल के अरसे में जो कुछ करती रही हैं उस से जो ८ महीने यूनाईटेड फ्रंट की मिनिस्ट्री रही है उस ने यकीनी तौर पर बेहतर काम किया है। लेकिन उस को काम ही नहीं करने दिया गया।

यहां यह कहा जा रहा है कि पुलिस की हालत यह है, ठीक है, कांग्रेस के जमाने में जो पुलिस की हालत थी या लॉ एंड आर्डर की जो हालत थी उस से यूनाइटेड फ्रंट की मिनिस्ट्री के ज़माने में बेहतर हालत रही है। सरदार हुक्म सिंह जी ने कुछ फिगर्स बताये थे कि फरवरी में डकैतियां कितनी थीं, हत्यायें कितनी थीं और चोरियां कितनी थीं। और जब यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री नहीं थी तो यह कितनी थीं, उस से पता चलता है कि तकरीबन

[श्री बहादुर सिंह]

५० परसेंट इम्प्रूवमेंट यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री के जमाने में थी। लेकिन जो दोस्त यह कहते हैं कि अब भी वहां जो पुलिस थी वह खराब थी और अब जा कर ला एंड आर्डर की बेहतरी हुई है, ठीक नहीं है। बात असल में यह है कि आप ने एक आदमी के हाथ में ताकत दी हुई है और वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। डकैती के मामले ज्यादा होते हैं और उन को दर्ज नहीं किया जाता। उन को चोरी के मामले बताया जाता है। और यह दिखाने के लिए कि हम बहुत लोगों को पकड़ रहे हैं, शैड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों को पकड़ लिया जाता है और इस तरह कहा जाता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली मरतबा मैं ने इस चीज़ पर बोलते हुए बताया था कि यहां से जो आफिसर साहिब गये हैं वह १० मार्च की शाम को पटियाला पहुंचते हैं। १२ को सुबह वहां अखबारों में खबर आती है कि कुल लोगों को वहां से भेज दिया गया है। किसी को डिमोट किया गया है और किसी को प्रमोट किया है। उस वक्त भी मैं ने कहा था कि पहले सैंट्रल गवर्नमैंट का यह प्री-ऐरेंज्ड मुआमला था कि उन को यहां लाओ। उन को वहां से निकालो। और ऐसे आदमियों को जिन के ऊपर करप्शन के केसेज़ हैं और बहुत जूनियर आफिसर्स थे उन को डिप्टी कमिशनर बनाया गया है, और ऐसे आदमी जो गवर्नमैंट को काम दे सकते थे एलैक्शन जीतने में, ऐसे आदमियों को लाया गया है।

श्री चिनारिया जी ने कहा था कि जो मिनिस्ट्री पहले थी वह २४ दिन से ज्यादा बैठ नहीं सकी। इस से ज्यादा उन्हों ने काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने २४ दिन में अगर इतने बिल पास कर दिये तो यह उन के क्रडिट में जाता है खिलाफ़ नहीं। इस से पता चलता है कि उन्होंने कितना काम किया। लैंड रिक्लेमेशन एक्ट पास हुआ। यूटिलाइजेशन आफ लैंड एक्ट पास हुआ। आला मिलकियत बिल पास हुआ और कोई चार एमैंडिंग बिल पास हुए। नान आक्यूपेन्सी बिल जिस से कि जो यह आक्यूपेंसी राईट्स मुज़ारों को मिलने थे वह सैंट्रल गवर्नमैंट के पास भेजा गया और सैंट्रल गवर्नमैंट की जो स्टेट्स मिनिस्ट्री है उस के पास बहुत देर पड़ा रहा। इस लिए वापिस नहीं किया गया कि उस का क्रेडिट शायद यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री को न मिल जाये। पार्ट ए स्टेट्स जो हैं वहां तो यह है कि गवर्नर साहिब से यहां आ जाता है। लेकिन जो पार्ट बी स्टेट्स हैं उन को स्टेट्स मिनिस्ट्री का एक और मरहला तै करना पड़ता है कि स्टेट्स मिनिस्ट्री उस को जब तक पास न करे तब तक वह पेश नहीं हो सकता। अब पैप्सू में जब कि कांस्टीट्यूशन को सस्पैंड किया है और गवर्नमेंट ने पावर एक आदमी के हाथ में दी है तो पंजाब की मिसाल दी थी। पंजाब में तो पहले कांग्रेस गवर्नमैंट थी। सैंट्रल गवर्नमैंट ने पावर ली, तो यहां भी कांग्रेस गवर्नमैंट थी, लेकिन पैप्सू में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमैंट थी। लेकिन यहां मिनिस्ट्री के हाथ में पावर रही है वह पावर कांग्रेस के हाथ में है। लेकिन पैप्सू में कांग्रेस को कितने परसेंट लोगों ने वोटें दी हैं। २७ परसैंट लोगों ने उन को वोटें दी हैं और बाकी ७३ परसैंट लोगों ने उन को वोटें नहीं दीं। इसलिए जो अब ७३ परसैंट लोग हैं उन का रीप्रेजेन्टेशन यहां नहीं होता है।

इस के बाद सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला का जो बिल था उस के बारे में कहा था कि यह जो बिल चल रहा है इस के बारे में उनकी पब्लिक कमिटमैंट्स हैं और उन्होंने फ्लोर पर की थी। वहां उन्होंने बताया था कि उन बिलों से हम हालत को इम्प्रूव कर सकेंगे। लेकिन अब यह नहीं समझ सकते कि सैंट्रल गवर्नमैंट उन को एप्रूव्ड करेगी या नहीं।

एडवाइज़र साहिब के रोल के बारे में कहा गया है कि वह वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैप्सू गवर्नमैंट ने आला मिलकियत राइट्स बिल में एक पाई एक रुपया कम्पैन्सेशन देना मुकर्रर किया था, लेकिन एडवाइज़र साहिब ने उन गरीब लोगों को कितना रिलीफ दिया है, उस को पांच गुना ज्यादा कर दिया है ताकि वह लोग ज्यादा अच्छी रिलीफ कर सकें। पहले ओरिजीनली कम्पैन्सेशन था वह जो लैंड रैविन्यू है उस से बारह गुना दिया जा रहा था, लेकिन सरदार ज्ञान सिंह ने पब्लिक में वादा किया था कि हम उस को आठ गुना कर देंगे। लेकिन जो हमारे एडवाइजर साहिब वहां गये हुए हैं वह शायद उन लोगों को दूसरे तरीके से रिलीफ दे रहे हैं।

करप्शन के बारे में चिनारिया साहिब ने कहा है कि वहां करप्शन बहुत ज्यादा मौजूद है लेकिन मैं उन को बतलाऊं कि जब यहां हाउस में करप्शन के बारे में एक रैजोल्यूशन आया था तो उस को चिनारिया साहिब ने सपोर्ट भी नहीं किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि करप्शन किस स्टेट में नहीं है। क्या पंजाब में करप्शन नहीं मौजूद है। क्या पंजाब में कचहरी में नकल लेन के लिए जब तक रुपया न दिया जाये नकल नहीं मिलती है। क्या मेरे पंजाब के दोस्त जो यहां मौजूद हैं इससे इन्कार करेंगे। जब तक इस एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को बदला नहीं जाता तब तक यह करप्शन और रिश्वत खोरी का मुआमला हल नहीं हो सकता।

करप्शन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने बतलाया कि दामोदरदास एक जूनियर आफिसर थे उन को बरनाला का डी० सी० बना दिया गया है, और दूसरे आदमियों को सुपरसीड कर के उन को मुकर्रर किया गया है। दूसरे एक प्रेम कुमार जी को जिन के बारे में करप्शन केसेज़ के सिलसिले में एन्क्वायरी चल रही थी उन प्रेम कुमार जी को डी० सी० बनाया है। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि दस तारीख को एडवाइजर साहिब जाते हैं बारह तारीख को कुछ लोगों का ट्रान्सफर आर्डर आता है। पटियाला के डी० सी० सन्त प्रकाश जी को तेरह तारीख को एप्लीकेशन देने के लिए कहा जाता है। बारह तारीख को इस का आर्डर किया जाता है तेरह तारीख को उस एप्लीकेशन पर दस्तखत करने के लिये मजबूर किया जाता है कि वह लिखे कि मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं तो यह धान्दलीबाजी एडवाइजर रेजीम की है।

श्री फिरोज गांधी (ज़िला प्रतापगढ़–पश्चिम व ज़िला राय बरेली–पूर्व) : मेरा कहना यह है कि अभी मेम्बर साहब ने फरमाया कि किसी साहब के ऊपर करप्शन का केस चल रहा है और वह डिप्टी कमिश्नर बना दिये गय, तो क्या वह इस चीज़ को सब्सटैनशिएट कर सकते हैं ?

श्री बहादुर सिंह : आप इस बारे में पूछ सकते हैं, वह वहां लगे हुए हैं और उन को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। वह एक ज्येष्ठ अधिकारी थे; उन की पदोन्नत की गई थी।

श्री फिरोज गांधी : उन का नाम क्या है ?

सरदार हुक्म सिंह : उन का नाम प्रेम कुमार है। उन के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है।

डा० काटजू : क्या उन के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी का भी मुक़दमा चल रहा है ?

सरदार हुक्म सिंह : भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उन के विरुद्ध कार्यवाही लम्बित है।

डा० काटजू : निर्वाचन के अलावा ?

सरदार हुक्म सिंह : जी हां, निर्वाचन के अलावा ।

डा० काटजू : हमें इस की जांच करनी होगी ।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : साहबे सदर, बहुत सारी बहस इस सिलसिले में खत्म हो गयी, मैं सिर्फ चन्द एक बातें आप की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है । कल भी इस मामले पर काफ़ी बातचीत और बहस हुई थी कि यह जो पैप्सू में प्रेसीडेंट रूल किया गया है यह इस वजह से किया गया है चूंकि वहां पर ला एन्ड आर्डर की पोज़ीशन ठीक नहीं थी । आज कुछ दोस्तों ने यहां पर कहा है कि अगर वहां पर ला एन्ड आर्डर की पोजीशन ठीक नहीं है तो और जगह भी ठीक नहीं है, तो पैप्सू के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया कि प्रेसीडेंट रूल वहां पर स्थापित कर दिया गया । मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहूंगा कि वह इस बात को तो तस्लीम करेंगे कि पेप्सू की हालत दूसरे प्रान्तों के मुक़ाबले में ज्यादा खराब है और मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर किया है उस ने खूबी के साथ अपना काम सरअंजाम किया है और कर रहा है और मैं गवर्नमेंट और ऐडमिनिस्ट्रेटर दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि वह पैप्सू की हालत को ठीक करने में और वहां जो लूटमार इत्यादि होती रहती थी, उस को कम करने में कामयाब हुए हैं, जो हालत पैप्सू की पहले थी, उस में नुमायां कमी वाक़ये हुई है, यह बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी । मैं समझता हूं हर आदमी इस में इंटरेस्टेड होगा कि जो वहां चोरी और डकैतियां होती थीं, उन में कमी हो और यह वाक़या है कि जो वहां पर डाकुओं के अड्डे थे जहां डाकू जा कर बैठते थे और इकट्ठे होते थे वह अड्डे आज टूट रहे हैं। अकेले संगरूर के इलाक़े में एक हफ्ते के अन्दर १८ एब्सकौन्डर्स पकड़े गये । यह ऐसे काम हैं जो बड़े नुमायां हैं और जिन की तारीफ़ किये बगैर हम नहीं रह सकते । पहले से वहां पर ला एन्ड आर्डर की हालत बहुत बेहतर है, लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि आप आराम से अब सो जायं और कुछ न करें ।

एक आध बात मैं शरणार्थियों के बारे में कहना चाहता हूं । आप को मालूम है कि अभी पन्द्रह, बीस दिन हुए कि योल कैम्प में १५० फैम्लीज़ ऐसी थीं जो पैप्सू के अन्दर बसना चाहती थीं, क्योंकि उन के रिश्तेदार वहां पर बसे हुए थे । उन्होंने बहुत कोशिश की और सैंट्रल गवर्नमैंट में आकर कोशिश की, श्री अजीत प्रसाद जैन से मिलकर इस के लिए कोशिश की, लेकिन मिनिस्टर साहब ने कहा कि वह क्या कर सकते हैं, पैप्सू गवर्नमेंट इज़ाज़त नहीं देती है और उन को बसने के लिए अपने यहां कोई जगह देने को राज़ी नहीं है । मैं समझता हूं कि जहां पहले २५० और ४०० फैम्लीज़ के बसने के लिए जगह मिल सकती ी, वहां आज इन बेचारे लोगों के बसने के लिए क्यों जगह नहीं मिल रही है ? वह आज वहां पर साल डेढ़ साल से मारे मारे फिरते हैं, उन को कोई जगह नहीं मिलती है । वहां क्या उन १५० फैम्लीज़ को बसाने के लिए तवज्जह दी गयी, नज़ूल लैंड वहां पर काफ़ी पड़ा हुआ है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह इस तरफ़ ध्यान दें और इन मुसीबतजदों को बसाने का माकूल इन्तज़ाम करें । अब मैं थोड़ा सा हरिजनों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । यहां पर इस समय और इससे पहले हरिजनों के बारे में काफ़ी कहा गया है, लेकिन इतना कहने के बाद भी हरिजनों की दशा दुखदायी है और उन के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हरिजनों की

हालत शरणार्थियों से भी ज्यादा खराब है।

लाला अचिन्त राम : मैं इस चीज़ को मानता हूं कि हरिजनों की हालत शरणार्थियों की अपेक्षा ज्यादा खराब और दर्दनाक है, क्योंकि हरिजनों के साथ यह सोशल डिस्एड-वान्टेज बहुत बुरी चली आती है, शरणार्थी तो आज बुरी हालत में हैं, कल पाकिस्तान बनने से पहले तो वह ज़मीन और घरबार के मालिक थे, आज उन को बुरा दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन ये बेचारे तो हमेशा से इसी पिछड़ी हालत में रहते आ रहे हैं, इन्होंने तो कभी मिल्कियत नहीं देखी, इस वास्ते उन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। राड़ेवाला गवर्नमेंट ने उन की हालत सुधारने की कोशिश की और उन को साठ परसेंट नजूल लैंड देने की बात थी, लेकिन मैं समझता हूं कि केवल यही मदद उन की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मेरी ख्वाहिश है कि जितना नजूल लैंड है, उस में से अस्सी फ़ीसदी बल्कि नब्बे फ़ीसदी लैंड हरिजनों को दिया जाये।

उन के साथ जस्टिस फिर भी काफी नहीं होगा। मेरी आप से यह दरख्वास्त है।

एक प्वाइन्ट मैं और भी कहूंगा और वह यह है कि वहां के जो पोलिटिकल सफरर्स हैं आप उन की तरफ़ ज़रा ध्यान दें। मुझ को आशंकाओं ने लिखा कि वहां पर उनके लिये कोई रोजगार नहीं है। इतने दिन वह जेलों में रहे, तकलीफ़ें उठाईं, और वहां से आने के बाद बेकार हो गये। इस बारे में मुझे वहां के जो राजप्रमुख हैं उनकी स्पीच को पढ़ कर बड़ा हौसला हुआ। जिस फ्रैंकनेस से उन्होंने अपनी बात कही। जब सरदार पटेल वहां गये थे तो राजप्रमुख साहब ने कहा कि :

"सरदार पटेल देश के अमल्य रत्न हैं। उन्होंने और उन के साथियों ने भारी बलिदान दिये हैं।

सैक्रिफाइसेज तो आप को मालूम हैं, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त कीं, और कितनी सैक्रिफाइसेज कीं।

"हमें उन सब पर बहुत गर्व है।"

सरदार पटेल साहब के लिये और जितने उनके साथी हैं सब के लिये "एक समय था जब हम भी अपने देश के लिए कुछ बलिदान करना चाहते थे, किन्तु हमें अपनी इच्छाओं को दबा कर रखना पड़ा" यह उन के शब्द हैं। राज-प्रमुख साहब का भी दिल करता था कि वह मुल्क के लिये सैक्रिफाइस करें, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि वह अपनी ख्वाहिश को दबाये हुए थे। लेकिन आज तो मैं कहूंगा कि आप का राज्य है, राज प्रमुख साहब के हाथ में ताकत है। उन की डिजायर को कोई सप्रेस करने वाला नहीं है, आप की डिजायर को कोई सप्रेस करने वाला नहीं है। आप राजप्रमुख साहब से कहें कि वह अपनी जमीन में से पोलिटिकल सफरर्स को हिस्सा दें। वह पोलिटिकल सफरर्स जेलों में इस लिये गये कि जो वहां के राजा थे वह उन के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते थे। जनता के हुक्म पर नहीं चलते थे। आज वह राजप्रमुख हैं। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता कि वह बहुत ही उदार हैं। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने तमाम हिन्दुस्तान के राजों को लीड दी है। जिस ने अच्छा काम किया है उस की तारीफ न करना गलती होगी। मैं कहूंगा कि उन के अन्दर सैक्रिफाइस का माद्दा है। मेरी उन से अपील है कि वह अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा काट कर पोलिटिकल सफरर्स को दें। आप को भी उन से इस बात की अपील करनी चाहिये। लेकिन फ़र्ज़ कीजिये कि वह किसी वजह से न दे सकें तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की लैंड में से आप दीजिये। जैसे पंजाब के अन्दर किया गया है कि पोलिटिकल सफरर्स को पेन्शनें दी हैं, ४०, ४०, ५०, ५० रुपये की, या जमीनें दे

[लाला अचित राम]

दी हैं ता कि वे गुजारा कर सकें, वैसे ही आप को भी करना चाहिये। उसी तरह से आज पैप्सू में भी ऐसे लोग हैं जिन्हों ने सैक्रिफाइस की है जैसे सरदार सेवा सिंह ठीकरी वाला ने कुर्बानी की है। भगवान सिंह बौंगेवालिया हैं जिन्हों ने तमाम उम्र कुर्बानी की। वह तो बेचारे गुजर गये लेकिन अब जो ऐसे पोलिटिकल सफरर्स हैं वह ज्यादा सफर न करें।

मैं आखीर में अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि वह बहुत अच्छी तरह ला एन्ड आर्डर को चला रही है और वहां पर एग्रेरियन रिफार्म ला रही है। और जो कुछ आप अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं उस को भी पूरा करना चाहिये।

श्री पुन्नुस (आल्लप्पी) : यह तो सभी सदस्यों का कहना है कि पैप्सू में हालत बहुत खराब है। उसे सुधारने के लिये कड़ी कार्यवाही के किये जाने की आवश्यकता है। पप्सू के सम्बन्ध में हमारे सामने जो बजट रखा गया है वह साधारण बजट है। वह अन्य राज्यों में प्रस्तुत किये जाने वाले बजटों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। असाधारण परिस्थितियों के लिये हमें असाधारण बजट की जरूरत है। हमारी शिकायत है कि सरकार जिस ढंग से इस समय पैप्सू में कार्य कर रही है उस से तो स्थिति के और बिगड़ने की ही संभावना है सुधरने की नहीं। उदाहरण के रूप में माननीय मंत्री के भाषण को ही ले लीजिये। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पेप्सू का कर्मचारीवृन्द ठीक हालत में नहीं है और इसीलिए वहां पर तुरन्त ही निर्वाचन भी नहीं किये जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन को सुधारने के सम्बन्ध में क्या किया गया है। इसी तरह अधिकारियों द्वारा निर्वाचन में भाग लेने पर उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आखिरकार ऐसा क्यों है?

माननीय गृह मंत्री ने बतलाया कि ८० से ९० गांवों में साथ ही साथ एक दूसरी सरकार भी काम कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि वहां पर दो सरकारें काम कर रही हैं--एक सलाहकार की और दूसरी वह जो रात को काम करती है तथा जिस में सरकारी सचिव भी भाग लेते हैं। यह बात छिपी नहीं है। जनता में इस की चर्चा होती रहती है।

मेरे पास वहां के दलित वर्ग की एक महिला ने पत्र भेजा है जिस में उस ने बतलाया है कि उस का लड़का १,५०० रुपये लेकर वस्तुएं खरीदने के लिये गया। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। जब पुलिस उन की तलाश में गई तो उस ने इस लड़के को अन्य डाकुओं के साथ पकड़ लिया। बाद में पुलिस वालों ने लड़के को मार डाला और १,५०० रुपये आपस में बांट लिये। इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा जनता में खूब हो रही है। यहां तक कि जब डाकुओं के बिना चोट पहुंचाये भी पकड़ा जा सकता है तो उन्हें गोली मार दी जाती है। इस का कारण यह बतलाया जाता है कि यदि डाकू जीवित पकड़ लिया गया तो वह ऐसी बातें बतला देगा जिस के फलस्वरूप अनेक बड़े बड़े लोग पकड़ लिये जायेंगे।

सरकार द्वारा नियुक्त की गई जांच कमेटी ने भू-सुधार सम्बन्धी मामलों पर विचार कर के यह बतलाया है कि बिस्वेदारों और अधिकारियों में खूब मेलजोल है। अधिकारी वैसा ही करते हैं जैसा बिस्वेदार चाहते हैं।

माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि राजप्रमुख का अब बोलबाला नहीं रहेगा। परन्तु इस बजट में राजप्रमुख के सचिवालय के लिये व्यवस्था की गई है। स्पष्टीकरण में यह

बतलाया गया है कि ऐसा सामान्य बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मैं पूछता हूं जब राजप्रमुख का व्यावहारिक राजनीति से कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो उन के सचिवालय को अतिरिक्त सहायता क्यों दी जा रही है? इस प्रकार आप पैप्सू की हालत में सुधार न कर सकेंगे।

जैसा कि मैंने कल कहा भारत सरकार भू-सुधार के सम्बन्ध में ऐसा विधेयक तैयार कर रही है जिस के अनुसार उन लोगों को लगान का पांच गुना मुआवजा दिया जायेगा जिन को पैप्सू विधान सभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार रुपये में एक पाई मिलनी चाहिये थी।

सरकार द्वारा पप्सू में अपनाई गई नीति का हम इसलिये विरोध नहीं करते कि वह साम्यवादियों के विरुद्ध है बल्कि इसलिये कि वह पैप्सू की जनता के हितों के विरुद्ध है।

सभापति महोदय : सामान्य चर्चा समाप्त हुई। कल प्रात: माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

इस के पश्चात सदन की बैठक शनिवार, २ मई, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।